(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

बृहस्पतिवार

दिनांक 5 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 24

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (फुलेरा)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री ईश्वरचन्द्र।

राज्य में पी. वी. सी. पर आधारित उद्योग

25. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में पी. वी. सी. पर आधारित कितने उद्योग हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन उद्योगों को समुचित कच्चा माल उपलब्ध करा पा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. उद्योग राजकीय आदेशों के बाद भी छोटे उद्योगों को प्लास्टिक सम्बन्धी कच्चा माल नहीं देता ?

(4) क्या राज्य सरकार डी. सी. एम. को राज्य द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की कटौती का इरादा रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) राज्य में पी. वी. सी. पर आधारित 300 लघु उद्योग स्थाई रूप से. . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 25 का जवाब दे रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां।

. . . विभाग द्वारा पंजीकृत हैं।

(2) जी नहीं। इस कच्चे माल के वितरण पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। सम्बन्धित उद्योग श्री राम केमिकल इन्डस्ट्रीज कोटा से बराबर ताकीद की जा रही है कि राज्य को अन्दरूनी आवश्यकताओं की अनिवार्यत: पूर्ति करे। परन्तु इस उद्योग ने अभी तक सहयोगात्मक रुख नहीं अपनाया है।

(3) राज्य सरकार का कच्चे माल पर नियन्त्रण नहीं है फिर भी सरकार द्वारा श्री राम केमिकल इण्डस्ट्रीज, कोटा से छोटे उद्योगों को प्लास्टिक सम्बन्धी कच्चा माल दिलाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Page No 2

(2)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

(4) इसकी अभी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। जब होगी तो विचार कर लिया जायेगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड (4) में यह फर्माया है कि इनकी सुविधाओं में कटौती करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी के खण्डों के उत्तर में आपने फर्माया है कि यह हम से सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह डी. सी. एम. राजस्थान के लघु उद्योग प्लास्टिक को बरबाद करने पर तुला हुआ है। आर्टीफिशियल स्केअरसिटी उसने उत्पन्न की हुई है। मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि डी. सी. एम. को जो सुविधाएं दे रखी हैं चाहे वह बिजली के मामले में हों, चाहे पानी के मामले में हों या जमीन के मामले में हों उनके बारे में कटौती क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनको वे मजबूर क्यों नहीं करते हैं कि वे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का शोषण न करें?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि डी. सी. एम. की कन्सर्न को कोटा में इसलिए सुविधाएं दी गई थीं कि वह कोटा में जमे। कोटा नगर में जो डी. सी. एम. कन्सर्न के चार अलग अलग कारखाने हैं उनसे डी. सी. एम. कन्सर्न को नियमित रूप से 1 करोड़ रुपये साल का प्राफिट मिल रहा है। ऐसी हालत में इतनी बड़ी कन्सर्न, जो लाला भरतराम चरतराम की है, ठीक प्रकार से एस्टेब्लिश हो गई है। इसके बाद भी मंत्री महोदय का यह कहना कि उनकी सुविधाओं में कटौती नहीं करना चाहते हैं, उचित नहीं है। कोटा की धरती पर लाला भरतराम चरतराम को 10 पैसे प्रति क्विन्टल की चुंगी में छूट कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई थी। इसके बारे में वहां यह आम भावना है कि ऐसा करके उनको लाखों का फायदा दिया था। लाला भरतराम चरतराम की यह कन्सर्न सब प्रकार की कटौतियों का फायदा उठाकर लाखों रुपये वहां से अर्न कर रही है और आज अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गई है फिर भी इसको आप सुविधाएं क्यों दिये जा रहे हैं? यह माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : मंत्री महोदय सुविधाएं इसलिए बन्द नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के जमाने में था उसी प्रकार का आचरण आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दें। मंत्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो प्रश्न माननीय ईश्वरचन्द्रजी और माननीय दाऊदयालजी ने उठाये हैं वह दोनों एक से हैं। प्रश्न (4) में यह पूछा गया था कि "क्या राज्य सरकार डी. सी. एम. को राज्य द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की कटौती का इरादा रखती है?" मैंने बताया कि इरादा नहीं है। यह विशेष सुविधाओं के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया था। यह साधारण सुविधाओं के बारे में है जो कि किसी भी उद्योग को दी जा रही है। उसके लिए कायदे-कानून बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : विशेष सुविधाएं कौन सी हैं और साधारण सुविधाएं कौन सी हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान सरकार ने अपनी नई उद्योग-नीति बताई है इसके आधार पर कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ताकि छोटे उद्योग पनप सकें।

श्री ईश्वरचन्द्र : अलग से प्रश्न है।

डी. सी. एम का केवल एक दिन का प्रोडक्शन राजस्थान की प्लास्टिक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को कैटर कर सकता है। मंत्री महोदय जुलाई, 1974 से लगाकर जून, 1977 के प्रोडक्शन चार्ट को देख लें, प्रोडक्शन खूब आया है। वह आर्टीफिशियल स्केयरसिटी पैदा कर रहे हैं। उसके बाद भी मंत्री महोदय कहें कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वे उनकी सुविधाओं को नहीं रोक सकते हैं, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप केन्द्रीय उद्योग मंत्री, जार्ज फर्नान्डीस से कह कर या आप स्वयं ही मोनोपोली वाले बड़े बड़े उद्योगों पर नियन्त्रण नहीं करेंगे तो समाजवाद लाने की बात कहना बन्द कर दें या लघु उद्योगों को बन्द कर दें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे: जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इस उद्योग का सहयोगात्मक रुख नहीं रहा है तो कौन सी और कितनी हरकत उन्होंने ऐसी की हैं कि राज्य सरकार को इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि उनका सहयोगात्मक रुख नहीं है ?

what are the omitions and commissions of this enterprise which led the government to believe this ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं हिन्दी में समझ गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आप अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान हैं।

श्री सूर्यनारायण चोधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस संदर्भ में पूछा गया है कि पी.वी.सी. का जो रॉमेटेरियल है उसका आवंटन इस उद्योग द्वारा राजस्थान के उद्यमियों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ? इस संदर्भ में माननीय मूलचन्द जी डागा साहब ने एक प्रश्न पूछा है उद्योग नीति का, और माननीय मथुरादास जी ने भी प्रश्न पूछा है वह बहुत अच्छा प्रश्न है कि रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जाय और एन्सीलियेरीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन कैसे दें, यह उद्योगनीति में इनकारपोरेट किया है। इन सारी चीजों को दृष्टि में रखते हुए पी. वी. सी. के कम्पाउण्ड को राजस्थान में दिये जाने का प्रश्न है। मैंने स्वयं जो उनके जनरल मैनेजर हैं कोई मि. सेठ, जो यहां आये थे से बातचीत की। उनको हमारे विभाग के सेक्रेटरी महोदय ने भी लम्बी-चौड़ी चिट्ठी लिखी थी कि राजस्थान की जो आन्तरिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जानी चाहिये। लेकिन कानूनी स्थिति यह है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर हम लोगों का कोई नियन्त्रण नहीं है। अभी हाल ही मैं जब कोटा गया था तो वहां पर श्री राम केमिकल्स के जो मैनेजर है मि. दास उनको बुलाकर उनसे मैंने विशेष तौर से दो बाते कही थीं। एक तो यह थी कि लोकल

Page No 4

(4)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

अनएम्पलायड पर्सन्स को खपाना पड़ेगा। यह जो भावना कोटा रीजन में फैल रही है कि आप लोकल लोगों को एम्पलायमेंट नहीं दे रहे हैं उस भावना को मिटाना पड़ेगा अन्यथा एक सोशल टेन्शन वहां पर पैदा होगा। दूसरा मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि आपको यहां पर अधिक से अधिक कम्पाउन्ड उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अभी तक टोटल प्रोडक्शन का 5 पर्सेन्ट भी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने जो आम तौर पर हिसाब लगाया है तो उनका 15 पर्सेन्ट आफ दी टोटल प्रोडक्शन राजस्थान में खप सकता है। अभी जो उद्योग लगे हुए हैं उनको और आगे आने वाले उद्योगों को विशेष तौर से इस बात के लिए अवगत कराया था। उनको राज्य सरकार की चिन्ता से अवगत कराया था। उनको यह भी कहा था कि अगर वह दोनों बातें नहीं करेंगे तो राज्य सरकार आपको सहयोग देती रहे ऐसा संभव नहीं होगा।

जो प्रश्न संख्या (4) में पूछा गया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सदन की एक समिति बना दें जो इस सारे मामले पर विचार करके सरकार को अपनी राय दे दे। जो संभव हो सकता है इस दृष्टि से करें कि किस प्रकार से स्टेट की रेवेन्यू बढ़े, किस प्रकार से स्टेट के लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लायमेंट मिल सके और किस प्रकार से एन्सीलियरीज यूनिट आ सकें। राज्य सरकार उसका स्वागत करेगी। इसके अलावा जो और सजेशन पेश किये हैं, वह ठीक हैं लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि कोई चलता हुआ उद्योग बन्द हो जाये। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हम डी.सी.एम. को विशेष सुविधा दे रहे हैं। इसका मतलब हम क्या यह निकालें···

श्री अध्यक्ष : क्या कहा है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्होंने कहा है कि विशेष सुविधा अलग से दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा डी.सी.एम. को विशेष सुविधा दी जा रही थी, वही विशेष सुविधाएं देने का जनता सरकार का भी इरादा है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि विशेष सुविधाएं क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अलग से कोई सुविधाएं देते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय, नयी नीति के अनुसार डी.सी.एम. कन्सर्न···

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। नेक्स्ट।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं जवाब देना चाहूंगा।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के एक पहलू का उत्तर

(श्रीमती मदन कौर)

तो काफी विस्तार से दिया परन्तु दूसरे और महत्वपूर्ण पहलू पर कोई प्रकाश नहीं डाला। जब प्रश्नकर्ता ने यह बताया कि डी.सी.एम. का एक दिन का प्रोडक्शन इतना है कि सारी प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज की मांग को फीड कर सकता है, तब फिर क्या कारण है कि कच्चा माल डी.सी.एम. उनको नहीं देता ? क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी करने का प्रयास किया ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्योपतसिंह जी को उत्तर देना चाहूंगा, मैंने जो विशेष सुविधा की बात कही है, उसका मैंने कोई संकलन नहीं किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सप्लीमेण्ट्री में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या विशेष सुविधा दे रहे हैं ? क्या यह आपको पता नहीं है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह उसके बियोण्ड है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं· ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री करतार सिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

No more questions श्री करतारसिंह।

समाज कार्य एवं अनुसन्धान केन्द्र

26. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को भूमिहीन किसान विकास अधिकरण, अजमेर द्वारा पिछले कुछ वर्षों से धनराशि दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो यह धनराशि कब कब, कितनी कितनी, किस किस कार्य हेतु दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित विधान द्वारा इस धनराशि की उपयोगिता सम्बन्धी कभी जांच नहीं की गई और न ही सम्बन्धित संस्था के इस धनराशि सम्बन्धी खर्चे की जांच की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार अभिकरण द्वारा दी गई धनराशि की उपयोगिता संबंधी जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) जी हां।

(2) यह धनराशि दो किश्तों में 13-4-76 एवं 22-3-78 को प्रत्येक किश्त रु. 20,000/– की दी गई···

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 समाप्त हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : (1) जी हां।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(2) यह धनराशि दो किश्तों में दि. 13-4-76 एवं 22-3-78 को प्रत्येक किश्त रु. 20,000/– की दी गई जो पंचायत समिति क्षेत्र जवाजा में सेमी डिटेल्ड हाईड्रोलोजिकल सर्वे हेतु थी। स्वीकृतियों की प्रतियां संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है। क्योंकि स्वीकृति की शर्तों में विभाग द्वारा कोई जांच करवाना अपेक्षित नहीं था। शर्तों के अनुसार संस्था ने स्वयं ही राशि का ऑडिट करवा कर ऑडिट रिपोर्ट 20-9-77 को पेश कर दी थी।

(4) अनुदान स्वीकृति की शर्त संख्या 6 के अनुसार संस्था ने चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट से ऑडिट करवा लिया है। इसी स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुसार कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के प्रतिनिधि व राज्य सरकार द्वारा भी यह हिसाब जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। राज्य सरकार द्वारा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल को जांच के लिए निवेदन किया जा रहा है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है, इसकी कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। इसका जो एग्रीमेण्ट है, उसमें साफ लिखा है कि संस्था जो कार्य करेगी, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार जांच करने के लिए सक्षम है। राज्य सरकार को समय समयपर जांच करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संस्था ने राजस्थान सरकार से कई लाख का अनुदान प्राप्त किया है लेकिन उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है मैं निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी पंचायत मन्त्री ने सदन में यह जांच की घोषणा की थी तथा जांच करवाई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संस्था में काफी घोटाले हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जो अनुदान इस संस्था को देती है, वह बन्द करे।

श्री रतनलाल वर्मा (मिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यदि एक पंचायत का सरपंच 2 रु. की गलती कर दे तो उसके खिलाफ गबन का चार्ज हो जाता है। इस संस्था ने लाखों रुपया लिया है, कृषि के नाम पर लिया है। फिर भी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि जांच की आवश्यकता नहीं है। यह जो उन्होंने कहा है, गैर कानूनी है। मन्त्री महोदय यह बतायें कि इस संस्था को शुरू से कितनी धनराशि मिली है? अब तक कितना रुपया इस संस्था को दिया गया है?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि जांच की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने आडिट करा लिया है। उन्होंने 20-9-77 को राज्य सरकार को ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी है। उसमें लिखा है:–

"That the accounts maintained by Director Social Work and Research Centre and Marginal Farmers' & Agricultural Labourers' Agency shall remain open for inspection by officer of the State Government and by the representative of the Comptroller and Auditor General of India."

(श्री दिग्विजय सिंह)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को 20–9–77 को पेश कर दी है। हम भी कम्प्ट्रोलर एण्ड अकाउण्टेण्ट जनरल को लिख रहे हैं कि वह विस्तृत जांच करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आडिट रिपोर्ट में कोई खामियां पाई गई हैं क्या ?

श्री रतनलाल वर्मा : ऑडिट में कोई खामी पाई गई या नहीं, यह अलग बात है। वह बिलकुल गलत है। फर्जी वाउचर बनाकर फाईल में लगा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बस अब आपने काफी फटकार लगा दी है।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : जो आडिट रिपोर्ट 20–9–77 को भेजी गई है, क्या उसमें गबन साबित नहीं हुआ है ? यह बताने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जब इस संस्था में इतना घोटाला है और उस का काम सन्तोषप्रद नहीं है तो विदेशी लोगों को किस लिए वहां पर लाया जाता है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट में क्या अनियमितताएं हैं ? आडिट रिपोर्ट पेश करने में क्या गवर्नमेंट को कोई रुकावट पड़ती है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऑडिट रिपोर्ट में क्या शिकायत है ?

एक माननीय सदस्य : जांच कराकर क्यों नहीं स्पष्टीकरण दें ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस संस्था में–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को बोलने दीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस संस्था के ऑडिट का सम्बन्ध राज्य सरकार के अधिकारियों से नहीं है। उन्होंने एग्रीमेंट के अनुसार स्वयं ही ऑडिट करवाया है और राज्य सरकार को ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित की है। हम कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल को लिख रहे हैं कि वे इसकी विस्तृत जांच करें। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार उस पर उचित कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह संस्था विदेशों से मिली हुई है ?

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि संस्था की जांच करवाई जायेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करवाई गई है ? यदि करवाई गई है तो उसके क्या परिणाम सामने आये हैं ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के राजदूत तिलोनिया पधारे थे और मेकनमारा भी 24 घन्टे वहां पर रहे, जब कि राज्य सरकार को केवल तीन घंटे का समय दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है? इस संस्था का विदेशों से सम्बन्ध है तथा विदेशी धन भी यह संस्था प्राप्त करती रही है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विशेष तौर से उसी गांव के रहने वाले माननीय सदस्य ने इस संस्था के बारे में इतनी गंभीर आपत्तियां की हैं। दो-तीन माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि वहां पर विदेशों से धन आता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। इस बात को माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह संस्था रजिस्टर्ड है? क्या नियमानुसार इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती? अगर यह संस्था रजिस्टर्ड नहीं भी हो, और विदेशों से धन आ रहा हो तो मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मन्त्रीजी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मान्यवर, अगर उनके पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जावे और दो दिन बाद रख दें। यह ऐसा प्रश्न है जिसका विश्व बैंक और अमेरिका के राजदूत से सम्बन्ध है, विदेशों से धन आ रहा है ऐसी आशंका है, मुझे भी इसकी आशंका है, मान्यवर, इसलिए राजस्थान की जनता में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : यह भी बताया जाय कि ऑडिट रिपोर्ट पेश हो गई तो उसकी अनुपालना की रिपोर्ट भी पेश हो गई क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी जानकारी सदन को दे दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माननीय रामनारायण जी किस प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं यह रजिस्टर्ड संस्था है और काफी वर्षों से काम कर रही है। एग्रीमेन्ट के अनुसार इसको जो ऑडिटेड अकाउण्ट्स पेश करने थे वे कर दिये हैं। हम भी कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल को लिख रहे हैं कि इसकी छानबीन करके रिपोर्ट देवें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रजिस्टर्ड संस्था है, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट एक अलग चीज है। वह तो कागजों के आधार पर होती है। इसमें जो अनियमितताएं है उनकी जांच होना एक अलग बात है। माननीय सदस्य जो अनियमितताओं के बारे में बता रहे हैं क्या मन्त्री महोदय किसी सक्षम अधिकारी से उनकी जांच करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री अब्दुल अजीज।

Page No 9

(9)

मकराना क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य

27. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मकराना क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य कब तक राज्य सरकार पूर्ण करेगी ? हर सड़क का ब्यौरा देने की कृपा करें।

(2) खनिज सड़कों की मरम्मत के लिये खनिज विभागों ने कितनी राशि दी है ? क्या इन सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गुणावती–विदायाद सड़क पर कितना रुपया खर्च किया गया है ? खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) मकराना क्षेत्र में 6 सड़कों पर कार्य चालू है जिसमें से तीन सड़कों का कार्य मार्च, 79 तक पूर्ण होने की आशा है। बाकी तीन सड़कें जो भूमि मिलने व खड़ी फसल कटने के बाद ही पूर्ण होने की संभावना है। प्रत्येक सड़क का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पूरा विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) मकराना से गुणावती सड़क के सुधार कार्य पर 27,700 रुपया खर्च हो चुका है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान मैं सभी कार्यों की तरफ आकर्षित करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि मकराना और गुणावती सड़क, जिस पर 27,700 रुपया खर्च होना बताया गया है, पर कोई भी काम आज तक नहीं हुआ है।

नम्बर दो, सड़क पर भी काम काज नहीं हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं वहां पर दो तीन बार ट्रक उलट गये हैं। भैंसा गाड़ी और मवेशियों को नुकसान हुआ है। इन हालात का जायजा मन्त्री महोदय को नहीं है।

प्रश्न (2). के उत्तर में आपने जो फर्माया है कि ऐसी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची ऐसी मिली है जिसको पढ़ा भी नहीं जा सकता इसलिए आयन्दा ठीक से टाइप करवा कर दिलाई जावे।

आपने दो लाख रुपया लेवर-डूंगरी पर और 3 लाख 65 हजार रुपया बरवाड़ा के लिए फर्माया है। इनका काम भी बन्द पड़ा है सिर्फ 15 दिन पहले थोड़ा सा काम मिट्टी डाल कर शुरु हुआ था। यह लाखों रुपयों की राशि कौन खा रहा है ? मंत्री महोदय को यह जानकारी है या नहीं कि राज के पैसे का उपयोग हो रहा या नहीं हो रहा है ? इस लिए कृपा करके यह बतावें कि सड़कें कितने किलोमीटर बनी हैं और कहां कहां पर डामर डाला गया है ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मकराना से गुणावती सड़क के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। बाकी सड़कों में से

(श्री जयनारायण पूनिया)
कुछ बनने वाली हैं और कुछ में सुधार करना है। डिटेल्स सूची में दिये गये हैं और कितना कार्य हुआ है यह भी बताया गया है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि मंगलाना से मकराना सात किलोमीटर लम्बी सड़क है। मैंने यह जानना चाहा था कि इस पर कितना खर्चा हुआ ? यह सड़क दो किलोमीटर के बाद बन्द कर दी गई है। इससे करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है तथा यह एक जनसाधारण का कार्य है। इसको पूरा करवाया जावे और तिथि भी बतलाई जावे कि कब तक इसको पूरा करवा दिया जायगा।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है उनके बारे में निवेदन है कि इस सड़क के सुधार के लिए तीन लाख रुपया स्वीकृत है अतिवृष्टि कार्यों के अन्तर्गत। इसका सुधार कार्य चालू है और मार्च, 79 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जानकारी दी जा चुकी है, मरम्मत का कार्य जारी है, काम हो जायेगा। मैं स्वयं भी मानता हूं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय ने फर्माया कि सड़क का काम जारी है, मैं वहीं पड़ोस में रहता हूं, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जो झूठी रिपोर्ट देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काम शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

सात-आठ माननीय सदस्यों के द्वारा मुझे यह संकेत दिया गया है कि मैं पहले प्रश्न संख्या 46 ले लूं। यह परम्पराओं के कुछ विपरीत है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि इतने माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछना चाहते हैं। अतः मेरा निर्णय है कि प्रश्न संख्या 46 पूछा जाये।

श्री सूर्य प्रकाश।

एक माननीय सदस्य : फिर तो हम भी स्लिप भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह नियमों के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं, माननीय सदस्य। आयन्दा ऐसी व्यवस्था नहीं हो, इसके लिए यथा सम्भव प्रयास करूंगा, परन्तु मैं विवश हूं, इस प्रश्न को पूछ लिया जाये, यह मेरा निर्णय है।

केवल दो मिनट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो आप एक घन्टे तक पूछ सकते हैं, लेकिन यह नियमों की अवहेलना हो रही है।

श्री अध्यक्ष : उस हद तक मुझे खेद है, क्षमा किया जाये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि रूल को सस्पेन्ड करके यह प्रश्न पूछा जाये।

श्री अध्यक्ष : रूल सस्पेंड हो सकता है, यह जानकारी मुझे है। मैंने यह व्यवस्था दी है....

श्री मथुरादास माथुर : हाउस की कन्सेन्ट लेकर आप रूल को सस्पेन्ड कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हाउस की कन्सेन्ट तो मैंने देख ली। मुझे हाउस का सहयोग तो है। जिस दिन हाउस का सहयोग और कन्सेन्ट नहीं रहेगी, उस दिन इस आसन पर नहीं रहूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम आपके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका आभारी हूं।

श्री सूर्य प्रकाश।

राजसमन्द झील के लिये सहकारी समितियां

46. श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खेरवाड़ा): क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977–78 में जन जाति क्षेत्र के समस्त विधायकों की मांग पर राज्य की जयसमन्द झील के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी समिति बनाई गई है? यदि हां, तो कितनी समितियां बनाई गई हैं?

(2) कितने समय तक इन समितियों ने कार्य किया?

(3) इन समितियों को राज्य सरकार ने क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं?

(4) इन समितियों को मछलियों से कितना लाभ हुआ है?

(5) क्या यह सही है कि समितियों का कार्य निगम ने ले रखा है? यदि हां, तो सहकारी समितियां क्यों बनाई गई हैं?

राज्य मंत्री, जन जातीय क्षेत्रीय विकास (श्री नन्द लाल) : (1) जयसमन्द झील के चारों ओर बसे हुए ग्रामों में रहने वाले आदिवासियों (मछुओं) द्वारा मांग किए जाने पर पशु पालन विभाग (मत्स्य विकास कार्यक्रम) की सिफारिश के आधार पर 5 मत्स्य आखेट सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था।

(2) इन समितियों ने 9 दिसम्बर, 1977 से 30 जून, 1978 तक करीब 7 माह जयसमन्द झील से मछली निकालने का कार्य किया है।

(3) जन जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम, उदयपुर के माध्यम से इन्हें 152 नावें व 485 किलो जाल उपलब्ध कराये गये हैं।

(4) इन समितियों के सदस्यों को 1977–78 में 2.47 लाख रुपया मछली पकड़ने आदि के रूप में निगम द्वारा वितरित किए गए। नावें व जाल भी इन्हें सहायता के रूप में दिये गये। सहकारी समितियों को मछलियां पकड़ने से किसी प्रकार का व्यापारिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि लीज निगम के नाम से राज्य सरकार ने दी थी।

(श्री नंद लाल)

(5) यह सही नहीं है कि मत्स्य आखेट सहकारी समितियों का कार्य निगम ने ले रखा है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य आखेट की लीज निगम को दी गई थी क्योंकि जयसमन्द जैसी बड़ी झील से बड़ी तादाद में पकड़ी हुई मछलियों का वितरण जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम जैसी बड़ी संस्था ही कर सकती है। निगम ने लीज मिलने के पश्चात् मछली पकड़वाने का कार्य समितियों के जरिये करवाया ताकि लाभ स्थानीय आदिवासियों को मिल सके।

श्री सूर्य प्रकाश डोडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समितियां बनाई गई हैं इनका सारा काम निगम ने ले रखा है और समितियों को लीज नहीं दी गई है। अधिकारी लोग एरोप्लेन से यात्रायें कर रहे हैं और समितियों में घाटा बताया गया है। जब समितियां बनाई गई हैं, तो उनको लीज में प्राथमिकता देनी चाहिये थी। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनका शोषण किया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : क्या यह सही है कि सारी सहकारी समितियां फर्जी हैं? उन सहकारी समितियों में कितने विधान सभा के सदस्य हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जब इस झील में मछली पकड़ने के ठेके की बात को कानसिंह आयोग को सुपुर्द किया है, तो क्या अब जो यह ठेका दिया गया है, इसको भी कानसिंह आयोग को रेफर किया गया है?

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मछली पकड़ने का ठेका समितियों को क्यों दिया गया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय किसी सप्लीमेंट्री का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री नाथूराम : इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : पिछले मंत्री महोदय के बारे में कानसिंह आयोग जांच कर रहा है। वह बीस लाख रुपये खा गये और निगम को काम दे दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने रूल्स को सस्पेन्ड करके इस प्रश्न के पूछने की इजाजत दी है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय तो मौन साधे हुए हैं। एक भी सप्लीमेंट्री का उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक सप्लीमेंट्री का उत्तर आ जाये, उसके बाद ही दूसरा पूछा जाये, तो उचित होगा और स्थिति साफ हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : यह तो सदन के कान्सेन्सस का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर आ जाये, उसके बाद में दूसरा पूछा जाये, यह तो माननीय सदस्यों को समझना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री महोदय कुर्सी से चिपके हुए हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं। इसका उत्तर दिलवा दीजिये।

(व्यवधान)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
या तो इनको जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय को आदेश दिया जाये कि वह उत्तर दें।

श्री नवनीत पालीवाल : आप बैठेंगे तभी तो उत्तर दे सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जान बूझकर प्रश्न का उत्तर नहीं आने दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

जोर से बोलकर प्रश्न का उत्तर नहीं आने देते।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि गत वर्ष कितनी राशि का ठेका दिया गया, कितना खर्चा किया गया और कितना मुनाफा हुआ? अगर मुनाफा नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है? अधिकारियों को हवाई जहाज से बम्बई, कलकत्ता जाने की क्या आवश्यकता थी जब कि वे इस प्रकार की यात्रा के अधिकारी भी नहीं थे? यह भी बतायें कि निगम को कितने करोड़ रुपये की राशि सामग्री खरीदने के लिए दी गई?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपए की रिश्वत के बारे में शिवचरणसिंह जी ने कह दिया और यहां तक कहा कि यह खा गये . . .

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चार्ज लगाया कि पुरानी रियासत के जमाने से एक कपूर ठेकेदार था। उस ठेके के सिलसिले में भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ कानसिंह आयोग के तहत जांच चल रही है। जयसमन्द झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और एशिया की सबसे बड़ी आर्टीफिशियल लेक है। उसमें करोड़ों रुपयों की मछली है। इसके ठेके में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उसकी जांच करने के लिए आयोग को यह मामला दिया हुआ है। इस दल के सदस्यों का प्रश्न है, इनको हिस्सा मिला या नहीं इनकी नाराजगी है। ये मेरे पास आयें, मैं इनको सारे घोटाले बताऊंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके समय के घोटाले हैं, जब आपका राज्य था और आप मंत्री थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आरोप और प्रत्यारोप समाप्त कीजिए कृपया।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : बैठ जाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए जांच करा रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : जांच कराइये लेकिन…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री नाथूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, गवर्नमेन्ट की तरफ से इसका उत्तर आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करने के बजाय इस पर आधा घन्टे की चर्चा उपयुक्त समझता हूं। आधा घंटे की चर्चा इस प्रश्न पर की जायेगी, यह मेरी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या को कुछ कहना है। बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का सम्मान रखते हुए निवेदन करना था कि प्रश्न का कोई जवाब आता तो आधा घन्टे की चर्चा उठाई जाती। मन्त्री महोदय अपना मुंह खोलें ही नहीं और बोलें ही नहीं तो फिर आधे घण्टे की चर्चा कैसे उठाई जाएगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय अगर मौन व्रतधारी होकर विराजमान हो जाते हैं तो मैं उनको विवश नहीं कर सकता हूं कि वह उत्तर दें। मन्त्री महोदय का उत्तर आप सुनिये, शांतिपूर्वक।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह चार्ज लगाया गया है कि 20 लाख का घोटाला है, इसलिए इस पहलू का मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया वही आज व्यवधान डाल रहे हैं बीच में बोलकर।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा को मछली बाजार बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष का व्यवहार शालीन होना चाहिए। कृपया मंत्री महोदय का उत्तर तो सुनिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आप व्यवस्था दीजिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था तो हो चुकी है।

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न काल में कौनसी व्यवस्था का प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है। वही वाला सवाल है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : विधान सभा आपने अभी देखी है इसलिए आप ही अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम पाक हैं। आपकी तरह नापाक नहीं हैं। आप सारे के सारे नापाक हैं।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : तुम बेईमान हो।

(व्यवधान)

सतीशचन्द्र जी के घर पर 3 लाख की अटेची पकड़ी गयी और एक आदमी भी आपकी तरफ से नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिए। मंत्री महोदय आप उत्तर दे दीजिए। फिर चर्चा नहीं होगी इस पर।

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द झील का ठेका पहले रियासत के वक्त से मिस्टर कपूर को 1।। लाख रुपये की रायल्टी पर दिया जाता रहा। उसके बाद 1975–76 से इसकी रायल्टी राज्य सरकार ने बढ़ा दी। गत वर्ष 3 लाख की रायल्टी पर पशुपालन विभाग द्वारा निगम को ठेका दिया गया। इसके साथ ही जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का कार्य है, उसके लिये जयसमन्द के आसपास आदिवासियों की 5 सोसाइटी बनाई गई हैं, उसके 515 सदस्य हैं। उसमें से 5–6 सदस्य गैर आदिवासी हैं बाकी सभी आदिवासी सदस्य हैं। इस वर्ष इसी जयसमन्द झील का ठेका 6 लाख रुपये में निगम को पशुपालन विभाग द्वारा दिया गया है....

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और कितनी आमदनी हुई ?

(व्यवधान)

अधिकारियों ने हवाई जहाजों से दौरा किया, लाखों रुपये का दुरुपयोग किया। सब विधायकों ने मांग की थी कि ठेका समितियों को दिया जाये तो जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम को क्यों दिया गया ? यह मंत्री महोदय स्पष्ट करें। इसमें लाखों रुपये का घोटाला है। आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है।

श्री कौशल किशोर जैन : आदिवासियों के आंसू पोंछने के लिये समितियां बनाई गई। उनको ठेका क्यों नहीं दिया गया ? यह पूछना चाहता हूं।

श्री नाथूराम : मेरी यह मांग है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। आदिवासियों का शोषण हुआ है। निगम के जो अधिकारी

Page No 16

(16)

(श्री नाथूराम)

(व्यवधान)

इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री मूलचन्द।

श्री नाथूराम : आधे घंटे की चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष : आदिवासी सदस्यों के प्रति मेरी सहानुभूति है। आपको आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिये समय दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बाहर की जनता हमको देखती है, यह हो क्या रहा है आखिरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें अन्यथा इस सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं होगा। देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रश्न को पूछने का कोई नतीजा नहीं निकला। आपने बाकी क्वेश्चन को कैंसल कर के इसको रखा। कोई तरीका बनायें जिससे इस सदन की गरिमा बनी रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राज्य की उद्योग नीति

28. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य की उद्योग नीति क्या बनी है और क्या उसका ब्ल्यू प्रिंट बन चुका है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उद्योग नीति से अभी बेरोजगारों को 7 लाख को रोजगार उपलब्ध हो जावेगा? यदि हां, तो किस तरह और इसमें कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार की ओर से खर्च करने के क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) राज्य की औद्योगिक नीति व राज्य के औद्योगीकरण का ब्ल्यू प्रिंट जारी किया जा चुका है। ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नई औद्योगीकरण नीति से राज्य के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जावेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राज्य में औद्योगिक विकास पर 6305 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस विनियोजन से उद्योगों के क्षेत्र में कोई 7.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

(ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान में आज कितने लोग शिक्षित और प्रशिक्षित बेकार हैं? प्रति वर्ष आपकी आर्थिक विकास की दर क्या होगी और आप कितने आदमियों को प्रति वर्ष एम्प्लायमेंट दे सकेंगे? बेकारी की समस्या का कब तक सरलीकरण कर सकेंगे? आपने जो ब्ल्यू प्रिन्ट मेज पर रखा है उसमें न तारीख है न मन्थ। कौन सी तारीख को

(श्री मूलचन्द डागा)
प्रकाशित किया है यह उसमें नहीं है। मैं चाहता हूं राजस्थान की औद्योगिक नीति निकली है उसको सदन के सामने रख कर सदन का विश्वास अर्जित किया जाये। सदन के अन्दर इस पर बहस हो कि कौन सी नीति बन गई, कौन सी नीति है, किस प्रकार की नीति है। वह भारत सरकार की नीति की नकल है या आपकी सूझबूझ से बनी नीति है, आप कृपा करके बतायें। 1978–79 में कितने लोगों को आप एम्प्लायमेंट देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या नई औद्योगिक नीति के तहत, माननीय मंत्री महोदय, ...

(व्यवधान)

राजस्थान के कामगरों को, उद्योगों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जायेगा ? लाला सोहन लाल सिंघानिया की फैक्ट्री में एक व्यक्ति कोटा नगर का नहीं है। भरतराम चरत राम की फैक्ट्री में आज की तारीख में राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं है। मेरा चैलेन्ज है, राजस्थान के मजदूरों के लिये आपने कुछ नहीं किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप उधर क्यों बैठे हैं, इधर आ जायें ....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलना चाहिये अन्यथा यह औद्योगिक नीति बेकार साबित होगी। 80 प्रतिशत राजस्थान के लोगों को खपाने के लिये तय करें।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो जिला स्तर पर केन्द्र स्थापित किये हैं उनमें डाइरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर, जोइंट डाइरेक्टर की जो भीड़ खड़ी की है, उनसे हमको वास्तविक लाभ कितना है इसके अनुसार कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका कोई ब्ल्यू प्रिन्ट बनाया गया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब आने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास जी माथुर। फिर जवाब मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री जी ने 6305 लाख रुपये छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में औद्योगिक विकास पर खर्च करने के लिये रखे गये हैं तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गई है ? आपके ड्राफ्ट प्लान के अन्दर यह बताया गया है, यह हमको पता नहीं है। छठे प्लान का डाकूमेंट हमारे सामने आया नहीं। ऊपर से मन्जूर हुए होंगे। यह आंकड़े कहां तक ठीक हैं ? क्या यह ऊपर प्लानिंग कमीशन से पास हो चुके हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ....

एक माननीय सदस्य : जवाब आने दो।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ सकते हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आपकी नई नीति के मुताबिक ऐसी इम्पोर्टेड मशीन्स आई हैं जो 100 कारखानों के बराबर एक मशीन है। अब आप कितनी मशीनें और इम्पोर्ट करके लाखों उद्योगों की मशीनों को बेकार करेंगे और बेरोजगारी को बढ़ायेंगे ? इसकी घोषणा भी कर दें कृपया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं। माननीय मथुरादास जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं सबसे पहले उसके सम्बन्ध में उत्तर देना चाहूंगा। 6305 लाख रुपये का व्यय किये जाने का हमारी तरफ से प्रस्ताव है। जब कभी अन्तिम रूप से स्वीकृति हो जायेगी तो पहले सदन को आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, पूर्ण सूचना दे दी जायेगी।

जहां तक राज्य के कामगरों और दूसरे लोगों को खपाये जाने का प्रश्न है और जो इन्डस्ट्रीज और डी.सी.एम. के बारे में कहा तो हमारी उद्योग नीति में यह बात है कि लोकल लोगों को उद्योगों में अधिक से अधिक एम्पलायमेंट मिले चाहे वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हों और चाहे बड़े उद्योग हों इस के बारे में जितने माननीय सदस्य चिन्तित हैं, उतना ही चिन्तित मैं भी हूं। राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि स्थानीय लोगों को उचित स्थान प्राप्त हो।

जहां तक डी. आई. सेन्टर्स का प्रश्न है जो कि माननीय कौशल किशोर जी ने उठाया उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज सेन्टर्स आल इंडिया पालिसी का कनसेप्ट है। वह भारतीय औद्योगिक नीति के अन्तर्गत चलाये जाते हैं। वन विन्डो सर्विस हो ताकि टेक्निकल नो हाऊ और सभी कार्य एक स्थान पर हो जायं। जो उद्योगपतियों के समाने डे टू डे डिफिकल्टीज आती हैं, दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिये जिले को एक इकाई मानकर पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज सेन्टर्स कायम किये जाने की योजना थी। हमारे यहां 26 जिले हैं, 26 जिलों में से अभी हम 9 जिलों में ही काम शुरू कर पाये हैं। इन 9 जिलों में हो सकता है क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा हो तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए जिन 9 जिलों में काम शुरू किया है उनको फिलहाल अब तक दूसरे जिलों में काम शुरू नहीं हो जाता है बांट दिया जायगा।

माननीय डागा जी ने प्रश्न उठाया है कि उद्योगों में कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित लोग हैं। मैं वह सूचना तो आज लेकर नहीं आया हूं, आप चाहेंगे तो बाद में आपको बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह नहीं कहा.

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मेरा जवाब सुन लीजिये।

जहां तक ग्रोथ रेट का सवाल है, इसको अभी तक निर्धारित नहीं किया है। विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो क्षमता है, उस बारे में मैं उनसे परामर्श कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मेरा प्रश्न तो यह था कि आर्थिक विकास की दर क्या होगी ? 1977–78 में कितने आदमियों को एम्पलायमेंट दे देंगे ? मेरे ये दो प्रश्न थे, इन दोनों का ही उत्तर नहीं आया। ब्ल्यू प्रिन्ट पर 4–6 आदमी बैठकर विचार मत करिये, इसको सदन में रखिये··

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं बहस के लिये तैयार हूं··

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिले, इस बारे में आपका क्या कहना है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वे भी इस बात से चिन्तित हैं कि राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि राजस्थान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी ? ऐसा कोई प्रावधान है क्या ?

श्री मूल चन्द डागा : सबसे बड़ी बात यह है कि सदन को गुमराह किया गया है। ब्ल्यू प्रिन्ट नहीं रखा गया है, राजस्थान की औद्योगिक नीति को सदन में नहीं रखा गया है··

श्री प्रद्युम्न सिंह : There is vast difference between the industrial policy and the industrial growth rate of production.

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में जब बंगाल की सरकार बंगालियों के लिये 80 प्रतिशत सुरक्षित कर सकती है तो राजस्थान की सरकार 80 प्रतिशत राजस्थानियों के लिये स्थान सुरक्षित क्यों नहीं कर सकती है ?

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत...

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अच्छी बात को अच्छी कहना हमारी आदत है। बुरी बात को बुरी कहते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। माननीय सदस्य।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से आपकी मार्फत एक बात पूछना चाहता हूं। वे भी मेरी बात से सहमत होंगे, मार्च 77 में इन्डस्ट्रियल ग्रोथ 10.5 थी। एक साल बाद गिर कर 3.5 हो गई। उसी सन्दर्भ में····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह बिल्कुल गलत है। आपकी आदत पड़ गई है गलत बयानी की।

(व्यवधान)

गलत बयानी की आदत पड़ गई है:— एक दम गलत, एकदम झूठे···

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : I seek your protection, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आधा ही प्रश्न रखा है, आप और रख देने दीजिये--पूरा प्रश्न तो हो जाये। अभी तो मैंने आधा ही प्रश्न पूछा है, इतने में ही आपने प्रश्न काल समाप्त कर दिया। इसी सन्दर्भ में राजस्थान में इन्डस्ट्रियल ग्रोथ गिर गई. . . .

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे हैं जो शान्ति से अपनी बातें पूछना चाहते हैं। हम शान्ति के पक्ष में हैं। श्रीमन्, हम कई बार खड़े हुये लेकिन बोलने की इजाजत नहीं मिली। आगे से कृपया हमारी तरफ भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल इसके बाद समाप्त होगा। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, आप प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं देंगे यह तो मन्त्री महोदय जानें।

श्री माधोसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से यह हट गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा प्रश्न मूल से सम्बन्धित नहीं हो तो आसन से आप व्यवस्था दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल लेवल पर सारे देश की औद्योगिक ग्रोथ रेट 8 पर्सेन्ट होने की उम्मीद की थी जो अब तक 6 पाइन्ट तक आई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 3.5 से अधिक 6 पर्सेन्ट तक आई है और डेढ़ साल पहले 10.5 पर्सेन्ट थी तो फिर आप एडीशनल लोगों को कैसे एम्पलायमेंट दे देंगे? इसको स्पष्ट कर दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मूल प्रश्न से कतई सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कल्पना है, हमारा स्वप्न है कि···

(व्यवधान)

सुनने की क्षमता रखिये, बात सुन लीजिये पहले।

(व्यवधान)

क्षमता रखिये बात सुनने की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मुझे उत्तर देने दीजिये। आप सुनिये तो सही···

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, सपना क्या होता है? हकीकत क्या है यह मन्त्री महोदय बतावें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो सपना लेते हैं वही काम भी करते हैं, आप जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते।

श्री नूरा : सपना लेने वाले सोते रहते हैं। हकीकत क्या है, यह बतावें।

(व्यवधान)

Page No 21

(21)

श्री राम प्रसाद लड्ढा : गांधीजी के सपनों के आधार पर तीस साल तक राज्य करने वाले आज तक क्या करते रहे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

No more प्रश्न, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा प्रश्न संख्या 43 बहुत महत्वपूर्ण है.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में मुझ से बात कर सकते हैं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप आसन को सहयोग दीजिए। बराबर ऐसी व्यवस्था चल रही है कि इस सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो रहा है। आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस तरीके से व्यवहार करना अच्छा नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोतर

सन् 1976, 77, 78 में किसानों को बाढ़ से हुई क्षति का मुआवजा

24. **श्री हरिसिंह (फुलेरा)** : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1976, 77, 78 में बाढ़ के कारण, कहां-कहां, कितनी चाही जमीन बंजर हो गई है ? विस्तृत विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र के प्रभावित किसानों को इसमें क्या राहत दी गई है ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र की जमीनों का लगान माफ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभिन्न जिलों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार चाही जमीन बंजर नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्योपतसिंह मकासर सदस्य विधानसभा की ओर से घग्घर नदी की बाढ़ से राजस्थान की सीमा में हजारों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलों को क्षति हुई है, इस विषय में।

यह प्रस्ताव विचाराधीन है और राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेज दिया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में राजस्थान नहर का बिना फिल्टर किया हुआ पेयजल प्रदान करने के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली में उम्मेद मिल के मजदूरों की हड़ताल के विषय में।

(4) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग के महिला कर्मचारी संघ की मांगों के विषय में।

(5) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर-देहली मार्ग पर बीच के स्थानों से यात्रियों को न लेने की व्यवस्था के विषय में।

(6) सर्वश्री शंकरलाल, रामरघुनाथ, अब्दुल अजीज, माधोसिंह व सूरजपालसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के पशुपालकों को चराई के लिए पूर्वी इलाकों व मध्यप्रदेश में जाने से रोकने के विषय में।

(7) सर्वश्री नूरा व शिवचरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज और दुर्व्यवहार के विषय में।

ये सब प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजे जा रहे हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) सर्व श्री रामनारायण चौधरी व दूलाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा राजस्थान में किये गये परमाणु परीक्षण को दुर्भाग्यपूर्ण बताने की घटना के विषय में।

यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में सर्वथा असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए दो-दो मिनट का समय सबको मिलना चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव घग्घर नदी की बाढ़ से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है, खास करके विरोधी दल के, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कि जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत होते हैं उन पर आसन उदारतापूर्वक आपका सहयोग लेकर चर्चा करने की इजाजत देता है, तो एक घण्टे तक चर्चा हो जाय। उसके बाद अगर आसन के द्वारा यह निर्णय लिया जाय कि अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी तो कृपया आप अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। तीन-तीन, चार-चार घण्टे तक स्थगन

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्तावों पर निरर्थक, अपूर्ण बहस होती है तो इससे सदन की गरिमा बढ़ती नहीं है बल्कि दुर्व्यवस्था की परिचायक है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मैं इस पर चर्चा कर सहमति प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो आपने एक घण्टे की बात कही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आवर में भी पीछे रह जाते हैं, चाहे वह कितना ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन क्यों न हो। इसी तरह से एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनमें भी हम पीछे रह जाते हैं, एक घण्टा खतम हो जाता है। बड़ा इम्पोर्टेन्ट विषय होता है तभी एडजोर्नमेंट मोशन रखा जाता है। जिसका महत्व होता है, इम्पोर्टेन्स होती है उसे भी एक घण्टे में खतम कर दें तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा विधान सभा में बैठने का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक घण्टे तक स्थगन प्रस्तावों की परम्परा नहीं रख कर जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं वे, दो दो मिनट बोलने की जो परिपाटी है, उसके अन्दर 3·4 मिनट बोल लें ताकि सभी लोग, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, अपनी भावनायें इस हाउस में रख सकें। इस परम्परा को जारी रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है, मैं कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स इस बारे में नहीं कायम करना चाहता हूं। यथासम्भव यह प्रयास होगा। आपका सहयोग होगा तभी यह सम्भव हो सकता है, अन्यथा कैसे हो सकता है? माननीय सदस्य सहानुभूतिपूर्वक कृपया विचार करें, सहयोग दें यही मेरा निवेदन है, कोई निर्णय नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह घाघर नदी····

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : राजस्थान के अन्य भागों में इस बार अभूतपूर्व वर्षा से बाढ़ आई, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति रही··

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन से एक निवेदन करना चाहूंगा। बाढ़ के प्रश्न पर कल ही मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम एक पूरे दिन की बहस के लिए तैयार हैं। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर इस विषय पर चर्चा कर शीघ्रातिशीघ्र तारीख तय करने को तैयार हैं। उसके बावजूद बाढ़ की बात को अगर आप मुनासिब समझते हों तो कहने दें।

श्री मथुरादास माथुर : मन्त्री महोदय, बाढ़ पर बहस तो होगी लेकिन माननीय सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये कोई महत्वपूर्ण सवाल सामने लायें तो बहस में आपको जवाब देने में आसानी रहेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे इस बात का पहले ही खयाल था। इसके बावजूद मैंने यह प्रस्ताव क्यों रखा वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो घग्घर नदी की बाढ़ से 150 मील की खड़ी फसलें तबाह हो गई, बाकी जो बची हैं वे बिना पानी के और तबाह होंगी। डेढ सौ मील की बैल्ट, जहां पर लाखों टन धान पैदा होता है, में पाकिस्तान के बोर्डर से हमारे तलवाडा झील तक पहले तो बाढ़ से फसलें तबाह हो गई और अब जो कुछ धान की फसल बाकी बची हैं उस बैल्ट में वह बिना पानी के तबाह हो रही है। धान की बची हुई फसल को बचाने के लिए पहले भी परिपाटी रही है, राज्य सरकार की नीति रही है कि उस बैल्ट की धान की फसल को बचाया जाय, इसलिए राजस्थान कैनाल क्षेत्र से पानी छोड़ा जाता रहा है। लेकिन इस साल पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान कैनाल में पानी न छोड़ने से नदी का जो पानी पाकिस्तान की तरफ बहकर जाता है उसको रोककर धान की फसल बचाने के लिए 15–20 दिन पानी राजस्थान कैनाल से दिया जावेगा। 15 दिन से एक बूंद भी भी पानी नहीं है जिससे बची हुई फसल भी तबाह हो जाएगी। पंजाब के अधिकारियों ने राजस्थान कैनाल मे पानी छोड़ने से इन्कार कर दिया है। हमारे इन्जिनियरों ने उनसे बात की लेकिन उनका कहना है कि पहले हमको हमारा रुपया दो। राजस्थान कैनाल का कुछ हिस्सा, जो पंजाब में पड़ता है, कुछ डैमेज्ड है। हमारी सरकार इस बात का पंजाब के साथ फैसला नहीं कर रही हैं और अधिकारियों को इस बात का अधिकार नहीं है कि इस तरीके से पैसा दें। जब भी सदन में बाढ पर बहस होगी तब मैं इस सवाल पर अपने विचार रखूंगा, अभी मेरा इतना ही निवेदन है कि पानी आपने किसानों को लेट दिया तो पूरे बैल्ट में जहां बाढ़ आई है, सोइंग लेट हो जायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 15 अक्टूबर तक घग्घर नदी के बैल्ट में किसानों को पानी देने की व्यवस्था करें। अगर 15 तारीख तक पानी नहीं दिया गया तो लाखों टन धान की फसल, जो वहां पर बची हुई है, बर्बाद हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि 15 अक्टूबर तक पानी देने का प्रयत्न कीजिए। पंजाब हमें अपना पानी नहीं दे रहा है, इस वजह से वहां पर फसलें तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान को हमारा पानी जा रहा है। मेहरबानी करके पंजाब के अधिकारियों से बातचीत कीजिए कि हमारा पानी हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? पानी न देने की वजह से लाखों टन धान की फसल बरबाद हो जाएगी। उसको बचाने की आप कोशिश कीजिए। 15 तारीख के बाद पानी छोड़ा तो सोइंग लेट हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पानी देने की व्यवस्था की जाकर उस इलाके के किसानों को नुकसान से बचाया जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आज से 6 महीने पूर्व मैंने इसी जगह, इसी सदन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा करके जनता सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी परन्तु जैसे भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, वैसी ही उस सवाल की गति हुई है।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की तीन लाख जनता का यह सवाल, मामला मैंने इस सदन

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
में उठाया था कि किस प्रकार राजस्थान नहर का बिना फिल्टर किया हुआ गंदा पानी, जिस में हानिकारक कीटाणु हैं, बिना साफ किए हुए बीकानेर शहर की टंकियों में मिला कर दिया जा रहा है। इस योजना का कार्य चालू है। जो राशि बीकानेर में राजस्थान नहर का पानी देने के लिए स्थायी योजना के लिए थी वह 3 करोड़ 80 लाख रुपये की थी। इस स्थायी योजना में पानी को फिल्टर करने के लिए प्लान्ट लगाये जाने की भी योजना थी परन्तु उस पर कार्य नहीं करके 32 लाख रुपये दूसरी योजना पर खर्च किए जा रहे हैं जिसमें पानी को फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के पी. एच. ई. डी के चीफ इन्जीनियर, राजस्थान नहर बोर्ड के चेयरमेन और हमारे राज्य के राज्यमंत्री महबूब अली के दिमाग का यह दिवालियापन है। इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उस योजना पर व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। जब 3 करोड़ 80 लाख की योजना स्थायी रूप से लूणकरणसर लिफ्ट कनाल से बीकानेर शहर को एक करोड़ गैलन पानी देने की थी, तो पहले उस पर कार्य होना चाहिए था परन्तु उस पर कार्य न करके अस्थायी योजना के लिए स्वीकृति दी गई है और उस पर 32 लाख रुपया व्यर्थ ही खर्च किया जा रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए मुझे बोलने का मौका दें। पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था परन्तु उसका कोई जवाब न मुख्य मंत्री महोदय ने दिया और न राज्य मंत्री महोदय ने। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसका जवाब दे। यह जो महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब दे। यह बीकानेर की तीन लाख जनता के जीवन-मरण का सवाल है? हमारे भारत के प्रधान मंत्री हैं वे स्वयं मूत्र पी सकते हैं परन्तु बीकानेर की जनता मूत्र नहीं पी सकती?

जयपुर शहर, उदयपुर शहर, कोटा को फिल्टर किया हुआ पानी दिया जा रहा है तो बीकानेर शहर को फिल्टर किया हुआ पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। श्रीमन्, राजस्थान नहर के पाइप रद्दी हो गये हैं उनमें जंग लग गई है। वह पाइप पी.एच. ई.डी. ने इस अस्थायी योजना के लिए खरीद किये हैं। अगर राजस्थान नहर योजना के अन्दर उन पाइपों को यूज नहीं किया जा सकता था, या वे यूज करने के लायक नहीं थे तो क्या वजह थी कि बीकानेर शहर की योजना के लिए वे जंग लगे पाइप लिये जा रहे हैं। उन पाइपों से पानी पास नहीं हो सकता है। बीकानेर शहर की सड़कों पर वे ठीक करके लगाये जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपको दुनियां के एक्सपर्ट की रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा है कि बिना फिल्टर किए हुए पानी में क्लोरिन एड करने से बेक्टीरिया नहीं मर सकते हैं। यह साफ लिखा है उस रिपोर्ट में। जो फिल्टर्ड पानी है उसमें क्लोरिन मिलने पर तो बेक्टीरिया मर सकते हैं वरना नहीं मर सकते हैं। बिना फिल्टर किया हुआ पानी बीकानेर शहर को दिया जा रहा है तो निश्चित तौर से हजारों लोग उससे बीमार होंगे। उस पानी के पीने

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
से शहरी जीवन अच्छा नहीं रहेगा। श्रीमन्, मैं आपके समक्ष यह प्रश्न रख रहा हूं क्योंकि हमारी यह सरकार बहरी है, गूंगी है और जनता के हित को देखने वाली नहीं है। यह मेरा इस सरकार पर आरोप है। 6 महीने पहले मैंने इस सदन में यह आरोप लगाया था किन्तु उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। अब 32 लाख रुपया इस अस्थायी योजना पर खर्च कर रहे हैं। यह सारा पैसा फिजूल जायेगा। बीकानेर शहर को इससे शुद्ध पेय जल नहीं प्राप्त होगा। 32 लाख रुपया इस ढंग से इस योजना पर खर्च किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

मुझे दो मिनिट और दें ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं।

इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। यह दुनिया के एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बिना फिल्टर किए हुए पानी में क्लोरिन डालने से बेक्टीरिया नहीं मर सकते हैं। ऐसे पानी में क्लोरिन डालने से टी.बी. के कीटाणु, पेट की आंतों के कीटाणु, लीवर के कीटाणु नहीं मर सकते हैं। वे लोगों के जीवन को समाप्त कर सकते हैं।

श्रीमान्, इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए। किसी भी तरह से सरकार का जवाब हो और उस पर सदन में चर्चा की जाए। तीन लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीकानेर बंद रहा, आन्दोलन हुआ तो राजस्थान के मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि बीकानेर शहर को अनफिल्टर्ड पानी नहीं दिया जाएगा। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन से भी यह सरकार पीछे हट रही है। रात दिन इस योजना पर काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के जरिए मैं अपनी इस बहरी, गूंगी सरकार, जो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखती है, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हो गया। आपने इसके बारे में यहां पर चर्चा उठायी है, आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। सन् 1978 में राजस्थान के बीकानेर जैसे नगर के नागरिकों के लिए स्वच्छ जल, पेय जल की व्यवस्था अगर सरकार नहीं करती है तो यह गंभीर विषय है और खेद का विषय है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): सरकार बोले तो सही।

श्री अध्यक्ष : स्थिति में नहीं है। सदन की प्रोसिडिंग्स में सब बातें हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से कोई जवाब तो आना चाहिए। सारे मंत्री नपुंसक हो चुके हैं। ..They cannot speak. They have become impotent. They can speak before the Chiof Minister but they cannot speak before the Speaker.

श्री मूलचन्द डागा : यह तो चरणसिंह ने भी कह दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जोश में आकर इस प्रकार

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
के जो अभद्र शब्द कहे गये हैं उनको एक्सपंज किया जाए ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने कोई अभद्र शब्द नहीं कहे हैं। चौधरी चरणसिंह ने जो पत्र लिखा है उसमें यह लिखा है : "... a pack of politically impotent persons."

You hove kept silence and there fore you are politically impotent. You cannot have the feeling of the masses.

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): यह सदन गाली गलोच का मार्केट नहीं है। इस शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपने पार्लियामेन्ट्री राइट्स में जो कुछ कहा है, वह अनुचित नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): नपुंसक जैसा शब्द यूज करके कोई शान नहीं बढ़ेगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : Blind. deaf and dumb are parliamentary expression,

श्री नवनीत पालीवाल : यह नपुंसक शब्द भी पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है ?

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नपुंसक शब्द मंत्री के लिये यूज किया जा सकता है ? इसके ऊपर आप पुनर्विचार करें।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले आप मालूम करें।

श्री अध्यक्ष : जहां तक आसन का प्रश्न है आसन की समझ और सूझ बूझ के अनुसार व्यवस्था दे दी गई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : इस आसन की जो व्यवस्था है उसको यदि सरकारी मुख्य सचेतक एवं संसदीय कार्य मंत्री ही चुनौती दें तो मैं समझती हूं कि हमारे सदन का डेकोरम नहीं रहेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने कोई चुनौती नहीं दी है। मैंने निवेदन किया है। जो मेरा अधिकार है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगर यह चुनौती नहीं है तो मैं समझती हूं कि ...

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : नपुंसक शब्द से क्या अर्थ लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बीकानेर शहर को बिना फिल्टर किया हुआ पानी देने के प्रश्न पर चर्चा की गई। इसके बाद ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

सरकार का अगर बहुमत है, सरकार चाहे तो कर सकती है। आसन का अधिकार है जो समझ बूझ के अन्दर आता है उसके अनुसार व्यवस्था देने का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि यह आसन सर्वोच्च सत्ता संपन्न है। बहुमत के आधार पर ग्रासन को इस प्रकार चुनौती देना · · ·

श्री नवनीत पालीवाल : चुनौती किसने दी है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्रासन की की व्यवस्था को सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतक इस प्रकार से चुनौती देने की नई परम्परा न डालें।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने यह कह दिया था कि जनता पार्टी कुत्तों की तरह लड रही है· · · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं विनम्र रूप से एक प्रार्थना आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। कोलायत से ग्राने वाले माननीय सदस्य महोदय ने स्थगन प्रस्ताव यहां रखा और रखने के बाद उन्होंने चर्चा की, कि इसके बारे में कोई भी मंत्री नहीं बोल रहा है। इस कारण से नपुंसक की संज्ञा उन्होंने देने की कोशिश की है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या स्थगन प्रस्ताव का प्रत्युत्तर उसी समय मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को देना चाहिये ? अगर ऐसा न हो तो क्या इस प्रकार के शब्द का उच्चारण करने की आवश्यकता है ? मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह शब्द कार्यवाही से निकालना चाहिये। हम कोई चैलेन्ज नहीं कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव रखने के बाद कोई भी उत्तर उसी समय मन्त्रिमण्डल से नहीं आये तो नपुंसक शब्द का प्रयोग करें, इसका क्या मायना हुआ ?

श्री राम नारायण चौधरी : पहले मंत्री जी खड़े हुए थे और रूलिंग हुई थी कि. .

(व्यवधान)

एडजोर्नमेन्ट मोशन रखते हैं तो. .

(व्यवधान)

इस समय आप इस तरह कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब देना चाहिये, यह तो ठीक है, मगर क्या जवाब देना कंपलसरी है ?

श्री अध्यक्ष : सब स्पीकर बन कर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। यह अनावश्यक है।

सरकार को कोई भी विरोधी पक्ष का माननीय सदस्य मजबूर नहीं कर सकता कि वह उत्तर दे। इसी कारण मैंने माननीय सदस्य के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है और कहा है सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिये।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का. .

(व्यवधान)

मैं जल्दी कोशिश करूंगा खतम करने को. .

श्री संपतराम (गृह मंत्री) अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये· · ·

(व्यवधान)

श्री नूरा : मंत्री जी बीच में बोलना चाहते हैं। समझ में नहीं आता, जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय के द्वारा व्यवस्था देने के बाद आपको सुनना चाहिये कि हम क्या कहना चाहते हैं।

श्री संपतराम : पार्लियामेंट्री पद्धति है। विरोधी पक्ष और इस पक्ष के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय बहुत से मुद्दे उठाये जाते हैं। सरकार का दायित्व है कि जो मुद्दे उठाये जाते है उनका उत्तर दे। लेकिन ऐसा होता है कि सरकार को जवाब देने के लिये कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है। तथ्यों के बगैर यदि सदन में जवाब दिया जाता है तो यह सदन के लिए और सरकार के लिये भी उचित नहीं है। इसलिए सरकार को उत्तर के लिये कोई तकाजा नहीं किया जाय, उत्तर का इन्तजार नहीं किया जाय और पहले ही नपुंसकता की संज्ञा दे दें, तो इसका परीक्षण करके देखें कि नपुंसक कौन-कौन है···

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : कितना एब्सर्ड जवाब है।

(व्यवधान)

इसे आप अपने पास रखिये ···

(व्यवधान)

इसमें नपुंसकता का सवाल···

(व्यवधान)

सभी लोग स्थगन प्रस्ताव रखेंगे ···

(व्यवधान)

इस सवाल को···

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मिनिट दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केन्द्र में यह विवाद उत्पन्न हुआ है, और केन्द्र में विवाद उत्पन्न किसने··

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सुनिये। केन्द्र में भी यह विवाद उत्पन्न हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने केन्द्र के मंत्री महोदयों पर यह आरोप लगाया और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पर यह आरोप लगाया और किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह अनपार्लियामेन्ट्री है, आपत्तिजनक है। उस पर सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

कई माननीय सदस्य: हिअर ! हिअर !

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री महोदय बार बार उठ कर खड़े हो जाते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक जरूरी सवाल रखा है।

श्री नरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। 5 जून

(श्री नूरा)
को सचिवालय के सामने हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और लोगों ने . . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि माननीय गृह मंत्री जी, जो कि 20 साल से इस हाउस में है, यह बात कहेंगे . . .

श्री अध्यक्ष : उनको अधिकार है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वह दिन दूर नहीं है जब जनता इनको टेस्ट करेगी और जूतों की माला पहनाकर करेगी। मैंने इस भाषा का प्रयोग पोलिटिकल इम्पोटेन्सी के लिए किया है। मैंने यह नहीं कहा कि मैनहुड से इम्पोटेन्ट है। इम्तिहान मंत्रीजी का जनता लेगी।

श्री अध्यक्ष : अब इस मामले पर चर्चा नहीं होगी। बहुत हो गया। अब आप इसको कृपया समाप्त करें।

श्री नूरा : 5 जून को हमारी पार्टी के हजारों लोगों ने शासन सचिवालय जाकर राजस्थान सरकार के सामने अपनी मांगें रखी थीं कि जागीरदारों की जो जमीन सीलिंग में आई हुई है उसको बांटा जाय। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, पानी की समस्या को हल करने की बात भी रखी थी। इस तरह की कई मांगें मंत्रियों के सामने रखी थीं। सभी मांगों को यहां पर दोहराऊंगा तो ज्यादा टाइम खर्च होगा। उन मांगों के बारे में मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। निर्णय नहीं लेने की हालत में कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 जून से लगाकर 16 जून तक राजस्थान में 10 हजार लोगों की गिरफ्तारियां दीं। उसके बाद सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार हुए लोगों को अलवर ले जाकर जंगलों में छोड़ा गया लोगों को 24 घन्टों तक खाना नहीं मिला। जयपुर में 16 जून को सेक्रेटेरियेट के सामने लाठीचार्ज किया गया। स्वतन्त्रता सेनानी, कांग्रेस के गुरू पर लाठियां बरसाई गईं। वह घायल हो गये। अजमेर जेल में गिरफ्तार लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हुई। इस कारण वहां लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ी। जेल में कोई 40 मील से आया था, कोई 30 मील से आया था। उनको जेल के बाहर ही छोड़ दिया गया। जेल के अधिकारियों ने कह दिया कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अजमेर में ऐसी हालत हम लोगों की कर दी। वहां पर हम पर जुल्म किये गये। इस तरह के जुल्म और अत्याचार की नीति इस सरकार की है। मैंने अलवर की घटनाएं बताई हैं। यही नहीं उदयपुर में ऐसी घटनाएं हुई हैं इस पुलिस राज में। यह पुलिस का निकम्मापन है कि जो लोग मांग करने आयें सरकार के सामने उन पर लाठी बरसाये, 5 जून को हमने नोटिस दिया था। उस नोटिस पर हमें आश्वासन मिला था कि मांगों पर विचार करेंगे। उन पर विचार नहीं करने से पार्टी ने सत्याग्रह किया तो उसका जवाब इस सरकार ने डंडों से दिया। महिलाओं की बेइज्जती की गई। कारागार में कोई व्यवस्था नहीं की गई, यह सरकार का सबसे बड़ा निकम्मापन है। जब विधान सभा में कहा जाता है तो उनको चिढ़ लगती है। जिन मांगों के बारे में आश्वासन दिया उनको पूरा तो करें। आश्वासन देकर मुकर

(श्री नूरा)

जायं, सरकार मांगों को पूरा न करे तो आन्दोलन हो और आन्दोलन हो तो डंडे बरसायें। यह डंडा बरसाने वाली सरकार कितने दिन चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय, आज भी उन लोगों पर मुकदमें कायम हैं। हम लोग, जो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, के ऊपर 107 और 151 के मुकदमें कायम किये गये। जेलों में कोई सुविधाएं नहीं दी गईं। जब वहां पर आपके पुराने साथियों से मिले तो मालूम हुआ कि आप लोगों को काफी सुविधाएं मिलती थीं, आपको भत्ता मिलता था। कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग जब जेलों में गये तो वहां की हालत हमने देखी है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर जुल्म किये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

... हमने वहां पर लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि आप लोगों की जेलों में कितनी खातिरदारी होती थी। दूसरे राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भी आप उतनी ही सुविधाएं दें। अजमेर जेल में पीने का पानी भी हम लोगों को कुएं से पहुंचाना पड़ता था। यह आपकी व्यवस्था है फिर आप कहते हैं कि हमें निकम्मा क्यों कहते हैं ? यह ऐसी निकम्मी सरकार है कि 5 जून को जो हमने नोटिस देकर मांग की थीं उन पर विचार करने का सरकार ने आश्वासन दिया था। उसके बाद भी विचार नहीं हुआ, जिसके कारण हमें सत्याग्रह करना पड़ा किन्तु इस सरकार ने हम पर डंडे बरसायें। जेलों में हमें कोई सुविधा नहीं दी। हमारे साथियों को जेलों के बाहर ही छोड़ दिया, जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। इस सरकार को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगे तो वह जमाना जल्दी आने वाला है जिसमें जनता आपको अलग कर देगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, यह जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में श्रम-नीति लिखी हुई है, उद्योगों में मजदूरों का शोषण...

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं स्थगन-प्रस्ताव पेश कर रहा हूं जो कि मैंने दिया है। उस पर दो मिनट ही बोलूंगा उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा...

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय डागाजी, यह कापी आपके पास कहां से आई है?

श्री मूलचन्द डागा : मजदूरों का शोषण न हो...

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें, दो मिनिट।

"... कारखानों में मजदूरों की भागीदारी हो। जनता पार्टी इस सिद्धान्त को मानती है। आवश्यकतानुसार वेतन को मान्यता दी जाय।"

(श्री मूलचन्द डागा)
आज भारतीय मजदूर संघ के मजदूर · · ·

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : उनका आपसे क्या रिश्ता है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं सब का हूं ।

श्री केदारनाथ : मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं केवल ।

श्री मूलचन्द डागा : आपको मेरी बात सुननी चाहिए । मैं कह दूं उसके बाद आप उत्तर दें । आप क्या उत्तर देंगे । मेरी बात तो सुनें आप आधा मिनट । आप एक बात मान लें कि मैं मजदूर मजदूर में फर्क नहीं समझता हूं चाहे वह किसी पार्टी का हो ।

श्री केदारनाथ : और एक जानकारी आपको दे दूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी बात सुन लें । मेरा स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय की बात सुनिये ।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा साहब, सुनाइये ।

श्री केदारनाथ : पाली कपड़ा मिल में बोनस के बारे में डिस्प्यूट रेज हुआ जिसमें सी. पी. आई., सी.पी.एम. और माननीय सदस्य जिस पार्टी को बिलांग करते है उसकी यूनियन इन्टक इन तीनों में एग्रीमेंट हो गया । मैंने एवार्ड दे दिया कि 8.33 पर्सेन्ट बोनस दिया जाय । 6 लाख रुपये दे दिये । तीनों ने इसको मान लिया और मिल चल रही है । माननीय सदस्य किस बात पर एडजार्नमेंट मोशन पेश करना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस बात के लिए कर रहा हूं कि 15 दिन से बराबर भारतीय मजदूर संघ के लोग वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं ।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : माननीय डागाजी, मजदूरों के बारे में ए, बी, सी, की जानकारी ही नहीं रखते हैं ।

श्री सूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगू से आने वाले माननीय विधायक की जांच करवाइये । इनका दिमाग कहीं खराब तो नहीं है कि चाहे जैसे बोल देते हैं । हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रम मन्त्री जी ने जो सदन में स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको चैलेंज करता हूं । कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है न एग्रीमेंट की पालना हुई है । सारे मजदूर उन भूख हड़तालियों के साथ है । बराबर 15 दिन से उम्मेद मिल के दरवाजे पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं । उम्मेद मिल के मालिक ने 50 करोड़ रुपया कमाया है । 8.33% जो बोनस दिलाया है वह कानूनन दिया है, कोई अहसान नहीं है । मजदूरों ने 15% बोनस की मांग की थी । आज भी वह उस मांग को लेकर चल रहे हैं । सारे मजदूरों में असन्तोष है, चाहे वह किसी पार्टी के हों । राजस्थान का मजदूर एक है । उसका स्वाभिमान है । मजदूर चाहते हैं, पूंजीपतियों के आंकड़े देखो, उसकी बैलेंस शीट देखो । इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, उनकी मिलें चलती हैं । सोल एजेन्सी में उसने रुपया कमाया है । माननीय श्रम मन्त्री जी कृपा करके मजदूरों के पास जाकर उनकी बात सुन लें, मैं आपका आभारी हूंगा । बिना सुने स्टेटमेण्ट दे दें वह तो

(श्री मूलचन्द डागा)
मैं नहीं मानता। मैं पार्टीबाजी में विश्वास नहीं करता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : उम्मेद मिल ने डागा जी को कितने रुपये दिये हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : क्यों, 5 लाख रुपये दिये हैं। आप बड़े मजदूर नेता हैं मैं बाहर कभी आपके नेतापन को समझूंगा। उसने करोड़ों रुपया कमाया है। श्रम मंत्री जी बतायें कि कितनी पूंजी जमा हुई है ? 15–20 साल में क्या किया है ?

एक माननीय सदस्य : तब तो आपका राज था।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा राज का सवाल नहीं है।

श्री करतार सिंह : आपको हिस्सा दिला देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा।

श्री केदारनाथ : इण्टक संस्था काम कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है। आप यह कह रहे हैं जब कि उसके दस्तखत हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जो एग्रीमेंट हुआ है, वह रखें आप सदन की मेज पर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : रख देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : रखिये आप। आज ही रखिये। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौन सी तारीख को हुआ है यह एग्रीमेंट ?

श्री केदारनाथ : एग्रीमेण्ट दो दिन में रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 सितम्बर 1978 से समाज कल्याण के कर्मचारी भूख हड़ताल और सत्याग्रह कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के उत्सव पर माननीय मंत्री जी के समक्ष उन्होंने सारी मांगें रखी थीं। बातचीत चल रही थी। सरकार ने बार बार उनको आश्वासन दिया, उनकी मांगें वाजिब हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनका जो चार्टर आफ डिमाण्ड है, उसमें 11 मांगें हैं चार चार महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। जो मिलती है, वह रावणावत वेतन आयोग के अनुसार वाजिब नहीं है। सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया है। आज वे संघर्ष पर हैं। सरकार वाजिब मांग नहीं मानती है। कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है। दो अक्टूबर को उनका संघर्ष प्रारम्भ हो गया है। यहां तक कि राजकीय प्रवास भवन में मंत्रीजी के साथ कुछ हाथापाई की घटना हुई है। ऐसा अखबारों में आया है। वस्तुस्थिति क्या है, इसका पता नहीं है। वे लोग बहुत उत्तेजित थे। उनका रवैया बिल्कुल उचित था। हड़तालियों से पहले जो बातचीत

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हुई उसकी ओर कोई तवज्जह नहीं दी है इसलिए संघर्ष हो गया है। इस घटना के बाद मंत्री जी वहां से चली गयी। उसके बाद वहां पर गुण्डों ने उनके साथ मारपीट की। ऐसी घटना राजकीय प्रवास भवन में हो जहां राज्य के कोने-कोने से प्रतिष्ठित व्यक्ति और विधायक आते हैं और देखते हैं कि प्रवास भवन में किस प्रकार की बातें होती

Page No 34

(34)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हैं, यह एक बहुत बुरा उदाहरण है, इस सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार या तो यह कह दे कि मांग मंजूर नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साफ इन्कार कर दे। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई दिनों से वह संघर्ष कर रहे हैं। आप कृपया मंत्रीजी को आदेश दें कि इसके बारे में वह वक्तव्य दें। बहुत दिनों से काम खराब हो रहा है। संघर्ष चल रहा है। सरकार क्यों एडेमेंट है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख के आदेश हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी। जो भी घटना हुई है।

(व्यवधान)

सदन की यह परम्परा रही है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी।

(व्यवधान)

एक ही महिला मंत्री है। उसके बाल खींचें जायें, कपड़े फाड़े जायें क्या यह हमारी मर्यादा है?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह क्या बोल रही हैं····

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कहने दीजिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी। इस सदन की कुछ परम्परायें हैं। मंत्रिमण्डल में केवल एक महिला है उस पर इस प्रकार का आक्रमण किया जाये। मांगें मनवाने के लिए इस प्रकार आक्रामक कार्यवाहियां की जावें और लोकतंत्र के इस सर्वोच्च फोरयूम मंच का उपयोग यहां पर माननीय सदस्य ऐसे अराजक और आक्रमणकारी तत्वों की हिमायत करने में करें तो यह कहां तक उचित है? और क्या यह प्रजातंत्र का····

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, इसमें कुछ तथ्यों का अभाव है। कुछ फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। यह संस्था समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत चल रही है। केन्द्रीय बोर्ड के 100% अनुदान पर चल रही है। वह समाज कल्याण से अनुदानित संस्था है। बोर्ड की तरफ से उसके माध्यम से पैसा दिया जाता था। उसके बाद सन् '60 के बाद केन्द्र ने यह महसूस किया कि कोई संस्था नहीं आती है तो

(श्रीमती विद्या पाठक)

यह पैसा बोर्ड को दे देते हैं। समाज कल्याण संघ के नाम से एक संस्था है। यह समाज कल्याण वोर्ड में रजिस्टर्ड हुई है जिसका खर्चा 75 प्रतिशत केन्द्र से आता है और 25 पर्सेन्ट स्वयं उगाती है। इसकी तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सुखाड़िया थीं। अब यह संस्था 25 पर्सेन्ट भी नहीं उगा पाती है तो कम से कम 10 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट या 20 पर्सेन्ट तो इनकी तरफ से होना चाहिए। यह संस्था 10 परियोजनाएं चलाती है। स्टेट सोशल वेलफेयर वोर्ड इसके लिए अनुदान देता है, यह पैसा सेन्टर से रिलीज होता है। 76–77 में 9 परियोजनाओं के आडिटेड अकाउन्ट्स ही यह संस्था भेज पायी। इस वजह से केन्द्र से पैसा नहीं मिला, न समाज कल्याण बोर्ड से और न ही स्टेट से। अक्टूबर, 77 में 11 हजार रुपये इनको एडहॉक ग्राण्ट के रूप में दिये गये। अब तक इसके बाद भी आडिटेड अकाउन्ट्स नहीं आये हैं इसलिए इनको पैसा रिलीज नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त जहां तक और मांगों का प्रश्न है मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि कि अनुदानित संस्था है और इनकी सर्विस कण्डीशन्स के लिए संस्था ही रेस्पान्सिबल है। जहां तक यह बताया गया कि अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया है, यद्यपि यह स्टेट का कोई वैधिक दायित्व नहीं है फिर भी हमने उनसे बात की है और सर्विस कण्डीशन्स का जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार कहां पर है यह संस्था का दायित्व है और पेमेन्ट के लिए सोशल वेलफेयर बोर्ड और स्टेट दोनों ही जिम्मेदार नहीं है।

यह कहा गया कि गुण्डों ने हमला किया। जिस समय बात-चीत हुई उस समय बच्चे और उनके अभिभावक ही थे। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि संस्था की पांच महिलाओं को पेमेन्ट नहीं हुआ है। जो गुण्डे थे वे भी उन्हीं लोगों में से होंगे।

श्री श्योपतसिंह, मकासर : उन्हीं के लोग उन्हीं को पीटें . . .

श्रीमती विद्या पाठक : पासिबली मैंने कहा है। अगर गुण्डे होंगे तो उन्हीं के हो सकते हैं . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल आता है—

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जांच करवा लीजिये–

श्री श्योपतसिंह, मकासर : ग्राम सेविकायें आपसे मिलने के लिये गई थीं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं–

(व्यवधान)

श्री नूरा : मंत्री महोदया का जवाब नहीं आया कि उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया ?

श्रीमती विद्या पाठक : उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टेट या सोशल वेलफेयर बोर्ड रेस्पान्सिबल नहीं है।

Page No 36

(36)

श्री श्योपतसिंह, मकासर : पेरेन्ट संस्था दूसरी होती है लेकिन पैसा तो सेन्टर और स्टेट गवर्नमेन्ट देती है।

श्री नूरा : उन्होंने ड्यूटी की है फिर भी उनको तनख्वाह नहीं मिले तो इसके लिए आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्रीमती विद्या पाठक : आडिटेड स्टेटमेन्ट आ जाते हैं तो सोशल वेलफेयर बोर्ड फौरन कार्यवाही करेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महिलाओं का मामला है। आप उनको बुलवाकर ग्रीवेन्सेज दूर करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कैसे ? आडिटेड अकाउन्ट्स तो आवें।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है कि जो बसें जयपुर से चलती हैं, चाहे चण्डीगढ़ के लिए चाहे देहली के लिए, चाहे रोहतक के लिए वे खो जाती हैं। रास्ते में जितने भी नगर आते हैं वहां पर यात्री लोग अपने सामान के साथ बस स्टेण्ड पर पड़े रहते हैं। उनको बसों में नहीं बिठाया जाता है। यदि किसी कण्डक्टर ने सवारी लेने की कोशिश भी की तो परिवहन निगम के अधिकारी कण्डक्टर को सस्पेण्ड करते हैं और उससे जवाब तलब करते हैं कि इस तरह से सवारियां क्यों लेते हो ? माननीय मंत्री महोदय, आपने दूरगामी बसें चलाकर गांवों के आदमियों को कुछ नहीं समझा है और शहर वालों को हीं सब कुछ समझा है। गांव वालों को क्या आपने खिलवाड़ समझ लिया, क्या वे टैक्स नहीं देते हैं या समझ-बूझ नहीं रखते हैं जो बेचारे किस तरह से बस स्टेण्ड पर खड़े रहें। अभी इतनी बरसात हुई, बाढ़ आई उससे बचकर अड्डे पर आये, उनमें से कई लोग बह गये। क्या वे लोग बस स्टेण्ड पर ही पड़े रहें ? वे कहीं आ जा नहीं सकते ? अध्यक्ष महोदय, कई स्थानों पर चोरियां हो गई। माननीय गृह मन्त्री जी, अभी एक माननीय सदस्य ने इम्पोटेन्ट, नपुंसक कह दिया उस शब्द के कारण आप उत्तेजित हो गये। आपने कहा कि टेस्ट करके देखें। यह आप अलवर में कीजिये। यह बात काशीनाथ जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, इस तरह की भाषा आप बोलते हैं, यह बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : यह सरकार पांच साल के लिए चुनी गई है, तीस साल की नपुंसकता को और देखना पड़ेगा।

श्री नूरा : आप किस प्रकार जवाब देते हैं और ऊपर से कहते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : आपने पांच साल की कामना की है। गृह मंत्रीजी, मैं पचास साल की कामना करता हूं लेकिन कुछ व्यक्ति कलंक हैं इस पार्टी के। राज्य के गृह मंत्री इस प्रकार से अभद्र अनपार्लियामेन्ट्री बात कहें और सचेतक महोदय और दूसरे माननीय सदस्य कुछ सुनने को तैयार नहीं हों, यह बड़े अफसोस की बात है। गृह मंत्री जी आपकी बहुत बड़ी इमेज है, मैं आपकी इज्जत करता हूं। इस हाउस की परम्परा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी तरफ चला गया मेरा निवेदन है कि आप वहां बसों का इंतजाम करें। कोटपूतली से जयपुर, कोटपूतली से दिल्ली, इन बसों में यहां के लोग बैठ

(श्री रामकरण सिंह)

जाते हैं और हम लोगों को बैठने नहीं देते। क्या हम लोग बैठना नहीं जानते? वहां पर एस.टी.सी. की बसें हैं, न उठने बैठने के लिए जगह है, न खिड़की है, न शीशा है। एक बार वहां जाकर मुलाहिजा फर्मायें। फिटनेस वेरीफाई करने वाले शायद मिले हुए हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में मंत्रीजी सोचें, यह अहम् मसला है।

श्री शिवचरणसिंह : कम्युनिस्ट पार्टी पर जो अत्याचार हुआ उसकी ओर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप तो विदेश चले गए। आप यहां होते तो यह अन्याय नहीं होता। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। कानून एवं व्यवस्था या महंगाई के विरोध में उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। प्रजातंत्र को पुनर्जीवित करने का जनता पार्टी ने ढोल बजाया है। डंडे वाले श्योपतसिंह जी तो खुशामद करते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वहां दाल, तेल, डालडा सब की छूट ले ली, कोई नहीं देखने वाला। ज्योति बसू को छूट दे दी, लेकिन ये जो गरीब बैठे हुए हैं, किस प्रकार इन गरीबों पर अत्याचार हुआ? 12 हजार आदमियों को गिरफ्तार किया, यह शर्म की बात है। महिला सत्याग्रहियों के साथ पुलिस के जवानों ने हाथापाई की, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर लाठियां बरसाईं। इस प्रकार की दुर्दशा तुम्हारी भी होने वाली है। आप जो कहते हैं वह करो, आप अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो कुछ दिन जीवित रहोगे। प्रजातंत्र का हवाला मत दो। इसलिए कम से कम ऐसा अन्याय न करो। तुम्हारे आपस में मतभेद हैं तो पार्टी में बैठकर तय करो...

(व्यवधान)

श्री नूरा : ऐसे गृह मंत्री को ताड़ना दें आप, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ताड़ना किस बात की दूं?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। राजस्थान के कुछ हिस्से, जैसे जिला पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर और अजमेर के कुछ हिस्से के लाखों पशुओं की चराई की समस्या गंभीर बनी हुई है। केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए यह समस्या है। इसके संबंध में मैंने यह प्रस्ताव रखा है। पिछले सत्र में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करके समस्या का हल निकालेंगे लेकिन खेद है कि आज सदन के नेता यहां नहीं हैं। आशा है कि मेरे स्थगन प्रस्ताव की भावना उनके समक्ष पहुँचाई जाएगी। उन्होंने जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हुआ। यहां से प्रति वर्ष जो मवेशी व भेड़ पालक वहां जाते हैं वे लाखों की संख्या में होते हैं। पहले की सरकार थी तब भी जाते थे। वे चाहते क्या हैं? वे चराई का शुल्क देने को तैयार हैं। राज्य सरकार उनसे शुल्क लेकर चराई का प्रबन्ध करे। राजस्व मंत्री कहेंगे कि उन्होंने मीटिंगें की हैं। लेकिन हल क्या निकला? आज जब वे पूर्वी

(श्री शंकर लाल)

इलाके में दूसरी जगह जाना चाहते हैं तब कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के किसानों द्वारा इसका विरोध करना स्वाभाविक है। वे इसलिए विरोध करते है कि उनके खेतों की फसलें नष्ट होती हैं। हालांकि पशुपालक इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके खेत की फसल नष्ट न हो लेकिन जिस रास्ते से पन्द्रह लाख पशु जाते हैं, जहां वे जाना चाहते हैं, वहां यह स्वाभाविक है कि कहीं पर भी वे घुस जायें। राज्य सरकार आज तक इस गंभीर समस्या के बारे में कोई हल नहीं निकाल पाई है।

मेरा स्थगन प्रस्ताव के जरिये मकसद यह है कि जो आपने मीटिंगों में हल निकालने की कोशिश की है वह हल क्या है? आज लाखों मवेशी बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि राजस्थान में पशुपालकों को सुविधा देंगे। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया और मीटिंगें कीं। फिर भी इतनी घटनायें हुईं, गोलीकाण्ड हुआ। जगह जगह समस्या पैदा होती है लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण कोई हल नहीं निकाल सकी है। यह समस्या पहले भी थी लेकिन हल निकाला जाता था। जंगलों में वन विभाग के कर्मचारी चोरी से पैसा लेकर चराई कराते हैं उनका कुछ होता नहीं लेकिन ये पैसे देकर पशु चराना चाहते हैं तो इनकी कोई सुनते नहीं। या तो इनको राजस्थान के बाहर भेज दो। अगर ये यहां रहते हैं तो आपको इनका हल निकालना पड़ेगा। आपने आज तक हल क्यों नहीं निकाला?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, भेड़ पालकों की समस्या को न वन मंत्री ने और न मुख्य मंत्री ने समझने की कोशिश की। वन मंत्री ने जुलाई में भेड़ पालकों के सम्बन्ध में एक मीटिंग की थी और भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों की भूख हड़ताल तुड़वाई थी। उसमें जो निर्णय लिया गया उससे आग में घी डालकर झगड़े को और बढ़ा दिया। मुख्य मंत्री ने बार बार कहा है कि राजस्थान भेड़ों का और ऊन का मुख्य राज्य है इसके कारखाने लगाकर इस उद्योग को और बढ़ाना है। राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां के गलीचों की ऊन विश्व भर में मशहूर है। यह करोड़ों रुपये की योजना है। आस्ट्रेलिया से भी विशेषज्ञ आए। भेड़ें व मेंढे मंगाए जा रहे हैं। टौंक में भी एक नया सेन्टर खुला है। एक तरफ तो हम योजना बना रहे हैं कि राजस्थान में भेड़ों और भेड़पालकों को प्रोत्साहन दिया जायगा और ऊन आधारित धंधा खोलकर उनकी रोटी-रोजी का बन्दोबस्त किया जायगा और दूसरी तरफ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भेड़ों एवं भेड़पालकों की समस्या क्या है?

जब वन मंत्री बून्दी जिले में गए थे तो वहां के लोगों ने उन्हें बताया था कि बून्दी जिले में 3–4 लाख भेड़ प्रति वर्ष मारवाड़ व सवाई माधोपुर से आती हैं और ये भेड़ें पिछले 8–9 साल से लगातार आती रही हैं। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि उस इलाके में यह समस्या इस वर्ष ही कैसे खड़ी हो गई? इस बात को समझने की कोशिश किसी भी मंत्री या मुख्य मंत्री जी ने नहीं की। 1971 के सैन्सस के हिसाब से 85 लाख भेड़ें थीं, 1976–77 में एक करोड़

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

हो गई। भेड़ों के सम्बन्ध में न वन मंत्री को जानकारी है, न मुख्य मंत्री ने जानकारी करने की कोशिश की और न ही भेड़ व ऊन मंत्री ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। मैं उन जिलों के बारे में बताना चाहता हूं जहां से ये भेड़ें आती हैं। ये खास तौर से सूखे इलाकों से आती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में भेड़ों को ढालू भूमि पर रखा जाना आवश्यक होता है अन्यथा अधिक पानी से पांव खराब हो जाते हैं एवं भेड़ें बीमार हो जाती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अतः जहां भी जो भी पठारी जमीन टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा रेन्ज में है भेड़ें वर्षा ऋतु में तो उन्हीं वनों में चरेंगी व रहेंगी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी वाले मूलचन्दजी को लेकर बैठे हैं। हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में 89 हजार भेड़ हैं, कोटा में 46 हजार भेड हैं, झालावाड़ में 25 हजार भेड़ हैं और बूंदी में 96 हजार भेड़ हैं। जब कि वहां का वन सैकड़ों मील लम्बाई चौड़ाई में फैला हुआ है फिर भी उन इलाकों की मवेशी वहां चरें इतनी जगह वहां नहीं है। जिस इलाके से मवेशी जाते हैं वहां वन नहीं हैं और जहां भेड़ पालक और भेड़ें रहती हैं। तो क्या इन वनों के पहिये लगाकर भेड़ पालक वाले इलाके को वन उपलब्ध कराये जायेंगे या पहुंचा देंगे ? पर क्योंकि यह सम्भव नहीं है अतः वहां ले जाई जावेंगी जहां वन हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह एक महत्वपूर्ण विषय है, अध्यक्ष महोदय।

ये भेड़ें जहां मीलों लम्बे चरागाह और वन हैं वहां चरेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि जैसलमेर में 6 लाख 77 हजार भेड़ें हैं, बाड़मेर में 7 लाख 51 हजार भेड़ें हैं, जालोर में 4 लाख 69 हजार भेड़े हैं, पाली में 7 लाख 51 हजार भेड़ें हैं, जोधपुर में 10 लाख 14 हजार भेड़ें हैं और नागौर में 8 लाख 46 हजार भेड़ें हैं किन्तु वहां चरागाह नहीं हैं। यह भेड़ें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ ले जाई जाती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे कि वह हमारे यहां की भेड़ों को चराने हेतु वहां आने दें। मैं निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में हमारे यहां भी भेड़ें चार-पांच साल से जाती रही हैं। यहां के मुख्य मंत्रियों ने समय-समय पर प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है। वहां भेड़ें चराने के लिए स्वीकृति ली है और इस बार वन मंत्री जी ने कुछ पैसा भी वसूल किया है ताकि जहां पर मीलों लम्बे वन हैं और चरागाह हैं वहां भेड़ें चराएं पर फिर भी स्वीकृति नहीं दे सकते तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री क्या इतने बेवकूफ हैं कि अपने यहां पर आपकी भेड़ों को चरने देंगे। आप अपने ही यहां जहां मीलों लम्बे वन और चरागाह हैं वहां उनको चराने के लिए अनुमति नहीं दे सकते।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

उसके बाद वन मंत्री जी ने फैसला किया कि यह भेड़ें 4 मील प्रति दिन की गति से चलेंगी। इन भेड़ों में से इन इन तहसीलों में और इन इन इलाकों में इतने हजार को चरने की इजाजत दी जाती है। एक लाख भेड़ों को रहने की स्वीकृति दी गयी। 45 हजार भेड़ों के पैसे जमा हुए ही थे कि दूसरे यह आदेश दिये कि और पैसा जमा नहीं कराया जाय। भेड़ें न चरने दी जावें, यह भेड़ पालकों के पचास हजार परिवारों के साथ धांधली व परिहास क्यों ?

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरा निवेदन यह है कि यह सारी धांधली जितनी भी पैदा की गई है इसकी जिम्मेवारी या तो वन मंत्री की है या फिर मुख्य मंत्रीजी की है। इसका प्लानिंग होना चाहिए राजस्थान में कितनी भेड़ें होंगी, कहां रहेंगी, कहां चरेंगी और भेड़ों के अधिक बढ़ जाने पर उन्हें कहां खपाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त हो गया। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पर्याप्त कहां हो गया। बड़ी विकट समस्या है · · ·

श्री अध्यक्ष : समस्या आज की नहीं है। कई वर्षों की समस्या है। 'कोई नयी बात नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री मथुरादास जी माथुर !

(व्यवधान)

आप शासक पक्ष के मंत्री जी से मिलकर बात कर लें। मुझे मालूम है कि बिजोलिया में भी बहुत भेड़ें आती हैं।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को लेकर मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह समस्या पशु पालकों के लिए गम्भीर समस्या है। यह समस्या कई सालों से चली आ रही है और दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहां के पशु पालकों और भेड़ पालकों को अपनी जिन्दगी भी भेड़ों को चराने के लिए खोनी पड़ती है और कई कतल भी होते हैं। इसलिए इस एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये से माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रश्न पर राज्य सरकार की अपनी जो नीति है उस पर क्या कदम उठाने वाली है ? कुछ माननीय सदस्य, जो कि उन इलाकों में रहते हैं जहां पशु पालन नहीं होता है, की समस्या भी यह है कि पशु पालक वहां जाकर पशुओं को चराते हैं। इससे उनको भी एतराज है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस समस्या के ऊपर राज्य सरकार गम्भीरता से एक बयान दे और बयान देने के बाद उस पर चर्चा हो जाय। चर्चा करके कोई रास्ता निकाला जाये। आखिर राज्य सरकार भी नहीं चाहेगी कि भेड़ पालक भेड़ें नहीं पालें। हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था इससे बहुत बिगड़ जायेगी लाखों आदमी, जो कि पददलित जाति,

(श्री मथुरा दास माथुर)
अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं तथा रेबारी हैं, अपनी जिन्दगी का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर चर्चा बहुत हो चुकी है। अब राज्य सरकार का यह कमिटमेंट आ जाये क्योंकि मुख्य मंत्री जी नहीं हैं इसलिए माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह कमिटमेंट दे दें। मैं वित मंत्री जी की ओर संकेत कर रहा हूं, या फिर मिनिस्टर कंसर्ड कह दें। राज्य सरकार स्टेटमेंट दे दें उस पर चर्चा हो जाय जिससे कुछ नतीजा निकल सके। यह मालूम हो जाये कि राज्य सरकार की इस बारे में क्या नीति है ताकि हम भी पशु पालकों को समझा सकें। उस नीति पर अमल होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार से आप कहें कि वह इसके बारे में बयान दे और उस पर फिर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार तैयार हो जाये। मेरा ख्याल है कि बहुत से माननीय सदस्य, जो इधर से बोलने वाले हैं, इस समस्या पर बोल कर इसको हल करने में मदद दे सकेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस समस्या को लेकर चीफ सेक्रेटरी से मिला हूं। उन्होंने बताया कि इस समस्या को हल करने के लिए कोई एरिया बांटा गया है। यह बताना चाहिए कि उन एरियाज में कितनी कितनी भेड़ें रहेंगी और कितने कितने ऊंट रहेंगे ?

श्री शिवचरणसिंह : ऊंट क्यों रहेंगे...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भेड़ पालकों का जो सवाल है यह राष्ट्रीय प्रश्न है। भेड़ें राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। अभी करीब 12 दिन पहले राज्य सरकार ने माननीय परसरामजी मदेरणा, शिवचरणजी माथुर और भी दूसरे लोगों की एक बैठक बुलाई थी, माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में। मैं भी उसमें सम्मिलित था। वहां निर्णय लिया गया कि जो डाइरेक्टर शीप एण्ड वूल हैं वह सी.सी.एफ. से मिलकर, रेवेन्यू कमिश्नर से मिलकर कौन कौन से राजस्थान के जंगल हैं वहां कितनी कितनी संख्या में भेड़ें रखी जा सकती हैं उसके बारे में एक महीने में रिपोर्ट देंगे। वह अभी मेरे पास नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद मैं उस विषय में आप सबको अवगत करा दूंगा। फिर उसके बाद चर्चा हो सकती है।

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करूं कि यह पहला मौका है जब कि भेड़ पालकों से जो फीस मुकर्रर थी उसकी वसूली की गई है वरना आज तक वसूल नहीं की गई। मामूली फीस है आठ आने, कहीं कहीं चार आने ही है।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा : 20 साल पहले की वसूली के लिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि वर्तमान में जो भेड़ें बाहर से इन तहसीलों में या राजस्थान के अन्य जिलों में आकर रुकी हुई हैं उन्हें वहां से आगे चलते रहने की व्यवस्था करने का जिलाधीशों को आदेश दिया जाय। भविष्य में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की भेड़, जो अन्य जिलों से जाया करती हैं, को राजस्थान के किन किन भागों में कितनी कितनी संख्या में खपाया जा सकता है तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में इसके लिए कौन से स्थान हो सकते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी पूरी जानकारी कर भेड़ों को इन स्थानों पर उसी अनुपात में ले जाने का निश्चय किया गया।

भेड़ें राजस्थान के नहरी क्षेत्र में नहीं ले जायी जा सकतीं। बरसात में भेड़ें वहां नहीं रह सकतीं जहां पानी बहता अथवा ठहरता हो। पानी वाली जगह में रहने से उनको बीमारी हो जाती है। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। अतः जहां वनों एवं चरागाहों का विकास, इसका समाधान नहीं, क्यों नहीं आगे जो वन एवं चरागाह हैं उनको इन भेड़ों के लिए उपयोग में लाया जावे।

(व्यवधान)

उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों को बुलाकर इस समस्या के बारे में पूछा नहीं गया। मैंने जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई माननीय सदस्यों से सम्पर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मुख्य मंत्री जी ने आप लोगों को बुलाया। उनको कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान से एक करोड़ भेड़ों में से 50 लाख भेड़ें उस क्षेत्र से आती हैं। उनसे नहीं पूछा कि यह समस्या कैसे सुलझाई जा सकती है। या फिर स्लाटर हाउस खुलवा दिया जाए और यह तय करते हुए कि राजस्थान में इतनी भेड़ों से अधिक नहीं रहने दी जावेंगी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बाकी की भेड़ों को कटवा दीजिये लेकिन भेड़ पालकों को मरवाओ मत।

श्री शिवचरण सिंह : इन लोगों ने हमारे इलाके में भेड़ें मरवाई हैं...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मालदार आदमियों की हैं, दो मर्डर कर चुके हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह पशुपालकों की एक भयंकर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं। मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि उन लोगों का प्रतिनिधि आज हमारे बीच में नहीं है। आज एक दूसरे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पूर्व या पश्चिम जिलों की समस्याओं का अलग-अलग सवाल न लीजिये। पशु पालकों की भी आज हमारे सामने समस्यायें हैं। खेती का रकबा बढ़ रहा है उधर वन विभाग की तरफ से चारों तरफ नाकेबन्दी हो रही है। जिस जगह भी पशुपालक जाते हैं उस जगह से

(श्री माधोसिंह)

उन्हें धक्के मिलते हैं। फिर ये लोग कहां जायं, राजस्थान पशुपालकों का मुख्य राज्य है और उसमें उनकी यह दयनीय स्थिति।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज हम लोगों को सोच विचार करना चाहिये, सरकार को विचार करना चाहिये…

श्री अध्यक्ष : अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : मैं पूरा निवेदन करना चाहता हूं।…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : जो मैं कहना चाहता था वह मैंने कहा ही नहीं और आप स्थान ग्रहण करने को फर्माते हैं। एक मिनट के लिये। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था…

श्री अध्यक्ष : भेड़ों को आराम दीजिये, थोड़ा आप।

श्री शिवचरण सिंह : यह ऊंट का मसला है।

श्री माधोसिंह : मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं भेड़ या पशु जंगल के अन्दर जाते हैं तो क्या उससे जंगल नष्ट होते हैं? जंगल कौन नष्ट करता है, जंगल नष्ट करने वाला पशु नहीं है, पशु तो जंगल बनाता है…

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उनसे जो खाद होती है इससे पौधे पनपते हैं। विभाग की गलत नीतियों से वन सम्पदा कम हो रही है और पशु पालकों की स्थिति बिगड़ रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : एक और अर्ज करना चाहता हूं। सिरोही जिले में पाली और जालौर जिलों के अन्दर लाखों की तादाद में भेड़ें हैं और ऊपर से गुजरात से लाखों भेड़ें बारिश के सीजन में इन जिलों में आती हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि गुजरात के अन्दर जब खेत सब रुक जाते हैं और इन जिलों में इतनी भेड़ों का दबाव बढ़ता है तो वहां के लोगों की क्या हालत होती होगी? राज्यों के बीच आपस में पशुओं के आने जाने के लिये करार है फिर हमारा मवेशी दूसरे प्रान्तों में क्यों रोका जाता है?

(व्यवधान)

चार महीने रेनी सीजन में सब तरफ से गुजरात की बुवाई से चराई बन्द हो जाती है। लाखों भेड़ें राजस्थान के जिलों में आती है और वन व राजस्व मंत्री जी राजस्थान के पश्चिमी जिलों की भेड़ों को दक्षिणी जिलों में जाने से रोकते हैं। आप यह एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं। लोगों को आपस में लड़ाने का व पश्चिमी जिलों के साथ षडयंत्र है आपका। इस दोमुंही नीति को सुधारिये, नहीं तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन में रखे जाने वाले पत्र…

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : समस्या बड़ी विकट है…

श्री अध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तो हमारा एडजोर्नमेंट मोशन है।

एक माननीय सदस्य : 1॥ घंटा हो गया।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, जालोर जिले के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह : ऐसे मौसम में आज से नहीं, सैंकड़ों वर्षों से हमारे मवेशी गुजरात जाते हैं। और गुजरात के अन्दर जहां भेड़ों के चरने की जगह है वहां रहती है। कच्छ की भेड़ें कई बार यहां आती हैं तब भी हम जालोर, पाली और सिरोही के लोग किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं करते हैं। अगर हमारी भेड़ें मध्य प्रदेश और गुजरात चरने जायं और उन पर इस प्रकार के अत्याचार हों तो यह एक गंभीर समस्या है। राजस्थान सरकार को मध्यप्रदेश और गुजरात की सरकार से बातचीत करके पशु पालन के लिये जो जाते हैं, उनको सही प्रोटेक्शन दिलाना चाहिए। अगर कच्छ की भेड़ें आती हैं तो हम भी इस प्रकार के अत्याचार करेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं होगी।

पिछले सत्र में कृषि मंत्री जी ने कहा था, मध्य प्रदेश जाकर मध्य प्रदेश की सरकार से बात करूंगा। पता नहीं इस बारे में उन्होंने क्या किया है, क्या कार्यवाही की है। हम यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है? इस प्रकार सरकार का खर्चा करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसका कुछ हल निकला है या नहीं निकला, यह तो कम से कम बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब यह तो बिल्कुल एक ऐसा विषय है जिससे इस सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई। मैं माननीय सदस्य श्री राम नारायण जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि एटामिक एक्सप्लोजन का विषय जो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लाना चाहते हैं, वह इस सदन से सम्बन्ध नहीं रखता है। इस पर चर्चा करना सदन का समय बेकार करना है।

(व्यवधान)

इसका सम्बन्ध इस सदन से नहीं है।

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सदन से बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस स्थगन प्रस्ताव पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी तो यहां नहीं हैं····

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इसके औचित्य के बारे में मैं कनविन्स करने की कोशिश करूंगा। आपने इसको रूल आउट भी किया है कि इस प्रश्न को यहां नहीं उठा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं पहले भी इस प्रकार की परम्परा रही है। सन् 1962 से 67 में चीन का प्रश्न उठा था, रणकच्छ का मामला भी इस सदन में आया था, पूर्वी पाकिस्तान का हमला हुआ तो वह मामला भी यहां उठा था।

श्री अध्यक्ष : परम्परा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आप यहां नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहब थे। लेजिस्लेचर का काम केवल लेजिस्लेशन तक ही सीमित नहीं हैं, तीन करोड की जनता की आकांक्षा और भावना को व्यक्त करने और आपकी अनुमति से प्रेस करने के लिये यह फ्लोर है। तो, मान्यवर, मैं कोई हल्की बात पर नहीं जाऊंगा। नेशनल इन्ट्रेस्ट और राजस्थान का जो प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है मैं उससे सम्बन्धित बात ही कहूंगा। आपकी आकांक्षा के विपरीत नहीं जाऊंगा और मैं डेकोरम भी भंग नहीं करूंगा। मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह डिफेन्स से सम्बन्धित मामला है और उससे ही रिलेटेड है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपकी रिक्वेस्ट को विरोधी दल के माननीय नेता मान जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मालूम नहीं है। आपके बोर्डर पर कम होती है, हमारे बोर्डर पर ज्यादा होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को सब मालूम है, आप कहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : यह एक्सप्लोजन मेरे क्षेत्र में हुआ है फील्ड फायरिंग रेंज में। मैं तो केवल यही रिक्वेस्ट करता हूं, अध्यक्ष महोदय की बात मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय राम नारायण जी ने मिसालें दी हैं कि अमुक अमुक विषयों पर इस सदन में वाद-विवाद हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार जब कभी विदेश नीति की चर्चा की, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान अथवा पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की उपलब्धियों के रूप में तो स्वयं राज्य सरकार ने निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को अधिकार प्रदान किये हैं अथवा उनके अधिकार बन जाते हैं। सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से अथवा बजट भाषण के माध्यम से कोई विचार इस सदन में लावे तो माननीय सदस्य उस पर वाद-विवाद कर सकते हैं। इन सीमाओं में जहां तक राजस्थान विधान सभा का प्रश्न है, मैं समझता हूं यह ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको एडजोर्नमेंट मोशन और दूसरे मोशन के जरिये नहीं उठाया जा सकता हो। यह विषय ऐसा है जिसका राजस्थान सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एटमिक एक्सप्लोजन किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये यह निश्चित रूप से केन्द्र सरकार के अधीन है।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ज्ञान नहीं है। यह हिन्दुस्तान का विषय है और इस पर चर्चा हो सकती है···

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह जो एटामिक एक्सप्लोजन का मामला है निश्चित रूप से डिफेन्स के रूप में मिलिट्री का सब्जेक्ट है और सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर में है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुन लीजिये मेरी बात। मुझे अवसर मिलना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, बोलने का।

माननीय रामनारायण जी इस विधि को अपना कर कोई ऐसा विषय भारत का नहीं छोड़ेंगे जिसे इस विधान सभा में नहीं उठायें। न तो यह हमारी इस विधान सभा से सम्बन्धित मामला है और न ही कोई लोक महत्व का विषय है। इसलिये इसको एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये लिया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसे मोशन पर आज के दिन चर्चा उठायें जिसे कि श्रीमान् ने नामंजूर कर दिया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार इस स्थिति में है कि माननीय मोरार जी भाई ने प्रधान मन्त्री की हैसियत से जो बयान दिया है, उसके औचित्य और अनौचित्य पर विधिवत तरीके से विचार कर सकें ? राष्ट्रीय नीति को यदि इस प्रकार उठाया जाता है तो मैं निवेदन करूंगा...

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : राजस्थान के विषय को यहां उठायें और राष्ट्र के··

(व्यवधान)

श्री दूला राम : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री महोदय ने जो बात कही है कि प्रधान मन्त्री की बात को यहां नहीं उठाया जाना चाहिये तो क्या कोई माननीय सदस्य, कोई मनुष्य और कोई हिन्दुस्तान का नागरिक अपनी बात को किसी भी विधान सभा में नहीं उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो हमें भी इजाजत दें। क्या आपने पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया ? माननीय मंत्री महोदय समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : समय तो आप नष्ट कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नियमों की और सदन की मर्यादा की अवहेलना करने की कुछ सीमा तो कम से कम निश्चित कर दें कि किस हद तक अवहेलना की जा सकती है। आप व्यवस्था दे चुके कि अब स्थगन प्रस्तावों पर विचार नहीं होगा, फिर भी उसकी निरन्तर अवहेलना हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कांसेनसस के द्वारा हो सकती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करके कोई न कोई कानसेनसस, एग्रीमेंट के द्वारा सदन की परम्परा के ऊपर कोई नियन्त्रण ला सकते हैं, वरना एक आसन के बलबूते के ये बाहर है। मैंने 15 वर्षों तक यह देखा है कि अब तक····

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अब सबसे अच्छा यही होगा कि पांच दस मिनट माननीय सदस्य बोल लें।

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल निश्चित बात है, जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा लेजिस्लेचर्स का लेजिस्लेशन का ही काम नहीं है। आज तो लेजिस्लेचर्स की मल्टीफेरियस ड्यूटी हैं। मल्टीफेरियस ड्यूटीज पर आप ताला नहीं लगा सकते और आसन भी ताला नहीं लगा सकता। आपको आसन को सहयोग देना चाहिए और सदन का बहुमूल्य समय है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ही नहीं, पांच-पांच, सात-सात विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अगर वही की वही चर्चा उठायें तो मेरे खयाल में तो यह तोते की रट के समान है। अब कोई निर्णय, कानसेनसस के द्वारा हो सकता है, अकेले आसन के द्वारा नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : यह नियमों की लाल पुस्तक बनाई है वह भी कानसेनसस के आधार पर ही बनाई गई है।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें मनुष्यकृत हैं। जो कुछ भी है, वह मनुष्यकृत है, उसको आप ही बना सकते हैं और आप ही घटा सकते हैं। यह बात मैं कहता आया हूं।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है जो कुछ आपने व्यवस्था दी है उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, आपकी व्यवस्था जो भी हो सर्वमान्य है और जो भी आप व्यवस्था देंगे, सारा सदन उसको मानेगा...

श्री अध्यक्ष : सरकार के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है लेकिन मेरी लिमिटेशन, मेरी विवशतायें आप स्वयं देख रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ये नकार रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग पांचवीं बार अध्यक्ष की व्यवस्था को नकार रहे हैं। यह फिफ्थ टाइम है जब कि नकारा जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : मैं और मेरा दल, सत्ता पक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को शिरोधार्य करता है...

(व्यवधान)

श्री नूरा : कांग्रेस के टाइम में आप भी इसी तरह से करते रहे हैं...

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय मन्त्री महोदय को आप बोलने नहीं दे रहे हैं और सदन का समय बरबाद कर रहे हैं...

(व्यवधान)

आप सदन का बहुमूल्य समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : कहावत है when the cat is away, the mice will play.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर दी गई व्यवस्था पर कुछ नहीं कहना है लेकिन इस

(श्री सम्पत राम)

सदन में कोई भी विषय उठाया जाता है, चाहे वह हमारे प्रदेश से सम्बन्धित हो, चाहे देश से सम्बन्धित हो, अथवा सारे संसार से सम्बन्धित हो, उस प्रश्न के ऊपर या तो सरकार सक्षम हो कोई न कोई उत्तर देने के लिए या जो भी विषय यहां पर उठाया जावे उस पर सदन के सदस्य इधर या उधर के, अपना मत व्यक्त करें और चाहे राष्ट्रीय सरकार हो या कोई भी हो, जिस किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करें। आपकी व्यवस्था के बाद माननीय रामनारायण जी जो चर्चा उठायेंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान सरकार के दायरे का यह प्रश्न नहीं है इसलिये यह सम्भव नहीं है कि राज्य सरकार उसका उत्तर दे सके। इस समय मोरारजी भाई भी यहां मौजूद नहीं हैं कि वे इसका जवाब दे सकें। आप इसको स्वीकार कर लें, उसके बाद हाउस के ऊपर छोड़ दें कि इस प्रश्न को स्वीकार करे या नहीं।

श्री किशनसिंह भाटी : इसीलिए न उठायें तो अच्छा है। रामनारायणजी से रिक्वेस्ट है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, जो इस वक्त सदन में आए हैं और इस सदन की महान परम्पराओं से परिचित नहीं हैं, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि 1962 के बाद से 1977 तक 15 सालों में इस सदन के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन के नेता जब इस तरफ बैठते थे, जहां हम बैठे हैं, जिधर मैं खड़ा हूं वहां से आपने जो जो प्रश्न उठाये हैं उन्हें इस सदन ने और सत्ता पक्ष ने ध्यानपूर्वक सुना है। हमने कभी विरोध नहीं किया। सत्ता पक्ष की तरफ से उनका उत्तर दिया जाता रहा है। आप रिकार्ड उठा कर देख लें, प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें, राज्य सरकार ने और चीफ मिनिस्टर ने उत्तर दिए हैं। आप देख लीजिए कि यहां पर 1962 के बाद पन्द्रह सालों के अन्दर विभिन्न मामलों पर, अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार हुआ है। आपकी एक सरकार दिल्ली में है और एक सरकार यहां पर बैठी है। यह बात सही है कि सरकार को उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय भी उनको नहीं कह सकते, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि राजस्थान के लोग और दूसरे लोग, आप स्वयं क्या महसूस करते हैं, आज भी क्या महसूस कर रहे हैं, इस बात को मैं सदन को बताना चाहता हूं।

मान्यवर, हमने जब यह सुना, 1974 के अन्दर शांतिपूर्ण कामों के लिए एक आणविक विस्फोट पोकरण, जो कि राजस्थान की पवित्र और सरंजामी भूमि है, में किया गया तब राजस्थान के तीन करोड़ लोगों का और भारत के साठ करोड़ लोगों का विश्वास जागा था, और गौरव से देश का सिर ऊंचा हुआ था, गर्व का अनुभव हुआ था। पिछले दिनों, मान्यवर, हमारे देश के प्रधान मंत्री जब अमेरिका गए और अमेरिका की सीनेट के सामने यूरेनियम की मांग की, यूरेनियम की मांग करते हुए देश के प्रधान मंत्री ने विदेशी भूमि में, विदेशी शासकों के सामने यह कहा कि 1974 के अन्दर पोकरण में आणविक विस्फोट करके एक भारी भूल की।

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह दुःख व्यक्त किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। इससे देश का सिर झुक गया। यदि इसमें मेरी कोई गलती हो तो मैं सत्ता पक्ष को चुनौती देता हूं कि राजस्थान के अन्दर रेफरेंडम करा लें कि पोकरण का विस्फोट, शांतिपूर्ण कामों के लिए भारत के विकास के लिए और भारत के स्वाभिमान और गौरव के अनुकूल था या नहीं? यदि रेफरेंडम के द्वारा राजस्थान की 90 प्रतिशत जनता पक्ष में मत नहीं दे तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। राजस्थान की जनता अगर यह कह दे कि आणविक विस्फोट राजस्थान और भारत के विकास के लिए था तो आप अपना काला मुंह करके चले जावें....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कह दिया यह तो इस चुनाव में।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। जवाब क्या देंगे, आपके पास जवाब है नहीं। मान्यवर, इस देश का स्वाभिमानी सर नीचे झुक गया। मान्यवर, मैं मानता हूं कि आप इस सदन के अध्यक्ष ही नहीं, आज के सदन की परम्परा और गौरव के प्रतीक हैं। मैं ही नहीं, आप भी महसूस करते होंगे कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने तमाम परम्पराओं को तोड़ दिया है। किसी भी देश का प्रधान मंत्री, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आज तक विश्व में कहीं भी जाकर किसी भी सीनेट के सामने, पार्लियामेंट के सामने, असेम्बली के सामने नहीं गया। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, ऐसा देश निकला है, जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसके प्रधान मंत्री द्वारा अमेरिका में जा करके कार्टर से बात करने से मामला नहीं सुलझा तो वे सीनेट के सामने गए। भारत के प्रधान मंत्री ने आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की होगी या किसी भी देश के प्रधान मंत्री से बात की होगी लेकिन कभी भी अमेरिकी सीनेट के सामने जाकर अपनी बात नहीं रखी। यह पहला मौका है जब कि देश के प्रधान मंत्री ने वहां जाकर सीनेट के सदस्यों को खुश करने के लिए, अमेरिका को राजी करने के लिए...

श्री ईश्वरचन्द्र : आप किस आधार पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : यह एडजोर्नमेंट मोशन का विषय नहीं है। एडजोर्नमेंट मोशन के नाम पर राजनैतिक भाषण हो रहे हैं, यह किस प्रकार की व्यवस्था है...

(व्यवधान)

आप अमेरिका के नाम पर जान बूझ कर देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने और देश के प्रधान मंत्री को बदनाम करने के लिए इस मौके का उपयोग कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आरोपों को रोका जावे....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह मान्य परम्परा रही है कि जब विरोधी दल के नेता सदन में बोल रहे हों तो सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों को विघ्न नहीं डालना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : इस मंच का उपयोग इस तरह नहीं किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : यह न बोलने देने की गलत परम्परा है . . .

श्री रघुनन्दन व्यास : भारतवर्ष के प्रधान मंत्री को लांछित करने के लिए विधान सभा का उपयोग विरोधी दल के नेता से नहीं करवाया जा सकता । इसके लिए कदापि स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता । इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए यह जो भारतवर्ष के प्रधान मंत्री को लांछित करने के लिये इस विधान सभा का उपयोग किया जा रहा है, वह गलत है और बेबुनियाद है ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि भारत के प्रधान मंत्री के कथन से इस देश की प्रतिष्ठा गिरती है तो इस सदन को यह हक है कि यह उस पर चर्चा करे । यह अणु विस्फोट राजस्थान की पावन भूमि पर हुआ है । उससे क्या रेडियम सक्रियता बढ़ी या नहीं, उस पर इस सदन को चिन्ता होना स्वाभाविक है । कहां पर रेडियम सक्रियता मिली है तो हमें चिन्ता होना स्वाभाविक है । विरोधी दल के नेता महोदय ने स्थगन प्रस्ताव रखा है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है । उससे हमारे राष्ट्र की इमेज नीचे गिरी है, उनका यह कथन दलगत राजनीति से प्रेरित है । यदि प्रधान मंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास की कोशिश नहीं कर सकते हैं तो इस सदन को यह अधिकार है कि हम अपने विचार यहां पर प्रकट करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह उचित समझता हूं कि इस पर चर्चा समाप्त होनी चाहिए । अगर इसके उपरांत भी विरोधी पक्ष के कोई माननीय सदस्य खड़े होकर इस समस्या के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो शासन पक्ष के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उन विचारों को सुनें या नहीं सुनें । अगर शासन पक्ष यह निर्णय लेता है कि वह आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं तो फिर वह डेमोक्रेसी नहीं है Where the majority accedes to the views of the minority and vice-versa, then it makes for democracy; otherwise it is tyranny. अब आपको कोनसेनसस के द्वारा इस बारे में निर्णय लेना चाहिए—नहीं तो इतने सारे आदमी हैं, जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनका अधिकार है कि नहीं सुनें । कोई न कोई ऐसा सामंजस्य आपको स्थापित करना चाहिए जिसके द्वारा आपकी बात इधर सुनी जाए और इधर की बात को आप सुन सकें । मेरी आपको यही सलाह है ।

श्री मदनसिंह दांता : आप ना कह दें, हम नहीं सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : तब कम्प्रोमाइज हो सकता है । मैं यह चाहूंगा कि यह न हो । मेरे यहां रहते हुए यह न हो । सदन का समय घंटों तक नष्ट नहीं किया जाना चाहिए । अणु विस्फोट के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा, उस पर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, उस पर प्रकाश डाल सकते हैं । परन्तु उसको तूल पर तूल देते चलें जाएं और 10–15

(श्री अध्यक्ष)

मिनट का समय भी पूरा ठीक नहीं समझें, यह ठीक नहीं है। यह सब राजनीति है। राजनीति में ऐसी चर्चा किसी किसी समय होती है। परन्तु ऐसी चर्चा की कोई न कोई परम्परा होती है। समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा की भी परम्परा है और सीमा है। इस सीमा के अन्दर आपको जो कुछ भी चर्चा करनी है, करिए और इस चर्चा को समाप्त करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : समाप्त ही कर रहा हूं। अब तक तो समाप्त कर देता।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह वन वे ट्रेफिक नहीं चलेगा। विरोधी दल के नेता किस आधार पर यह बात कह रहे हैं। प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने क्या कहा? ...

श्री दूलाराम : आप अखबार नहीं पढ़ते हैं ...

श्री ईश्वर चन्द्र : इस सदन में अखबार के आधार पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। खेतड़ी कांड का क्या हुआ? अखबार के आधार पर इसलिए यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिना आधार के नहीं बोल रहा हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : विरोधी दल के नेता गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधान मंत्री ने यह अमेरिका की सीनेट के सामने स्वीकारा है ...

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता और सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि किसी विषय पर सदन में चर्चा हो रही हो तो वे उसमें भाग लें। जो प्रधान मंत्री का स्टेटमेंट है जिस पर विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि वह स्टेटमेंट ठीक है। It should be decided by ballot. तब राजस्थान की आवाज होगी। प्रधान मंत्री ने जो बात कही है, उस पर हम भी बोलेंगे और उससे राजस्थान की भावना प्रकट होगी। यह सदन उसे बहुमत से प्रकट करेगा। एक-दो सदस्यों के बोलने से वह राजस्थान की आवाज नहीं हो सकती।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सदन मोरारजी देसाई के स्टेटमेंट से चुन कर नहीं आया है। यह आपका मेनीफेस्टो नहीं है। यह कोई आधार नहीं है।

श्री दूलाराम : आप तो जनमत संग्रह करा लीजिए।

(व्यवधान)

मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : जनता पार्टी की जो अणु शक्ति की नीति है वह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : महात्मा गांधी की हत्या जिन्होंने की है वे किस प्रकार उनका नाम ले सकते हैं। यह सब जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह आपका व्यवहार शोभनीय नहीं है। आपको एक सैकिण्ड भी नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, अगर ये यूनिटी से हमारा मुंह बन्द करना चाहते है तो हम मुंह बन्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट...

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : मेरे विचार तो सुन लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने आपकी आज्ञा से प्रश्न विथड्रा कर लिया।

श्री संपतराम : आप फिर शुरू हो गये। जब व्यवस्था हो गई...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इनको स्टाप कीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक दफा मैंने यह निर्णय दे दिया कि यह विषय इस सदन के अन्दर उठाने योग्य नहीं। इसके पश्चात् भी सदन की परम्परा के अनुसार विरोधी दल के माननीय नेता को 7 मिनट तक बोलने का समय दिया Now psychologically, I feel that the majority is in no mood to listen to him.

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल...

श्री अध्यक्ष: Be prepared to listen.

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : शर्म करो, शर्म करो।

श्री गुरुशरण छावड़ा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय. बड़े खेद की बात है कि जिन परम्पराओं के अनुसार विरोधी पक्ष के नेता समय समय पर स्थगन प्रस्ताव लाते हैं और उनके माध्यम से बहुमत का समय लेते हैं...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री) : आप जरा आसन की ओर तो देखें।

श्री नवनीत पालीवाल : आप आसन की मर्यादा का पालन करें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, There is a point of order....

श्री अध्यक्ष : जो निर्णय दिया है, एक निर्णय नहीं, दो निर्णय हैं एक तो निर्णय यह है कि यह विषय इस सदन में उठाने के योग्य नहीं। दूसरा निर्णय यह है कि बहुमत अल्पमत की बात सुनने के लिये तैयार नहीं। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह दांता : There is a point of order, Sir. आपके सामने इस सदन की कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न रखा गया और आपने व्यवस्था दी, उसमें यह कहा कि बहुमत अल्पमत की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है ....

श्री रतनलाल वर्मा : क्योंकि वह बात गलत है इसलिये सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसलिये दूसरा आइटम शुरू करने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरा आइटम कैसे शुरू होगा। जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे।

श्री दूलाराम : अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हम भी इनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको 5 मिनट देना चाहता हूं। पांच मिनट के बाद आप बहस को समाप्त करते हैं तो आसन सहयोग देने के लिये तैयार हैं। आपको अगर एक्सपोज करना है सरकार की नीति को तो आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है 5 मिनट बोलकर आप विराज जायं ताकि फिर दूसरे भी बोलें।

श्री राम नारायण चौधरी : आपने 5 मिनिट दिये हैं, मैं 4 मिनिट ही लूंगा।

(व्यवधान)

श्री संपतराम : 7 मिनट तो आपने पहले ही ले लिये।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : There is a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : There will be no further discussion. Now I call upon the leader of the opposition to speak just for five minutes.

श्री रामनारायण चौधरी : Only four minutes, Sir.

मान्यवर, सदस्य यह फर्मा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपकी भावनाएं उग्र हैं और यह स्वाभाविक भी है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ। जब हमारे देश के प्रधान मन्त्री अमेरिका में थे, आप किसी भी अखबार को उठा लीजिये उन पर अगर कोई दबाव है तो वह सत्ता का है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : Sane people are silent, donkeys are going to speak now.

श्री राम नारायण चौधरी : आप ऐसा अखबार बता दीजिये, कोई ऐसा एडिटोरियल बता दीजिये ?

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक भी एडीटोरियल नहीं मिलेगा, देश के अखबारों का, देश में कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति या अधिकारी नहीं मिलेगा जिसने इस नीति का समर्थन किया हो। जनता पार्टी में भी कई देश की भूत में निर्धारित आणविक नीति के खिलाफ नहीं हैं। इस नीति के कारण कल ही जनता पार्टी के नेताओं में जूते चले हैं। मनीरामजी बागड़ी जूता लेकर दौड़े हैं।

(व्यवधान)

आपकी आणविक नीति अस्पष्ट है। प्रधान मंत्री ने बिना मंत्रि मण्डल की राय के और बिना जनता पार्टी की राय के स्वयं यह नीति निर्धारित की है। स्वयं जनता पार्टी के प्रधान मंत्री ने . . .

एक माननीय सदस्य : जूते चलने का मुकाबला कर रहे हैं।

श्री नूरा : इतना गुस्सा आये तो लड़ने मत दो।

श्री रामनारायण चौधरी : सत्तापक्ष के लोग सुनने को तैयार नहीं है। न्यूमरीकल स्ट्रेन्थ के आधार पर इसको दबाना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपके प्रोटेक्शन से हमें अपनी बात कहने का मौका मिला है। इसी बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री आदित्येन्द्र (वित मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित लेखे व प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) राज्य सरकार के विनियोग लेखे 1976-77.

(2) राज्य सरकार के वित्त लेखे, 1976-77,

(3) वर्ष 1976-77 के लिए भारत के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक),

(4) वर्ष 1976-77 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

(5) वर्ष 1976-77 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

वर्ष 1972-73 के लिए अधिक मांग व वर्ष 1978-79 के लिए अनुपूरक मांगों का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1972-73 के लिए अधिक मांग तथा विनियोगों का विवरण एवं स्पष्टीकरण स्पष्टिपत्र का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1978-79 के लिए अनुपूरक मांगों तथा विनियोगों का विवरण (प्रथम) एवं स्पष्टीकरण स्पष्टीपत्र का उपस्थापन करता हूं।

प्रौढ़ शिक्षा अभियान पर चर्चा

नियम 295 के अन्तर्गत

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो अक्टूबर के रोज सारे हिन्दुस्तान

(श्री मूलचन्द डागा)
में 200 करोड़ की धनराशि के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने इस अभियान को आरम्भ करने की बात के लिए न तो इस हाउस में कोई स्टेटमेंट दिया है, न कोई अपनी नीति बतलाई है, न कोई कार्यक्रम रखा है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि किस आधार पर कितने लोगों को शिक्षित करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, इसके लिए कौनसी सामग्री होगी, किस प्रकार के साधन हम जुटा पायेंगे, किस प्रकार से हमारा कार्य शुरू हो जायगा, और कितनी भाषाओं में गांवों के लोगों को शिक्षित किया जायेगा। 15 से 35 वर्ष के लोगों को पढ़ाने का...

एक माननीय सदस्य : आपको क्या अधिकार है?

श्री मूलचन्द डागा : मुझे इस प्रश्न को रेज करने का अधिकार है। पॉलिसी स्टेटमेंट इस सदन में डिस्कस करना चाहिए। यह कारण है। जिस बात को आप जानते नहीं हैं उस पर क्यों बोलते हैं। 2 अक्टूबर से अभियान चलाया जा रहा है और वह राजस्थान विधान सभा में डिस्कस नहीं हो रहा है। आप स्टेटमेंट दें। बजट की बहुत बड़ी धनराशि इस पर खर्च हो रही है। मैं ध्यान दिलाता हूं कि नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार का यह कर्तव्य है और शिक्षा विभाग का यह कर्तव्य था कि प्रौढ़ शिक्षा के बाबत सारे सदन को विश्वास में लेती, हमारा सहयोग लेती, हमारे सुझाव लेती। हमें बताती कि राज्य सरकार की क्या नीति है, क्या योजना है? किस प्रकार से अन्य-अन्य भाषाओं में गांवों में लोगों को शिक्षित करेगी। किस प्रकार से प्रौढ़ों को, महिलाओं को और गांव के पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और और लोगों को शिक्षित करेगी। क्या आप चाहते हैं? किन-किन लोगों को आप एम्प्लायमेंट देंगे? कौन से आपके साधन होंगे। यह सारी बातें आप को बतानी चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। आज हमको मालूम नहीं है किस प्रकार से पढ़ने वाले लोगों को शिक्षा देंगे। किस प्रकार से सिन्धी पढ़ने वाले लोगों को शिक्षा देंगे, किस प्रकार से उर्दू पढ़ने वाले लोगों को शिक्षा देंगे? उसकी क्या व्यवस्था करेंगे। इसलिए इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं।

एक माननीय सदस्य : नीति हाउस में तय नहीं होती है, मंत्रिमंडल में तय होती है।

श्री मूलचन्द डागा : कोई जो यह कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं, वह कम समझ की बात कर रहे हैं, जानते नहीं हैं और बोल देते हैं, बिना मतलब बोलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी ने जो प्रश्न उठाया है वह वाजिब है। सरकार प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमको बताये कि उनका क्या केरीकुलम होगा, उसका कितना बजट होगा, उसमें भारत सरकार से कितना मिलेगा। आप इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दे दें।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : हां दे देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आप दे दें तो उसके बाद चर्चा होगी।

श्री मूलचन्द डागा : दे देंगे। तीन दिन पहले मैंने इसका नोटिस दिया है। 2 अक्टूबर से अभियान शुरू कर दिया और उसके बाद कह रहे है कि दे देंगे। यह शिक्षा मंत्री का कर्त्तव्य था कि वह इसके बारे में आज सदन में स्टेटमेंट देते।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे पास आ जाइये, दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार का उत्तर देना सदन में शोभाजनक नहीं है कि मेरे पास आ जाइयेगा। माननीय भंवरलाल जी साहब, शिक्षा मन्त्री जी, आप शिक्षा मंत्री होकर इस प्रकार का उत्तर न दें मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। आप मेहरबानी करके पालिसी बतायें या कह दें कि मालूम नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा कि जानकारी दें तो मैंने कहा कि दे दूंगा। यदि जल्दी हो आपको तो आ जाइयेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जल्दी ही आप दीजिये। जानकारी का सवाल है तो जानकारी दीजिये, जल्दी ही।

श्री भंवरलाल शर्मा : दे दूंगा।

(2.45 म. प.)

(श्री राम चन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मूलचंद डागा : यह इवेजिव आन्सर आपको शोभा नहीं देता है। सरकार की पालिसी बनी नहीं। सरकार आपस में झगड़े में लगी हुई है।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रौढ़ शिक्षा के बारे में माननीय मन्त्री महोदय वक्तव्य दें उसके पहले मैं यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार योजना को लागू कर रही है उससे पूरे राजस्थान का विकास नहीं होने वाला है। झालावाड जिले में एक पर्टीक्यूलर पंचायत समिति ने यह योजना लागू की। इस तरह से प्रौढ़ शिक्षा लागू की गई तो राजस्थान का अधिकांश हिस्सा बच जायेगा। आप पर्टीक्यूलर हिस्से में ही खोलेंगे तो इससे प्रौढ़ शिक्षा का विकास नहीं होगा बल्कि और असंतुलन होगा।

श्री मथुरादास माथुर : हम यह आशा लेकर चलते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी अहमियत की योजना है कि इसके बारे में सरकार की तरफ से व्हाइट पेपर इश्यू होना चाहिए। फाइनेन्स के बारे में, इसको फोर्स में लाने के लिए कौन-कौनसी एजेन्सीज वर्क करेंगी, कौनसी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और कौन सी अन-रजिस्टर्ड हैं इन सबकी जानकारी देते हुए अगर व्हाइट पेपर इश्यू हो जाय और फिर इसको डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि हम पार्टेक करें तो व्हाइट पेपर इश्यू करके फिर हाउस में डेट तय करके इसको डिस्कस कर लें। कई माननीय सदस्यों को इसके बारे में बहुत बातें कहनी हैं। इसलिए यह बड़ा अहम सवाल है। राज्य सरकार कमिट करे व्हाइट पेपर निकालने के बारे में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय हम आशा करते हैं रूल 295 के अन्तर्गत ज ब

Page No 57

(87)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न खड़ा किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार की ओर से इसके बारे में व्हाइट पेपर इश्यू होगा और सरकार का व्यू पाइंट मालूम हो जायेगा. राजस्थान के लिए, राजस्थान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा से लोगों को शिक्षित करने की इम्पार्टेन्ट योजना बनाई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर वह हाउस के सब सदस्यों की ओपीनियन ले। हमारी ही बात नहीं है। यह तो आपका उत्तरदायित्व था आपको श्वेत पत्र रखना चाहिए था। अन्त्योदय योजना में भी आपने यही किया, आपके लिए यह बात गलत है। आपका उत्तरदायित्व है। हम भी उस पर सुझाव दें तो उसका सरकार को लाभ होगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो केवल एक बात कहता हूं । 1978 और 1979 में कितने लोगों को शिक्षित करेंगे ? कितना बजट होगा ?

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : क्या पढ़ाया जाएगा ? क्या लिया जाएगा ? उसका क्या होगा ? किस तरह से होगा ? यह तमाम बातें हैं जिनके लिए यह जरूरी है कि उसकी तस्वीर सामने आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : नियम 297 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है, आसन के द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी। इससे पहले इस सदन का और आसन का ऐसा कभी अपमान नहीं हुआ है। सरकार चुपचाप बैठी रहे। खड़े होकर यह भी नहीं कहे कि आज नहीं तो कल उत्तर देंगे, यह तो सदन की परम्पराओं का हनन है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कह दिया है, आप उस समय थे नहीं।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह योजना 2 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। मैं प्रैक्टिकल रूप से इसके साथ में रहा हूं। शिक्षा मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा यह योजना येन केन प्रकारेण लागू की गई है। योजनाबद्ध ढंग से लागू नहीं की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि योजना लागू करने से पहले विधान सभा में नीति सम्बन्धी सिद्धांत प्रस्तुत करें। सारे राजस्थान में इसको किस प्रकार से लागू करेंगे। भारत सरकार की यह 200 करोड़ की योजना है। राजस्थान में इसे किस प्रकार से चलाया जा रहा है।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में मेरा निवेदन है कि इस योजना के बारे में····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, 2 तारीख से प्रौढ़ शिक्षा योजना को चालू करने के बारे में घोषणा हुई है।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय का

(मेजर श्री फतह सिंह)

एक पत्र मुझे भी मिला है। शायद सभी माननीय सदस्यों को मिला होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर हम प्रौढ़ शिक्षा का श्री गणेश करें। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। कितना धन मिलेगा? कौन देगा? यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय श्री मूलचन्द डागा ने राजस्थान की जनता के प्रति और सरकार के प्रति बहुत बड़े उत्तरदायित्व को पूरा किया है। मैं सरकार से और विशेष कर शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक इस योजना का 'ब्ल्यू प्रिन्ट' सदन के सामने नहीं आ जाये, तब तक इसको स्थगित किया जाये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : प्रौढ़ शिक्षा पर 200 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आज राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां प्राथमिक स्कूल तक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार की क्या नीति है ? क्या योजना है, इसके बारे में...

श्री रघुनन्दन व्यास : यह तो सुझाव है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऐसे सुझाव बहुत से हैं।

श्री बहादुर सिंह : ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 10–15 किलोमीटर तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, जहां हजारों गांवों में लड़के प्राइमरी शिक्षा से वंचित हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वहां जब वह बड़े हो जायें तो उनके लिए पैसा खर्च करें। यह सारा का सारा धन प्राथमिक विद्यालयों में दीजिये। जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है वहां पर प्राइमरी स्कूल खोले जायें ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उन लोगों को, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षित करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लड्ढा जी, आप भाषण देने लग गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिस विषय पर चर्चा की जा रही है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा सुझाव है...

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : सन् 1963–64 में राजस्थान सरकार ने एक समिति बनाई थी। मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने हम लोगों से पूछा नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी ?

(व्यवधान)

सुन भी लो..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस चर्चा को संगत नहीं मानता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : पिछली योजना है, उसमें शतप्रतिशत साक्षर बनाये हैं। कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इतनी कामयाबी हुई है। 62 से 63 तक के तथा अभी तक के हम अनुभव बता सकते हैं। उस समय मनोहर सिंह मेहता थे। यह योजना केवल रुपये का दुरुपयोग करने के लिये अगर लागू करनी है तो मैं कुछ नहीं कहता, अन्यथा शिक्षा मन्त्री जी मेरे पास बैठें या मुझे अपने पास बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरण सिंह जी, आप कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मेरा सुझाव है,...

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव समझ लिया है।

श्री शिवचरण सिंह : उनको इससे ज्ञान मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शिवचरण सिंह : पहले भूतपूर्व सैनिकों को काम दिया गया था। अब भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ दिया गया है। अब यह आर.एस.एस. को देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह : आप भूतपूर्व सैनिकों को दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरणसिंह जी, आप विराजिये। आप बार बार ऐसा करेंगे तो भाषण रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अभी चर्चा की इजाजत आपने दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता जी, आप कृपया विराजिये। माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय।

श्री माणक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह प्रश्न माननीय डागाजी ने उठाया था उसके तत्काल बाद शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि हम वक्तव्य देंगे। माननीय डागा साहब ने इसको सुना और हो सकता है माननीय रामनारायणजी ने नहीं सुना हो। उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया....

(व्यवधान)

मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में एक मत से प्रस्ताव पारित किया है। इस सदन में आपको कहने का अधिकार है और मैं भी अपने अधिकार से बोलता हूं इसको आप कोई अन्यथा नही लें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस अधिकार से बोल रहे हैं, मैं भी उस अधिकार से बोल रहा हूं। आज हमारे नेता नहीं हैं इसलिए मैं उप नेता की हैसियत से

(श्री माणकचन्द सुराणा)
बोल रहा हूं। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि वे बयान देंगे। राजस्थान में जो काम जिन जिन जिलों में होना है, किस प्रकार की संस्थायें होंगी और उनके क्या–क्या कोर्स होंगे, यह सदन को जल्दी से जल्दी बतायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो यह योजना है इस पर आगामी 6 वर्षों में 45 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसका विस्तृत ब्यौरा सदन को दिया जायगा। हो सकता है जैसा माननीय शिवचरणसिंहजी ने कह दिया कि इसकी जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से कहने का एक फैशन बन गया है। जैसे सभी कुछ वे ही जानते हैं और उनके सामने जो बैठे हैं वे कुछ नहीं जानते। हम कुछ जानते हों, हो सकता है सब कुछ नहीं जानते हों। इसलिए उन्होंने जो आरोप लगाया है····

श्री शिवचरण सिंह : मेरा कोई आरोप नहीं है·····

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोक सभा ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया है इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक चर्चा का मुद्दा न बनावें, यही निवेदन है।

श्री शिवचरण सिंह : मेरा आरोप नहीं था·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरणसिंह जी, कृपया बिराजिये।

श्री शिवचरणसिंह : मेरा सुझाव है।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री महोदय ने वक्तव्य देने की बात कही है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि 2 अक्टूबर से यह कार्य तो प्रारम्भ कर दिया। अब वे व्हाइट पेपर या ब्ल्यू पेपर क्या पेश करेंगे इसका स्पष्टीकरण भी करवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह प्रश्न आया कि सदन में इसकी जानकारी दी जाय और आदरणीय माथुर साहब ने कहा तो मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायगी और जो सुझाव रखे हैं उन पर भी विचार किया जायगा। अगर उस योजना में कुछ जोड़ना है तो जोड़ा जायगा। शिवचरणसिंहजी जो काफी विद्वान् हैं उनसे भी परामर्श करने मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा, उनको बुलाऊंगा नहीं। परन्तु विरोधी दल के माननीय नेता कैसे उत्तेजित हो गये यह मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सदन का अपमान हो गया····

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कब उत्तेजित हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब भी कोई बात हम कहना चाहते हैं, या अध्यक्ष महोदय बोलते हैं तो विरोधी दल के माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलते रहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह अपमान है कि हम डिस्टर्ब करते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य ऐसा नहीं करते हैं।

Page No 61

(61)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह देख लीजिये, मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हो गये। यह बात आप बाद में भी कह सकते थे। हम बोलते हैं तो आप सुनिये तो सही, हमको बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि व्याख्याताओं के लिये यू.जी.सी. के वेतनमान

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय; प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं मूलचन्द डागा····

श्री शंकरलाल : पाइन्ट आफ आर्डर सर। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि इसके बारे में स्टेटमेन्ट देंगे। इसलिए माननीय सम्बन्धित मन्त्रीजी वक्तव्य देंगे तो ठीक रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं मूलचन्द डागा व अन्य सदस्य, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि व्याख्याताओं के लिए अब तक यू. जी.सी. के वेतनमानों को लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्रीजीका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे फिर भी यह प्रश्न ध्यानाकर्षण के जरिये उठाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापकों के अतिरिक्त जूनियर लेक्चरार, रिसर्च असिस्टेन्ट, एक्सटेन्शन असिस्टेन्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये वेतनमान दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। विश्वविद्यालय में जिन प्रधानाध्यापकों के दिनांक 1–1–73 से पहले जो पुराने वेतनमान चल रहे थे उनको आयोग के वेतनमान दिये गये हैं, उसी प्रकार राजस्थान शिक्षा सेवा में भी कालेजों में पढ़ने वाले प्रधानाध्यापकों को भी जो पुराने वेतनमान 375–850 में थे वे 1–9–76 से 750–1350 पा रहे हैं उनको भी यू. जी.सी. वेतनमान 700–1600 दिया जा चुका है। उसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय, मालवीय कालेज में भी यू. जी.सी. के पुराने वेतनमान थे, उनको भी नये वेतनमान दिये जा चुके हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग के नये वेतनमान दिये गये हैं। उसी प्रकार राजस्थान शिक्षा सेवा में भी कालेजों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को, जो कि पुराने 375–850 व 1-9–76 से 750–1350 में वेतन पा रहे हैं, भी यू. जी. सी. वेतनमान 700–1600 दिये जा चुके हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य के विश्वविद्यालय, इन्जनियरिंग संकाय में तथा मालवीय इन्जनियरिंग कालेज में भी उन्हीं प्राध्यापकों, जो यू. जी. सी. के पुराने वेतनमान में थे, को यू. जी. सी. के नये वेतनमान दिये गये हैं।

उदयपुर विश्वविद्यालय में इस समय जूनियर लेक्चरार, रिसर्च असिस्टेन्ट, एक्सटेंशन असिस्टेन्ट की संख्या 261 है। विश्वविद्यालय के इन्जनियरिंग संकाय में तथा

(श्री दिग्विजय सिंह)
मालवीय इन्जिनियरिंग में भी प्राध्यापकों के नीचे काम करने वाले, इनके समकक्ष श्रेणी के अध्यापकों आदि की संख्या भी काफी है। राज्य के कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग में भी समान योग्यता तथा समान कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 791 है। इस प्रकार के अधिकारी अन्य विभागों में भी हैं। अतः राज्य सरकार के सामने यह समस्या है कि प्राध्यापकों के नीचे की वेतन शृंखला वालों को भी यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतनमान दिये जाते हैं तो सभी समान कार्य और समान योग्यता वाले अधिकारियों की भी इसी प्रकार की वेतन शृंखला की मांग प्रबल हो जायगी। सबको मिलाकर सरकार पर वित्तीय प्रभाव कई लाख रुपये सालाना होगा।

इस प्रकरण पर दो बार मंत्रिमण्डल में विचार-विमर्श हो चुका है एवं मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार आवश्यक सूचना विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान देने से इनका प्रभाव राज्य की अन्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस सम्बन्धी सूचना अन्य राज्यों से मंगवाई जा रही है तथा कुछ सूचना विश्वविद्यालय से भी आनी है। इन सब सूचनाओं के प्राप्त होने पर इसके वित्तीय भार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : सबसे पहला सवाल यह है कि आपको यदि इस काल अटेन्शन मोशन का इतना लंबा जवाब देना था तो आपको यहां रिटिन रिप्लाई पेश करना था। हम सभी सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि देनी चाहिए थी लेकिन आपने वह नहीं किया। आपने जिस बात को कबूल कर लिया, दो साल तक आप लोगों को मुगालता देते रहे। आज व्याख्याता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। टीचर की परिभाषा क्या है? आपका उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें धारा है :

"The words '(v) Junior Lecturers' be substituted by (v) Lecturers, under Statute 47 (i) teachers appointed."

यह आप ने लिखकर दिया। फिर आपकी सरकार ने पत्र भेजा, उसका जवाब असिस्टेंट डाइरेक्टर, दिल्ली ने क्या दिया? है :

'Agriculture Production Commissioner, Government of Rajasthan, Jaipur.'

"As you are already aware.."

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उन्होंने पहले कोरसपोंडेंस कर ली...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सुन लीजिए। यह पत्र सरकार की जानकारी में होगा। आप सवाल पूछ लें।

श्री मूलचन्द डागा : आपके यहां जो पत्र आ गया है कृषि उत्पादन कमिश्नर के पास, उसमें उन्होंने माना है।

"As you are already aware, the Indian Council of Agricultural

(श्री मूलचन्द डागा)

Research has already agreed in principle to extend the benefit of revision of pay scale to the teachers in Agricultural Universities."

आपने जो इन्क्वायरी की थी उसका जवाब आ गया फिर श्री लाम्बा, जो उस समय वाइस चांसलर थे, ने लिख दिया :

"The Ministry of Bducation, Government of India, on the recommendations of the U.G.C., has recommended the revision of scale of Rs. 700-1600 in the case of Junior Lecturers now in the grade of Rs. 300-600."

यह आपके तत्कालीन वाइस चांसलर का लैटर है, यह आपके डिपार्टमेंट का है। उसके बाद यू. जी. सी. ने कह दिया कि 700–1600 का ग्रेड उनको दिया जाए। ये सारी बातें होने के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जब कि आपका कानून कहता है, आपने खुद ने मान लिया है, आपके विभाग ने मान लिया है, आपको 80 प्रतिशत ग्रांट वहां से मिल रही है, गवर्नमेंट आफ इंडिया कह रही है कि ग्रांट मन्जूर है। कौंसिल ने क्लेरीफिकेशन निकाला :

"The Council makes no distinction between academic research, extension in agricultural universities...."

उन्होंने कहा है कि यू. जी. सी. जैसे 80 प्रतिशत ग्रांट देता है यह कौंसिल भी देने को तैयार है। पिछले सत्र में आपने कहा था कि इन व्याख्याताओं को नए वेतनमान देने की मंजूरी आ चुकी है उसके आधार पर आप देंगे। कल जब हमने यह प्रश्न उठाया, स्थगन प्रस्ताव के जरिए तो आपने बोलने की इजाजत दी। सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही। हमें जवाब मिला कि कल मुख्य मंत्रीजी इस पर वक्तव्य देंगे और आज आप कह रहे हैं कि आप विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य दे दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने धरना दिया है, सारा काम ठप्प हो गया है। आप कहते हैं खेतों पर ध्यान देंगे। खेतों का सारा काम ठप्प हो गया है दो ढाई सौ लोग भूख हड़ताल पर हैं। विद्यार्थियों ने भी कहा है कि हम भूख हड़ताल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण न दें, समाप्त करें।

श्री मथुरादास माथुर।

मेजर श्री फतहसिंह : उनसे पहले मेरा नाम आता है। मुझे कृषि मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछने हैं। एक तो जो जूनियर लेक्चरर्स 4 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं अपने-अपने केन्द्रों पर 25 सितम्बर से धरना दे रहे हैं, इन सबकी यदि मांगें पूरी कर दी जाएं तो यूनिवर्सिटी पर फाइनेन्शल लाइबिलिटी कितनी होगी ? दूसरा, भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का लैटर है 8 अप्रेल 1974 का, addressed to D. L. Laoti, Vice President (RUTA) :—

"I am directed to refer to your letter dated April 2, 1974 addressed

(मेजर श्री फतह सिंह)

to Education Minister on the above subject, and to say that the revised scale of Rs. 700-1600 is also applicable to Junior Lecturers who are at present in the grade of Rs. 300-600."

क्या भारत सरकार की इस प्रकार की सलाह और निर्णय को राजस्थान की यूनिवर्सिटीज और आप लोग मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं हैं ।

मेजर श्री फतह सिंह : बाहर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जैसी हमें जानकारी मिली है, वे लोग गत वर्ष भी आपसे मिले थे और आपने उनको आश्वासन भी दिया था, शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया था। वह आश्वासन अब तक क्रियान्वित क्यों नहीं हुआ ? मैं भी वही बात कहने जा रहा हूं जो श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने कही थी कि You must be decisive. कोई फर्म डिसीजन लेना चाहिए। इतनी देर लिंगर आन करने की आवश्यकता नहीं है ताकि बाहर जो आंदोलन चल रहा है, वह बंद हो। भारत सरकार की जब सलाह है, इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सलाह है कि जूनियर लेक्चरर्स भी टीचर्स की परिभाषा में आते हैं जैसा डागाजी ने कोट किया है इसलिए इन्हें भी 300-600 के बजाय 700–1600 का ग्रेड दिया जाना चाहिए।

माननीय माथुर साहब, I am sorry to have interrupted you.

श्री मथुरादास माथुर : It is a pleasure, you have done my job.

उपाध्यक्षजी, जो दलीलें कल सदन में दी गई उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मंत्री महोदय के बयान से दो बातें निकलती हैं: एक तो मामला विचाराधीन है। दूसरे, इसमें काफी धनराशि खर्च करने का प्रावधान करना पड़ेगा। राज्य सरकार इस स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रश्न भी इसके साथ उठाए जा सकते हैं। वित्त विभाग इस पर बैठा हुआ है, इसलिए विषय विचाराधीन है। गत सत्र में भी यह सवाल उठा था और उस समय भी कृषि मंत्री याद कर लें, आपने कहा था कि यह मामला विचाराधीन है। आज 6 महीने बाद भी विचाराधीन है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि यह मामला गत सत्र में विचाराधीन था, अभी भी विचाराधीन है और कब तक यह विचाराधीन रहेगा ? जब कि वाइस चांसलर ने बाई नोटीफिकेशन व बाई प्रेस कम्युनिक राज्य सरकार को सूचित किया है कि मेरे यहां के लेक्चरर्स सब काम रोक कर बैठ गए हैं, जगह जगह धरने पर बैठे हैं, जोबनेर में, गंगानगर में, उदयपुर में सब जगह धरने पर बैठे हैं, काम ठप्प पड़ा है, पढ़ाई बंद हो गई है, एक्सटेन्शन और रिसर्च का काम बंद हो गया है। ऐसी हालत में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की यूनियन का जो कम्युनिक है कि हमारी पढ़ाई रुक रही है, वे इनके साथ हैं। तीसरे, टीचर यूनियन जो उदयपुर यूनिवर्सिटी की है उसका बयान है कि हम इनके साथ हैं। इसलिए अब मेरा यह निवेदन है कि लड़कों के, टीचर्स के और रिकगनाइज्ड आर्गेनाइजेशन और यूनियन के बयान सबके सामने आये हैं और उसमें भी राज्य सरकार ने 6 महीने पहले कहा था कि मामला विचाराधीन है और अभी भी

(श्री मथुरादास माथुर)

विचाराधीन है। मैं पूछना चाहूंगा कि यह विचाराधीन मामला कब तक रहेगा, कितने दिन रहेगा और कितने घंटे रहेगा या फिर हड़ताल होकर, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ होकर एक दो आदमी मरेंगे तब फिर आप करेंगे? यदि ऐसा होता है तो मेरा सरकार के ऊपर यह चार्ज रहेगा कि आप ही तो भूख हड़ताल करवाते हो, आप ही लोगों को मरवाते हो और आप ही 6 महीने तक फैसला नहीं करते हो...

श्री मूलचन्द डागा : सरकार नम्रता की भाषा नहीं जानती है।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरा एक प्रश्न और आपके बयान से सामने आता है। आपने कहा कि पैसे की कमी है। यह बात मैं मान सकता हूं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिवाइज्ड पे-स्केल को राजस्थान में लागू करने का मामला अपनी केबिनेट में विचार करके फैसला घोषित कर दिया। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में लेक्चरार्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स पर यह पे-स्केल लागू कर दिये और जोधपुर यूनिवर्सिटी में दे दिये तो फिर उदयपुर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं यह पे-स्केल दिये जा रहे हैं? वही 300–600 की ग्रेड में थे, वही यूनिवर्सिटी है और वही लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी थी, मैं मान सकता था कि आप उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए कह देते कि न तो रीडर को देंगे, न लेक्चरार्स को देंगे और न प्रोफेसर्स को देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आपने बड़े-बड़े रीडर्स और प्रोफेसर्स को तो यह पे-स्केल दे दिये और जब लेक्चरार्स का समय आया तो आपको अपनी थैली नजर आई और उसमें पैसे की कमी नजर आई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 80 प्रतिशत ग्रान्ट तो इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च देगी। उसका यह खत मौजूद है, राज्य सरकार के रिकार्ड में मौजूद है। उन्होंने यह कहा है कि रिसर्च एक्सटेन्शन असिस्टेन्ट जितने भी हैं उन सब को लेक्चरार कर देंगे और जिनका 300–600 ग्रेड है उसका ग्रेड 700–1600 कर देंगे। मेरे पास लैटर है। यह लैटर जुलाई 29, 1977 का मिस्टर मुकर्जी, डाइरेक्टर जनरल आफ इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मौजूद है। यह लैटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, गवर्नमेंट आफ राजस्थान जयपुर के पास है। जब 80 पर्सेन्ट वहां से ग्रान्ट आती है और इसके लिए भारत सरकार ने लिख दिया, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने लिख दिया कि यह लागू होंगी, आज का वाइस चान्सलर कहता है कि यह लागू की जायें और कृषि मंत्रालय कहता है कि लागू की जायें, इसकी मेरे पास पुख्ता सूचना है फिर, वित्त मंत्री जी, आप बतायें कि आप इस पर क्यों सांप की तरह बैठे हुए हैं? या तो यह कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं है और उदयपुर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार को नहीं देंगे, रीडर को नहीं देंगे और प्रोफेसर्स को भी नहीं देंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि पैसा नहीं है इसलिए यह लागू नहीं हो सकते। जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करके बड़ी-बड़ी तनख्वाह वालों को आपने दे दिया और इनको नहीं दिया है जो कि करीब 200–250 की तादाद में हैं। अगर आप ऐसा करते

Page No 66

(66)

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं तो आप इनडिसिप्लिन करवायेंगे। आपने दो बातें कही हैं, एक तो यह कि विचाराधीन है। आप इस तरह की बातें हमको धोखे में रखने के लिए कहते रहते हैं। आपने ऐसा कहा है कि विचाराधीन है और आज भी कह रहे हैं। दूसरी बात आपने पैसे की कही। तो पैसे की बात तो कतई नहीं है। इसके अन्दर मुझे कोई पालिटिकल मोटिव नजर आता है। वह किसी घटक में नहीं बैठते होंगे इसलिए उनको लटकाये रखो। रीडर्स और प्रोफेसर्स को यह पे-स्केल दे दिया और इन लेक्चरार्स को नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा कि आपकी हमदर्दी इनके साथ रही है। लड़के भी कहते हैं कि कृषि मंत्रीजी की हमदर्दी है और वित्त मंत्रीजी की भी हमदर्दी है लेकिन हमदर्दी से पेट थोड़े ही भरता है। इसलिए मैं आशा लेकर चलता हूं कि स्थिति बिगड़ने के पहले पहले इस समस्या पर विचार कर लो। माननीय मुख्य मंत्रीजी कल आ जायें तो बैठकर फैसला कर दो और हिम्मत के साथ कह दो कि हम नहीं देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझ पर भी कृपा हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कहें। सुझाव नहीं दें। मेरा निवेदन है कि आप प्रश्न के रूप में ही पूछ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्योंकि विरोधी पक्ष इस मांग को उठा रहा है इसलिए कृषि मंत्री जी यू.जी.सी. के वेतनमान नहीं देना चाहते हैं ?

मेजर श्री फतहसिंह : नहीं नहीं, मैंने भी उठाया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अकेले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम कहते हैं कि आपकी बात मान लें हमारी नहीं मानें।

मेजर श्री फतहसिंह : मैंने उठाया इसलिए ही मंजूर नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेजर साहब भी हमारे साथ आने वाले हैं। चलो, यह मान लेते हैं। जब आपकी सहानुभूति और वित्त मंत्री जी की सहानुभूति है तो या तो लगता है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी मंत्री जी के ऊपर हावी हैं जो नहीं देना चाहते हैं। जब आपको 80 पर्सेन्ट आई.सी.ए.आर. से मिलने वाला है तो क्यों नहीं देना चाहते हैं ? क्या आपका इसमें विश्वास है कि देश में छात्रों के अन्दर अराजकता फैले ? यह बता दें।

श्री मदनसिंह दांता : वित्त मंत्रीजी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हम तनख्वाह बढ़ा देंगे। शिक्षा मंत्री जी भी थे, वित्त मंत्री जी भी थे, और हम भी थे, तब यह बात हुई थी। क्या वित्त मंत्रीजी बतायेंगे कि आपने विश्वास दिलाया था कि उनको यह वेतनमान दिया जायेगा ? अगर यह सच है तो हम ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन में तो फोर्स करते हो कि यू.जी.सी. के वेतनमान लागू करो और अपने घर की यूनिवर्सिटी को नहीं समझाते हो।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी हैरानी की बात है, उदयपुर विश्वविद्यालय के लैक्चरार्स के साथ 6 महीने पहले नैगोसियेशन हुआ और उस समय यह अण्डरस्टैंडिंग हुई कि इनकी बात वाजिब है। हम इसका फैसला कर देंगे और जब कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कल स्टेटमेन्ट दिया जावेगा तो हम सोच रहे थे कि फैसला हो जायेगा लेकिन जब मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आपको इन्कार करना था, नहीं देना था तो आप नैगोसियेशन में वह बात नहीं करते। आपने हमदर्दी भी क्यों दिखाई ? यह फैसला करने का क्या तरीका है ? उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का भी 30 साल तक यही तरीका रहा। कोई सुनवाई नहीं होती थी।

श्री मदनसिंह दांता : कांग्रेस कहती थी वह करती थी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूस्वामियों का आन्दोलन आपने लड़ा था वह कितने दिन बाद खतम किया ? पहले सिर फोड़े, फिर आदमी मरे और फिर जाकर बात मानी। वही परिपाटी आज भी है। पहले मेमोरेन्डम देंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे तो आपकी नींद खुलेगी। फिर हड़तालें होंगी तो आप बैठकर सोचेंगे। जब भूख हड़ताल पर बैठ जायेंगे तो आप नैगोसियेशन के लिए बुलायेंगे। फिर इन्कार करेंगे, लाठी चार्ज होगा और लोग मरेंगे फिर मांगें मंजूर करेंगे।

मैं एक ही बात कह देता हूं, क्या इस यूनिवर्सिटी में, दूसरे डिपार्टमेंट में क्वालीफाइड टीचर्स नहीं थे ? बहुत से आपके अच्छे-अच्छे विद्वान्, आपके लेक्चरार पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट क्लास बैठे हैं. .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सवाल इस बात का नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये लेक्चरार्स और कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे लावारिस नहीं हैं। आप फैसला जल्दी करिये, अगर नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। बैठकर तय कर दीजिये। कुछ तो अक्ल को काम में लीजिये आप। जल्दी से जल्दी फैसला कीजिये . . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : खेती के लिये आप क्या प्रोत्साहन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, बिराजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : मैं कृषि मन्त्री से केवल दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। डीडवाना से आने वाले कांग्रेस दल के माननीय नेता ने जैसे कहा कि यू. जी. सी. का वेतनमान प्रोफेसर्स को दे दिया, रीडर्स को दे दिया, केवल लेक्चरर्स को नहीं देने का क्या कारण है ? दूसरा आप यह बतायें कि जिस समय शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी के साथ 7 अप्रेल, 1977 को बात हुई थी उस समय राजस्थान विधान सभा के कुछ माननीय सदस्य भी मौजूद थे। और मेरी जानकारी गलत नहीं है तो जनता पार्टी के एक उदयपुर से आने वाले गुलाबचन्द जी कटारिया, भीलवाड़ा से आने वाले कौशल किशोर जैन, नाथद्वारा से आने वाले नवनीत

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
पालीवाल मौजूद थे । इन विधायकों के सामने. . .

एक माननीय सदस्य : और एक श्री नरेन्द्र पाल सिंह जी चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : I am sorry. नरेन्द्र पाल सिंह जी चौधरी । इन चारों के सामने वित्त मन्त्री जी ने खास तौर से आश्वस्त किया था कि एक महीने के भीतर-भीतर फैसला कर देंगे और यू. जी. सी. का वेतनमान दे देंगे । माननीय कृषि मंत्री जी, क्या यह सही है कि जनता पार्टी के विधायकों के सामने वित्त मन्त्री जी ने एक महीने के अन्दर फैसला करने का और वेतनमान लागू करने का आश्वासन दिया था ?

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने जो यह कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में यह वेतनमान लागू किये जा चुके हैं या नहीं इस बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं । मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय ने लागू किये हैं । उत्तर प्रदेश ने लागू किये हैं । अब कौनसी सूचना और एकत्रित करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब उत्तर देने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप आश्वासन को कार्यान्वित नहीं करते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिये । आप जैसे गांधीवादी आदमी इस्तीफा दे दें ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में कोई भी मन्त्री जवाब देने वाला नहीं है । दूसरा सही जवाब देने वाला व्यक्ति वित्त मन्त्री हो सकता है और किसी मन्त्री की हिम्मत नहीं होगी । वह जानते हुए भी ……

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : ऐसी बात नहीं है । वित्त मन्त्री जी सक्षम हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये केवल मूर्तियां हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, कृपया बिराजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : एक बात हम चाहते हैं । वित्त मन्त्री जी ने कहा कृषि मन्त्री जी जवाब देंगे । मुख्य मन्त्री, सदन के नेता यहां पर नहीं हैं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर आप उनसे सलाह करके कल सुबह बोलना चाहें और ठीक फैसला देना चाहें तो आप पोस्टपोनमेंट मांग लीजिये । इस पोजीशन में नहीं हैं कि कुछ कमिटमेंट हो जाये ।

श्री मूलचंद डागा : कल शाम को चार बजे तक दे दो ।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले कि यदि मेरे बयान को पढ़ा हो, तो उसमें यह स्पष्ट है कि सरकार ने अभी इस प्रश्न को बन्द नहीं किया है. . .

श्री मथुरा दास माथुर : हमने क्या कहा है ?

श्री दिग्विजयसिंह : शायद मुझसे कुछ कहलाना चाहते हैं, कमिटमेंट कराना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पहले धरने पर बैठे थे तो आश्वासन दिया था कि आपकी भावनाओं पर राज्य सरकार विचार करेगी। इस सम्बन्ध में जो आवश्यक सूचना चाहते हैं वह उपलब्ध करा देंगे। जैसा माननीय माथुर साहब ने कहा, कुछ पत्र वगैरह सरकार के पास आ गये हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ पत्र आ गये हैं। पुनः मंत्रि-मण्डल के समक्ष यह मामला सब तथ्यों के साथ रख रहे हैं। जैसे फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स का फर्माया, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं 1976 से लेकर अब तक राज्य सरकार पर 8.61 का है। 80 प्रतिशत का जो कह रहे है आई.सी.ए.आर. देगी वह मार्च, 79 तक ही देगी। उसके बाद सारा खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोफेसर का भी है, वह भी करना पड़ेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : सिर्फ एक्सटेन्शन स्कीम का पैसा है वह देगी। बाकी पूरा खर्चा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। यह सब पहलू हैं। जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस सारे मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष, पूरी सूचना एकत्रित करके अगली बैठक में रख दिया जायेगा और जल्दी निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर : एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या सदन को आश्वासन दे सकते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : केवल भैरोंसिह जी निर्णय ले सकते हैं, केन्द्रीकरण है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, विराजिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप भले ही बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को समझते हुये कि जगह जगह धरना है, जगह जगह भूख हड़ताल है, क्या राज्य सरकार कल शाम तक या परसों सुबह तक कोई फाइनल स्टेटमेंट दे देगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस तरह से मंत्री महोदय को मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपके विचार हैं, उन्होंने सुन लिये हैं...

(व्यवधान)

आपने अपनी चर्चा में परिस्थितियां बता दी हैं, उनको माननीय मन्त्री महोदय ने सुन भी लिया है और उन्होंने उसका उत्तर भी दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : माननीय मंत्री महोदय ने कह तो दिया लेकिन कब तक निर्णय ले लेंगे? आन्दोलन पर लोग बैठे हैं, भूख-हड़ताल पर लोग बैठे हुये हैं और आपका 6 महीने से विचार हो रहा है। तो यह बता दें कि आप निर्णय कब तक ले लेंगे?

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री मूलचंद डागा : विचार के अन्तिम बिन्दू तक कब तक पहुंच जायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

नैक्स्ट। विधायी कार्य।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री भंवर लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

वे विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1978) और राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मान्यवर, इसमें श्री भैरोंसिंह प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है। ये उसको रख नहीं सकते हैं जब तक रिटिन परमीशन नहीं हो। इसमें साफ लिखा हुआ है "प्रभारी मंत्री श्री भैरोंसिंह"। उन्होंने कोई लिखित में आथोरिटी दी है तब तो श्री सूर्य नारायण जी लॉ मिनिस्टर इसको रख सकेंगे, अन्यथा नहीं रख सकेंगे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (विधि मंत्री): नियम बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं–

"Member in charge of the Bill" means in the case of a Government Bill any minister.

श्री राम नारायण चौधरी : यदि शासन को पूर्व सूचना दे दी है माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने और उसमें यह बताया हो कि किन्हीं कारणों से बाहर रहूंगा और मेरी

(श्री रामनारायण चौधरी)
अनुपस्थिति में अमुक मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे तब तो ठीक है नहीं तो यह सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वीकृति दे देता हूं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

अब वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश, संख्या 13 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम प्रभारी मंत्री, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री जी गायब हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह घोर अपमान है।

प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति

श्री उपाध्यक्ष : आसन इस स्थिति को खेदजनक मानता है। प्रभारी मंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिये और यदि उपस्थित नहीं रहते हैं तो उन्हें कम से कम आसन की इजाजत लेकर जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : नहीं, कार्यवाही स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। वे लघु शंका के लिये गये हैं–अभी आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर। चेयर से अनाउन्स हो जाने के बाद या तो इसे लिया जाना चाहिये या इस पर कोई व्यवस्था दी

(श्री मदनसिंह दांता)

जानी चाहिये । यह नहीं कि मंत्री महोदय नहीं हैं तो बीच में और कोई विषय रखें । मंत्री जी आ जायं तो आप बीच में ही फिर उस विषय को रख दें । मंत्री महोदय आयें और कोई प्रार्थना करें तो फिर यह पुरःस्थापित नहीं होना चाहिये ।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978, जो वक्ता महोदय हैं वे बोल लें ।

श्री रामनारायण चौधरी : For your information. आपकी कापी दे दीजिये, उनके पास कापी नहीं है । यह समस्या उनको हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : उनके आने पर मैं व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता का दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर जो संकल्प है, उस पर चर्चा करेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : उससे पहले मेरा है....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जो सूची दी गई है उसमें श्री रामकृष्णदास गुप्ता और माथुर साहब के नाम हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं । ये बीच में कहां से आ गये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बोल चुके हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप काफी बोल चुके हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : बीच में सदन की कार्यवाही रुक गई थी । मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिये बहुत संक्षेप में । रिपीट मत करिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : रिपीटीशन नहीं होगा, नई बात कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 में एक बहुत छोटा सा मामूली संशोधन लाया गया है लेकिन, मान्यवर, यह छोटा सा और मामूली संशोधन नहीं है इसका व्यापक असर होने की सम्भावना है । उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा उसके आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसी सरकार की मंशा है और जैसा उल्लेख किया गया है इसके उद्देश्यों और कारणों में कि प्रदेश में शान्ति स्थापित करने के लिये यह संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है । इस संशोधन का प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं शान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । काफी सोच विचार कर यह जो संशोधन प्रस्तावित हो रहा है, इसको हटाया जाय क्योंकि जब तक किसी भी सरकार और सरकार की एक्जीक्यूटिव मशीनरी में निष्ठा नहीं हो काम के प्रति तब तक कोई भी कानून और कानून में कोई भी संशोधन कारगर नहीं हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

सकता है। मान्यवर, मेरा चार्ज है सरकार पर कि इस सरकार में कोई निष्ठा नहीं है, मंत्रियों में कोई निष्ठा नहीं है। यह अनिष्ठा की सरकार है जो इस प्रकार के ऊटपटांग निर्णय लेती है मैंने चार पांच दिन पहले पढ़ा था, मान्यवर, इसका व्यापक असर होने वाला है। मैंने यह ऐसे अखबार में पढ़ा था जो कि सरकार का अखबार माना जाता है। उसमें एक माननीय मंत्री का जिक्र था ...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। बात यह है कि मैं जरा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बहुत खेदजनक है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। यह ऐसा कारण था जिसको मैं रोक नहीं सकता था। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह कह सकता हूं कि जब से ये जयपुर आए हैं दस्त के मरीज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इनको विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा देता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा–अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दे दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी चर्चा जारी रखेंगे।

विधेयक पर विचार

दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

श्री रामनारायण चौधरी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, अनुशासन और व्यवस्था का प्रश्न है यह सरकार के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। आज की सरकार के जो मंत्री हैं उनमें न निष्ठा है, न उनमें कोई चिन्तन है, न उनका कोई कार्य-

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्रम है, न उनकी कोई नीतियां हैं। मैं कल परसों एक समाचार पढ़ रहा था अखबार में और वह समाचार सही है। मंत्रीजी को उनके एक मित्र ने टोका कि तुम यहां क्या कर रहे हो? दफ्तर में जाकर बैठो। सचिवालय में जाकर बैठो। यहां क्या कर रहे हो? तो मंत्रीजी ने कहा कि वहां जाकर क्या करूं? सचिवालय में मेरे बायीं तरफ शेरसिंह जी हैं, मेरे दाहिनी तरफ भीमसिंह जी हैं, मेरे सामने पृथ्वीसिंह जी हैं और मेरे सिर पर भैरोंसिंहजी हैं। मेरे पास करने के लिए है ही क्या? यह स्थिति का चित्रण है, मान्यवर...

श्री रामरघुनाथ चौधरी: इतने सारे शेर।

श्री राम नारायण चौधरी: केबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री अपनी इस प्रकार की दयनीय स्थिति का चित्रण राजस्थान की तीन करोड़ जनता के सामने प्रस्तुत करें और फिर, मान्यवर, यह चाहें कि राजस्थान के अन्दर अमन चैन रहेगा तो कैसे रह सकता है। अगर राजस्थान के मंत्री निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकें तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिये। आज माननीय मन्त्रियों की जिस प्रकार की दयनीय स्थिति है उस पर मुझे रहम आता है...

(व्यवधान)

मंत्रियों की आज जो स्थिति है उसके कारण उन पर मुझे रहम आता है। आज, मान्यवर, किसी भी प्रदेश के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए परमानेंट एक्जीक्यूटिव एजेंसी जिम्मेदार है। आज इस सरकार के, इस प्रदेश के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं, जो सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब के सब डीमोरेलाइज्ड हैं। आज उनका स्वाभिमान नष्ट हुआ है, आज उनकी आत्मा जागृत नहीं है। यही इसका कारण है। आज राजस्थान की सर्विसेज में, राजस्थान की बड़ी सर्विसेज में उनका एक क्लब है साइंस क्लब के नाम से, जिसके चेयरमेन शेरसिंहजी हैं...

श्री नवनीत पालीवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह किस पोइंट पर बोल रहे हैं...

श्री राम नारायण चौधरी: उसके उपाध्यक्ष भीमसिंहजी हैं...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन: माननीय विरोधी दल के नेता किस पोइन्ट पर बोल रहे हैं? दंड प्रक्रिया संहिता पर बोलना चाहिये। ये किस विषय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। शायद विरोधी दल के नेता कार्टूनिस्ट-कोना नहीं समझते। कार्टून के पीछे क्या प्रक्रिया है, क्या भावना है, उसको भी नहीं समझते। विधान सभा की रेस्पोंसिबल जगह पर खड़े होकर इस प्रकार से वे बातें कह रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर! पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर!

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये।

व्यवस्था का प्रश्न

विरोधी पक्ष के नेता के भाषण में व्यवधान

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह इस हाउस की परम्परा रही है कि जब भी विरोधी पक्ष के नेता अपने विचार यहां पर रखते हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जाता। अगर यह परम्परा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा और माननीय मंत्रियों द्वारा नहीं निभाई गई तो कहीं ऐसा रोग यहां पर नहीं फैल जाये कि जब सदन के नेता बोलने लगें तो उनको नहीं बोलने दिया जाय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये।

श्री कौशल किशोर जैन : हम विरोधी दल के नेता महोदय से शालीनता की अपेक्षा करते हैं। वे शालीनता के साथ बोलें। हम विरोधी दल के नेता के बोलने में व्यवधान नहीं डालना चाहते लेकिन वे शालीनता के साथ बोलें, गालियां नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, और आप सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बारे में यह चर्चा चल रही है कृपया उस तक, उस बात तक सीमित रखें अपनी बात को। वही तर्क दें जो इस से सम्बन्धित हों। बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनको आप यहां पर उठाना चाहेंगे लेकिन जिस विषय पर चर्चा हो रही है उससे तर्क संगत जो चर्चा नहीं है उन चर्चाओं को यहां पर नहीं उठायें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आॅफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले समय में और 1962 से आज तक सदन की परम्परायें रही हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन पर जो व्यवस्थायें दी हैं, तो या तो हम उनको साथ में लावें और यहां लाकर बतावें। वरना यह तो इन्टरिम आबजेक्शन है, आब्स्ट्रक्शन है। कोई व्यवस्था उद्धृत न करें और इतना टाइम बार बार सदन का लें, यह तो ठीक नहीं है। हम आपको पॉइन्ट टू पॉइन्ट जवाब दे सकते है और आपका मुंह बन्द कर सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं है। आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें। जनरल डिस्कशन में कुछ भी कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोईजी, मैंने जो बात कही है वह नियमों के अन्तर्गत ही कही है।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट उठाया है, माननीय सदस्य काबिल हो सकते हैं लेकिन आपके प्रति इस प्रकार की लेंग्वेज का प्रयोग करना कहां तक उचित है?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके प्रति नहीं कहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने एक अखबार का जिक्र किया है जिस अखबार में, उसके कोने में कार्टून कोना छपता है, उसमे मेरा भी जिक्र था। सारी बातें मैं स्वयं जानता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि शायद विरोधी दल के माननीय नेता को पता नहीं है कि कार्टून-कोना क्या होता है, इसके पीछे क्या मतलब होता है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता इस बात को समझें कि फैक्ट्स अलग चीज है और कार्टून अलग है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता जो कुछ भी वक्तव्य दे रहे हैं, वह रेलेवेन्ट है या इर्रेलेवेन्ट है, प्रासंगिक हैं या अप्रासंगिक, इसका निर्णय आसन को देना है माननीय सदस्यों को नहीं। मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को जारी किया गया है इसके जो प्रभारी मन्त्री हैं वे तो नहीं बोल रहे हैं और बार बार इरिगेशन और पावर मिनिस्टर इन्टरवीन कर रहे हैं डिबेट को, यह उचित नहीं है। यदि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना है, तो वे विरोधी दल के माननीय नेता के वक्तव्य के बाद अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। नियमों में इसका प्रावधान है। परन्तु वक्तव्य जारी है उसके बीच में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। वे कोई कार्टून का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं इससे तो वे स्वयं ही कार्टून बन रहे हैं। नया कार्टून आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी को बीच में इन्टरवीन नहीं करना चाहिए। मेम्बर का राइट है—As a Member of Treasury Benches you are a responsible one and you should not get up and intervene in such a manner.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोला हूं। वक्तव्य समाप्त होने के बाद बोला हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइन्ट आफ आर्डर उठा कर कहें, ऐसे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जो भी चर्चा करें वह संक्षेप में करें।

श्री राम नारायण चौधरी : अगर आसन इस प्रकार इनसे प्रभावित हो जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस संबंध में जो भी भावना व्यक्त करेंगे मैं उससे प्रभावित न होकर मैं अपना निर्णय जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार दूंगा।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

श्री राम नारायण चौधरी : हम भी यही चाहते हैं। मान्यवर, मैंने कोई अशालीन बात नहीं कही है। जो भी कहूंगा वह शालीनता से कहूंगा।

Page No 77

(77)

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैंने यह कहा है, क्या राजस्थान मन्त्रिमण्डल के मुख्य मन्त्री ठाकुर भैरोंसिंह नहीं हैं ? क्या इस मंत्रिमण्डल के सदस्य ठाकुर दिग्विजयसिंह नहीं हैं ? और क्या मंत्रिमण्डल के होने वाले सदस्य का नाम ठाकुर कल्याणसिंह कालवी नहीं है ? क्या यह कहना गलत है ? क्या इससे साम्प्रदायिकता फैलती है ? इसमें क्या अशालीनता है ? जो यथार्थ है, वह तो मैं कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : इस बात की रेलेवेन्सी क्या है ?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : हम विरोधी दल के नेता की कद्र करते हैं। परन्तु वे उन आदमियों के नाम ले रहे हैं जो सदन में नहीं हैं।

Let me speak.

(व्यवधान)

आसन मुझे बिठा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम लेना वर्जित नहीं है। आरोप लगाना वर्जित है।

श्री किशनसिंह भाटी : यह एक तरह से आरोप है। तीनों तरफ तीन सिंह हैं, उनके बीच में ऐसी स्थिति है कि काम नहीं करने देते। केबिनेट फोर्मेशन के बारे में क्यों बोल रहे हैं ? ये साइड ट्रैक कर रहे हैं और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अपना एक्सपीरियेंस इम्पोज करना चाहते हैं, यह नहीं होगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप जितने भी तर्क दे रहे हैं क्या वे सही और संगत हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष तक पहले भी मैं इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं और अब भी यहां पर हूं। जब भी पहले विरोधी दल के नेता महोदय बोलते थे, सारा सदन शान्त होकर उनको सुनता था लेकिन आज विरोधी दल के नेता महोदय बोलते हैं तो वे 5-5 मिनट में खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं। बार-बार ऐसी स्थिति आती है कि उनको बैठ जाना पड़ता है। मैं माननीय रामनारायण जी की इज्जत करता हूं और उनसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप विरोधी दल के नेता हैं कृपा करके ऐसी बात न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहरसिंह जी ने मेरे प्रति जो भावना व्यक्त की है उसके लिए मैं आभारी हूं मेरी स्वयं की उनके प्रति श्रद्धा है। जो मार्ग दर्शन उन्होंने दिया है उनके विपरीत मैं नहीं गया हूं। मैं माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार सावधानी बरतने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण देना मैं मुनासिब समझूंगा। मान्यवर, विरोधी दल का अमेन्डमेंट देने का यह मतलब नहीं है हम इसका विरोध करते हैं, यह बुरा है, यह कह कर वह बैठ जाएं। सारे संदर्भ, सारे बैकग्राउण्ड, इसका परिणाम क्या होगा, क्या परिस्थितियां है, इन सब पर हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए। मान्यवर, आप विद्वान वकील हैं इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, जो सरकार आज केन्द्र

(श्री रामनारायण चौधरी)

और राजस्थान में हैं, उसके एक बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, जो सेक्रेटरी भी हैं और पुराने घटक में वे फाउण्डर भी थे, आज वे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, उन्होंने जो कहा है, उसका एक उद्धरण, जो दो लाइन में है, पढ़ कर सुना रहा हूं।"

"We need to induce new people with new ideas into the Janta Party. We need to have people capable to taking bold decisions, inquisitive enough to be willing to experiment and learn, innovate and take risks."

मान्यवर, यह जो मेरे सामने ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य विराजे हुए हैं . .

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जो आज ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए है उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इस बात का प्रमाण अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने, जब वे सदन में बोल रहे थे, दिया है। कल मुख्य मंत्री ने कहा कि एक वक्तव्य दे देंगे। यह वक्तव्य तो 6 महीने पहले देना चाहिए था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, एक्जीक्यूटिव का इसका विश्वास नहीं है, यह व्यक्ति फलां से सम्बन्धित है इसलिए इसको यह सरकार रिप्लेस कर रही है। भरतपुर के एस.पी. को जोधपुर भेज रही है और दूसरा भरतपुर भेज रही है। एक में विश्वास नहीं है इसलिए दूसरे को लिया जा रहा है . . .

श्री नवनीत पालीवाल : विषय क्या है। सदन का समय बढ़ाना ही है तो बात अलग है, विषय पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता महोदय को ज्यादा अहसास नहीं कराया जाय समय का तो अच्छा होगा। वे खुद जानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जो चाहते हैं वह मैं कह दूं, ऐसा नहीं होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके मुख्य मंत्री नहीं करते हैं। फिर मेरे से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। इसलिए तो आपका काला मुंह हो रहा है। चीफ व्हिप का काला मुंह उन्हीं के दल के लोगों ने कर दिया। आपका काला मुंह क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि जिस प्रोग्राम और कार्यक्रम के आधार पर आप जीते थे, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं . . .

(व्यवधान)

किस लिए आपका काला मुंह किया गया? ला एण्ड आॅर्डर की चुनौती किसने दी?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने इस स्तर पर आकर यह बात बार-बार कही कि आपका मुंह काला हो, ये शब्द वापस लिये जायं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह बात साबित कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दूलाराम जी, आप विराज जाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके मंत्रियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसी का यह परिणाम हो रहा है। जब तक ये तीनों रहेंगे 107 के अमेन्डमेन्ट से दूर होने वाले

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं है। ये चाहते हैं कि जहां कहीं जायं वहां के लोग उत्तेजित हों तो ये 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करें। इसके सिवाय इस बिल की कोई मन्शा नहीं है।

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया है। इस सदन का सदस्य होने के नाते मुझे कहने का हक है। मुझे बार-बार कहना पड़े मदद के लिये, यह अच्छा नहीं है। आप व्यवस्था कीजिये। यदि आपको सदन का संचालन नियमानुसार करना है तो आप कहिये कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं वे ऐसा न करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बार-बार हमें कहना होता है मदद कीजिये, शांति स्थापित कीजिये।

संशोधन एक काला संशोधन है। राजस्थान के जनतंत्र पर धब्बा है यह वही है जिसको 1973 में हटाया गया था। फिर ये कहते हैं लोकतंत्र लाना चाहते हैं–शर्म नहीं आती आपको।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा यह संकल्प है कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।" मैंने आज सुबह भी इस मन्त्रिमण्डल के बारे में कहा तो एक तूफान खड़ा हुआ। मैंने कोई हल्की फुल्की मनः स्थिति में नहीं कहा था। मैंने इसलिये कहा था कि इस मंत्रिमण्डल में जो सदस्य लिये गये हैं वे अपने सिद्धान्तों पर अडिग नहीं रह सके। राजस्थान सरकार के विधि मंत्री श्री सूर्य नारायण चौधरी अपने आपको लोहियावादी कहलाने में फक्र महसूस करते थे। डा. लोहिया ने यह आवाज उठाई थी कि धारा 107, 109 और 110 को हटा दिया जाय। उसी तरह से ये बिल भी लेकर आये थे। उस समय डा. लोहिया के मुंह से निकले हुए विचारों को गीता का संदेश मान कर राजनैतिक वातावरण बनाया गया था। डा. लोहिया के अनुयायी से तो कम से कम यह आशा की जाती थी कि ये कम से कम विरोध करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे चाहे इनको त्याग-पत्र ही क्यों न देना पड़े।

श्री मूलचन्द डागा : अब दे देंगे त्याग पत्र।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इनको सरकार का मोह, सत्ता का मोह व्याप गया है जिसके आगे ये मजबूर हैं सत्ता की शराब से इनका दिमाग मदहोश हो चुका है। 30 साल तक हमने जिन सिद्धान्तों के लिये लड़ाई लड़ी उनको इन्होंने छोड़ दिया। हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्य मंत्री सम्मेलन में यह मांग की है कि 1973 में लागू की गई दण्ड प्रक्रिया सहिता में जो अधिकार पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट्स को दिये गये हैं न्याय-पालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग किया गया है उसे दुबारा एड करके छोटे-मोटे दावों की सुनवाई के अधिकार दिये जायं मजिस्ट्रेटों को यह मांग हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है। उस मांग के कुछ ही दिन बाद हमारी सरकार द्वारा पुनः यह बिल लाना इस बात का प्रतीक है कि धीरे धीरे जनता का जो मायाजाल फैला था जनता पार्टी ने जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र के जरिये,

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अपनी नीतियों के जरिये जो वोट मांगे थे उनका अनुपालन नहीं किया। जो संकल्प था, जो कल्पनाएं थी, हमारे विधि मंत्री ने स्वयं महसूस किया था...

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप अपने विचार संक्षेप में ही रख देंगे।

श्री राम नारायण चौधरी : हम तो अपने विचार तब तक कहेंगे जब तक सरकार विचार नहीं करेगी हमारे विचारों पर।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप शांति रखें, मैं आधारभूत बिन्दुओं को उठा रहा हूं कि अगर प्रजातान्त्रिक राजनैतिक स्थिति हमें बनाये रखनी है तो हमारे मंत्रियों को प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिये। डा. लोहिया के नाम की माला जपने वाले, उनकी बात को सही मानने वाले आज किस मुंह से यह मांग करने आये हैं कि यह काला कानून इस प्रदेश में लागू किया जाय। श्रीमान्, आर्डिनेन्स निकालने के लिये यह लिखा है कि चूंकि राजस्थान की असेम्बली सेशन में नहीं है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आर्डिनेन्स जारी करना पड़ रहा है। क्या यह सारा ठीक है? 1973 से लेकर 4-8-78 तक क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि ऐसा कानून बनाना पड़ा। जनता पार्टी के शासन में आने के बाद से ऐसी क्या घटनाएं पैदा हो गईं, क्या विधि मंत्री बताएंगे जिससे यह मालूम पड़े कि कितनी 107 की कार्यवाहियां समाप्त की गई। यह मेरा अनुभव है और यह 50 माननीय विधायक, जो वकील रहे हैं, उनका भी अनुभव है कि एक एक साल, डेढ़-डेढ़ साल तक 107 की इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं की जाती।

99 पर्सेन्ट में इन्टरिम बाण्ड नहीं मांगे जाते। एक साल का समय समाप्त होने के बाद भी कार्यवाही समाप्त नहीं होती है वहां पर यह अधिकार मांगना कि फिरोती बाण्ड नहीं मांगे जायेंगे तो शान्ति व्यवस्था नहीं रहेगी वह झूठ है...

कई माननीय सदस्य : फरेब है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वह झूठ है, फरेब है और विरोधी दलों को कुचलने की तरकीब है। यह मेरा खुला चेलेन्ज है कि 107 की यह कार्यवाही आन्दोलित मजदूरों पर की गई है छात्रों पर की गई है। चाहे वह कांग्रेस का शासन रहा हो, या आपका शासन रहा हो, मजदूरों पर की गई है, छात्रों पर और गरीब किसानों पर की गई है। यह कार्यवाही न तो गुण्डों पर की गई है, न पूंजीपतियों पर ही की गई है। आज जैसे कोटा में केथून है, ब्यावर है, अजमेर है जहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वहां पर शांति भंग क्यों हो रही है? क्योंकि मजदूर अधिक वेतन मांग रहे हैं, अधिक बोनस मांग रहे हैं इसलिये आप चाहते हैं कि 107 का काला कानून लागू करके उनको जेलों में बन्द कर दिया जाय और यह कहा जाय कि शांति है। आपके पास में आंकड़े हैं कि आपने कितने लोगों का गुण्डा एक्ट में चालान किया है? 107 में फिरोती बाण्ड नहीं मांगा जाता है तो न पब्लिक पीस और न शान्ति भंग होती है। गुण्डा एक्ट में आपने किस गुण्डे को शहर से बाहर 6 महीने के लिए निकाला है?

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
कितने लोगों का चालान किया गया है ? मुश्किल से पिछले 18 महीनों में 50 केसेज में यह डिसीजन हुआ हो। जहां राजनैतिक लोगों और नौकरशाही का नैतिक ह्रास हो चुका है, जहां पुलिस के कर्मचारियों में मनोबल नहीं है, जहां पर ईमानदारी की कमी है, जहां पर राजनैतिक नेताओं को मन्त्री बनाने की होड़ में जनता के सुख दुःख का पता न हो, वहां इस काले कानून को लागू करना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि 1973 की स्थिति दुबारा चालू की जाय जिससे कि 1973 में आपको छुटकारा मिल चुका था।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट ·

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 1973 में पार्लियामेंट में यह कानून बनाया गया। राजस्थान में एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है, शान्ति भंग नहीं है स्टेट में और दूसरी तरफ आप यह अधिकार लेना चाहते हैं, तो यह अधिकार लेने की जरूरत आपको क्यों हुई ? एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि 60 प्रतिशत जनता राजस्थान की गरीबी की लाइन के नीचे रह रही है, जिसके पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, रहने को मकान नहीं है, कपड़े नहीं हैं, रोटी नहीं है उस गरीब जनता से आप कहेंगे कि तू फिरौती बाण्ड लेकर आ शान्ति बनाये रखने के लिए तो वह कहां से लायेगा ? आज अन्त्योदय योजना के परिवार वालों की फिरौती कौन देगा ? उनको बैंकों से मिलने वाले ऋण के लिए राज्य सरकार तक जमानत नहीं देती है एक तरफ तो आप अन्त्योदय योजना के परिवारों को दिये जाने वाले ऋण की जमानत नहीं दे सकते, दूसरी तरफ राज्य सरकार ऐसे कानून बना कर चले कि झूठे केसेज में अदालत फिरौती मांग सके और न दे, तो उसका चालान करके उसको जेल भेज दे तो या तो आप कह दें कि जो रिश्वत-खोर कर्मचारी है वह बाहर रहेगा, जो भ्रष्ट राजनेता है वह बाहर रहेगा, मुनाफाखोर, घूसखोर है वह बाहर रहेगा और दण्ड और कानून का पालन करने वाला जेल में रहेगा। आप पहले यह कहा करते थे कि इन्दिरा गांधी ने सारे देश को जेल बना दिया तो क्या आप भी उनके ही पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं ? जनता पार्टी के लोग यह कहा करते थे कि जनता सरकार आर्डिनेन्स से शासन नहीं करेगी, वह अध्यादेश बनाकर शासन नहीं करेगी, परन्तु आप 6-6 महीनों तक जन-प्रतिनिधियों को इकट्ठा न करें और उनसे कानून नहीं बनवायें और धींगामस्ती में 13 आर्डिनेन्स निकालकर हुकूमत करें और फिर यह कहें कि It is democratic Government. This is not a democratic Government, but a dictatorial Nepolean type of Government जैसे भेड़ों को एक आदमी चराता है वैसे ही जनता पार्टी के विधायकों को एक आदमी चरा रहा है···

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों पर जो आरोप लगा रहे हैं वह बिलकुल मिथ्या है। आप किसी का नाम लेकर कह सकते हैं लेकिन सारी पार्टी के सदस्यों पर लांछन नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह : आपकी भी पोलें खुल रही हैं···

श्री रतनलाल वर्मा : आप जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आये हैं और पार्टी छोड़ दी है। आप इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : हम इनको बोलने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण जी, आप बैठिये !

श्री रतन लाल वर्मा : यह अपने शब्द वापिस ले लें तभी बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द वापस लेकर ही बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये कृपा करके।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा पाटन) : माननीय सदस्य विधान सभा से इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़कर आये।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आप विराज जाइये। मैं आपकी भावनाओं से वाकिफ हूं। कृपया विराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने जो शब्द विधायकों के बारे में यूज किये हैं उनको वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइये।

श्री मदनसिंह दांता : यह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि आप विचार प्रकट करें। विचार प्रकट करने का आपको अधिकार है, लेकिन उसमें कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे दूसरे साथियों को वेदना हो। मैं चाहूंगा कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है उन शब्दों को वापस ले लें। इसमें आपकी भी गरिमा है।

एक माननीय सदस्य : आखिर बोलने का कोई तरीका होता है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी आज्ञा को मानते हुए और मेरे साथियों की भावनाओं के प्रति आदर प्रकट करते हुए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मैंने उनको जो कुछ भी कहा है, वह सारे वर्ड्स वापस लेता हूं। जनता पार्टी के विधायकों से एक बार नहीं दो बार माफी मांगने को तैयार हूं। यह मैं अपने हृदय के अन्दर से बोल रहा हूं। मैं यह मान कर चलता हूं कि जनता पार्टी का जो तरीका है, वह एरिस्टोक्रेटिक से कम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, आपके सामने माइक है आप जो भी बोलें वह शालीनता से और ठीक बोलें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक के ऊपर विरोधी पक्ष के संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं जनता पार्टी के विधायकों ने भी अमेण्डमेन्ट पेश

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

किये हैं। यह संशोधन प्रस्ताव हैं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये या इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये, यह इस बात का प्रतीक है कि जनता के अधिकारों और जनता के दायित्वों की रक्षा के लिए यह संशोधन विधेयक नहीं है। जनता पार्टी के कई विधायकों ने यह कहा है कि इसको सलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाये। इस कानून के विरोध में जो मत आया है, वह इस बात का प्रतीक है, जैसा कि मधु लिमये ने इस बिल का इण्ट्रोडक्टरी स्टेज पर विरोध किया था पार्लियामेण्ट में कि जनता पार्टी की मीटिंग में इसको न रखकर आन्तरिक प्रजातन्त्र का गला घोटा गया है। उसी प्रकार जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह विधि मंत्री पर जोर डालें कि वह जनता पार्टी की आन्तरिक डेमोक्रेसी का अगस्त, 1977 से 4 अक्टूबर, 78 तक सत्ता में रह कर गला नहीं घोटें इसको सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करें। वह अपनी रिपोर्ट दो महीने में पेश कर देगी। विधायक दल की मीटिंग में इस पर विचार करेंगे तो कोई आसमान नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं कि जनता पार्टी के विधायक कैसे हैं? वह अनुशासन प्रिय हैं। इस बिल के समर्थन में वह वोट देंगे। विरोध पक्ष में वह वोट नहीं डालेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं आन्तरिक प्रजातन्त्र की दुहाई देते हुए, आप अपने विचारों को प्रकट करें। कही ऐसा नहीं हो कि इन्दिरा गांधी दुबारा आ जायें।

श्री मदनसिंह दांता : वह चुनाव लड़ रही हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे मालूम है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह मैं नहीं कह रहा हूं। पीलू मोदी की किताब कह रही है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे मालूम है। मुझे मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जैसे गंगा और जमुना की बाढ़ उतर गयी है, उसी तरह से जनता पार्टी की बाढ़ भी उतर रही है। कानून का दुरुपयोग किसी के खिलाफ नहीं हो इसीलिए पुनः पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि आप आन्तरिक डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, तो आप दबाब डालिये कि यह कानून वापस लें

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ जल्दी जाना है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे भी जल्दी ही जाना है। फिर साथ ही चलेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : तो आप यह मंजूर कर लें कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए तैयार हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने को तैयार हूं। I am prepared to refer it to Select Committee.

श्री मथुरा दास माथुर : आप सलेक्ट कमेटी को भेजने को तैयार हैं तो ठीक है। सलेक्ट कमेटी में देख लेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव आया है। मैं सलेक्ट कमेटी को भेजने को तैयार हूं। 31 अक्टूबर तक सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री महोदय ने यह घोषणा कर दी है तो सदन का . . .

(व्यवधान)

समय क्यों लगाया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : आप क्यों रोक रहे हैं ?

(व्यवधान)

आप कोई सेंस की बात कर रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री मदनसिंह दांता : यह आर्डिनेंस लागू है। फिर प्रवर समिति में जाएगा तो क्या हमारे आदमियों की जमानत ली जाएगी ?

श्री अब्दुल अजीज़ : मेरा निवेदन यह है कि तब तक के लिए इसका इम्प्लीमेण्टेशन रोक दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके जो भी प्रभाव हैं...

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो होगा वह हो जाएगा। मैं जवाब दे दूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर सुन लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विभिन्न पहलू उठाये गये हैं। हमारे क्रान्तिकारी साथी रामकृष्णदास गुप्ता ने जनता पार्टी के मन्त्रियों और विधायकों को अच्छे अच्छे सम्बोधनों से सम्बोधित किया है। यह उनकी कृपा है। जहां तक उसके राजनैतिक पहलू का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन में जो अभी तक बहस हुई है वह गलत हुई है। 107 का कानून अंग्रेजों के काल से बना हुआ है। पिछले 30 साल से भी वह रहा है। कई अन्य कानूनों को हटा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील रहे हैं। मैं वकील रहा हूं। रामकृष्णदासजी भी जानते होंगे, जो वकील रहे हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं जो राजनैतिक लोगों पर प्रयोग किया जाता है तो जमानत की राशि उनके बाहर आने के लिए बाधक नहीं हुई है स्वयं राजनैतिक असर कर देता है जमानत पर आने से वह सत्याग्रह का स्वरूप बन जाता है।

मैं दूसरी बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं, इसके अन्दर यह भी प्रावधान है, अगर शान्ति भंग होने वाली है तो कोई भी मजिस्ट्रेट इन्टरिम जमानत मांग सकता है। इसके ऊपर अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने प्रकाश नहीं डाला और मांग नहीं

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
की कि इस प्रकार का प्रावधान हटना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का फैसला है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुन लीजिये चुपचाप, आप गलत समझ रहे हैं उसको।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : आप हर वक्त इन्ट्रप्ट करते हैं, सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : I know what my right is.

श्री रामेश्वरदयाल यादव : वह तो हम भी जानते है।

श्री मदनसिंह दांता : आप कुछ नहीं जानते। हाईकोर्ट का फैसला है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं करूंगा ......

श्री मदनसिंह दांता : यहां सुप्रीम कोर्ट के केसेज लड़े हैं .....

श्री ईश्वरचन्द्र : वकील होने से आप विद्वान हो गये.. ..

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि हम लोग खास तौर से मन्त्रिमण्डल के सदस्य आप लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आप लोग इस तरह से बार-बार इन्ट्रप्ट करते हैं। कम से कम जवाब देने का अवसर तो हमको मिलना चाहिए। नहीं तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में न तो सदन का बिजनेस ही हो पायेगा और न ही पब्लिक पर इसका कोई अच्छा असर पड़ेगा।

माननीय श्री परसरामजी और श्री रामनारायणजी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये और उनकी दलीलें थीं कि इसका मिसयूज होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे तो राजस्थान के आज माने हुए नेता हैं, उनका जनसम्पर्क है, उनका संगठन है। जनता पार्टी के पिछले एक वर्ष के शासन में किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता के खिलाफ इसका मिसयूज नहीं हुआ है.....

(व्यवधान)

श्री नूरा : 107 की कार्यवाही मुझ पर की गई है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर....

(व्यवधान)

विधि मन्त्रीजी ने यह एलान किया है कि इसको हम समिति के सुपुर्द कर रहे हैं फिर इसकी आड़ में..

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने कहा कि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुन ली है।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल हुआ है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ। हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय बोल रहे हों तो इस तरह से इन्ट्रप्ट करना कहां तक वाजिब है? ये लोग बोलते हैं तब हम तो नहीं बोलते हैं––

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जमानत के प्रावधान से इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है जिस प्रकार की आशंका माननीय श्री रामकृष्णदासजी और विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने की है कि इससे जनतन्त्र की हत्या हो जायगी और सरकार डिक्टेटर हो जायगी। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष हरिजनों की दुहाई देता है जिनके ऊपर निरन्तर समाज ने अत्याचार किये हैं और जो समाज की व्यवस्था है उसमें इस समस्या का कोई भी सरकार तुरत-फुरत या जादुई डण्डी से निराकरण नहीं कर सकती। एक तरफ उनके मामलों को रखते हैं और दूसरी तरफ पुलिस के पास कोई इस तरह का हथियार नहीं है जिससे सम्पन्न वर्ग के प्रति तत्कालिक तरीके से कार्यवाही कर शोषित वर्ग को, जिसके हामीकार आप बन रहे हैं, राहत दिलाई जा सकती है।

श्री दूलाराम : 151 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दूलारामजी, आप कृपया बिराजिये। इस तरह से इन्ट्रप्शन करना आपको सुशोभित नहीं करता। कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

आप कृपया बिराजिये।

श्री शंकरलाल : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय ने सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कह दिया है तो सदन का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। फिर इस पर चर्चा क्यों हो रही है?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सरकार का पक्ष भी सलेक्ट कमेटी के सामने रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रभारी मंत्री महोदय भी सलेक्ट कमेटी में रहते हैं। आज आप भाषण दे रहे हैं। आपकी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है आप मान लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : We are happy.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : You are always happy. If you choose to be happy you will be happy.

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय डागाजी, आपको हमने सुना है। आपको भी हमको सुनना होगा। मन्त्रीजी को आप सुनें।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। He has started everything again. I refuse to hear him.

Page No 87

(87)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता जी, जो परिनियत संकल्प है उस पर कह रहे हैं। उसका अधिकार है उनको।

श्री मूलचन्द डागा : अगर अभी सलेक्ट कमेटी का मोशन मूव करते हैं तो मदनसिंह जी दांता उस पर संशोधन पेश कर सकते हैं। If an amendment can be moved from that side then again any amendment will be moved from this side also. फिर समय नहीं मिलेगा इस लिए वह चाहते हैं कि वह अपनी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी स्थिति आयेगी वैसे किया जायगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जो 1973 का सी.आर.पी.सी. अमेंडमेंट का क्रांतिकारी कदम विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बताया है, ऐसी बात नहीं है। 109 व 110 की धारायें आज भी मौजूद हैं, सारे देश पर लागू हैं। 107 का लिमिटेड पर्पज होता है–शांति व व्यवस्था भंग होने की आशंका प्रतीत होने पर कार्यवाही की जाती है। 109 व 110 ऐसी धारायें हैं जो कि अनायास ही जमाने से चली आ रही हैं। रामकृष्णदासजी ने बताया है व डा. राम मनोहर लोहिया का उदाहरण दिया है। मैं डा.लोहिया के विचारों को मानता आया हूं, ठीक है लेकिन डा. राम मनोहर लोहिया का बल था वह 109 व 110 धाराओं पर था।

जहां तक दूसरे प्रश्नों का संबंध है, सारे के सारे प्रश्न सलेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। शीघ्रातिशीघ्र तारीख फिक्स की जाकर सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर मतदान कराना है।

क्या सभी माननीय सदस्य जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किये हैं, वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

क्योंकि माननीय परसराम मदेरणा मौजूद नहीं हैं....

श्री मूलचन्द डागा : मैं मूलचन्द डागा उपस्थित हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की आम सहमति है और संकल्प विथड्रा कर लिये गये हैं।

चूंकि प्रभारी मंत्री का उत्तर आ चुका है इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए

Page No 88

(88)

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं वे अपने संशोधनों को विथड्रा करते हैं या नहीं, इस बारे में वे बतायें।

श्री रामनारायण चौधरी।
श्री गिरधारीलाल भार्गव।
श्रीमती उजला अरोड़ा।
श्री मूलचन्द डागा।
श्री नवरंग सिंह।
श्री उगमराज मेहता।
श्री कौशल किशोर जैन।
श्री नाथूराम।
श्री ओम प्रकाश शर्मा।
श्री आर्य।
श्री हरीश शर्मा।

इन सभी सदस्यों ने जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने के सदन में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्या ये सभी माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव को विथड्रा करने को तैयार हैं?

कई माननीय सदस्य : हम अपना संशोधन विथड्रा करते हैं।

श्री ईश्वर चन्द : आयन्दा इस तरह का प्रस्ताव पार्टी को विश्वास में लेकर रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सुबह का भूला शाम को आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की आम सहमति को देखते हुए जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे खारिज माने जायं या विथड्रा न माने जाय। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उस बारे में सहमति ले ली गई है, मंत्रीजी विचारार्थ प्रस्तुत कर दें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की आम सहमति है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक नाम घोषित कर देंगे?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कल सुबह, आप से पूछ कर।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : जो दूसरा विधेयक है, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 उस संबंध में जो परिनियत संकल्प श्री मूलचन्द डागा, श्री परसराम मदेरणा,

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामनारायण चौधरी, श्री रामकृष्णदास गुप्ता व श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा श्री मूलचन्द डागा अपना संकल्प विधिवत् प्रस्तुत करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो संकल्प दिया है वह है :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

मैं समझ रहा था कि बिक्री कर माफ हो जायगा। देश की धरती पर जब आपने चुनाव लड़ा तो राजस्थान के कोने कोने में यह आश्वासन दिया कि हम बिक्री कर को खतम कर देंगे। जिस विभाग से भ्रष्टाचार बढ़ता है, बिक्री कर अधिकारी मालामाल हो जाते हैं, रातों रात मालदार हो जाते हैं ऐसे विभाग को समाप्त कर देंगे, यह आपके घोषणा पत्र में है। हमने सोचा यह बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं। बार बार हमने विधान सभा में सवाल किये और वित्त मंत्री ने भी बार बार जवाब दिया कि हम इस पर जल्दी विचार करने वाले हैं। हाल ही में मुख्य मंत्री ने सीकर में 28 सितम्बर को भाषण दिया, आम सभा में कि हमें चुंगी व बिक्री कर समाप्त करने के लिये कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर आगामी 6 व 7 अक्टूबर को होने वाली मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिये जाने की संभावना है। आज 5 तारीख है। जब मुख्य मंत्री एक जगह भाषण देते हैं तो उनकी आवाज सारे राजस्थान में फैलती है। आपको भी दुःख होता है कि जो वायदे आपने जनता के साथ किये वे पूरे नहीं कर सके। जो गलती हो गई सो हो गई, आप ज्यादा दुःख न करें लेकिन 7 अक्टूबर को आप कहें कि बिक्री कर हमें नहीं चाहिए क्यों कि आप जो बात कहते हैं उस पर मजबूत रहते हैं। अगर मुकर गए तो आप जानते हैं कि आपकी छवि कितनी घट रही है या बढ़ रही है। यह अध्यादेश जो लाया गया है, बड़े विद्वान वित्त मंत्री जी हैं। उन्होंने काफी कहा है, भाषण दिया है वित्त मंत्रीजी का भाषण कोट करना मेरे लिए लाजिमी भी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह आर्डीनेन्स क्यों लाया गया और रीजन्स क्या दिये गये हैं? सब ने माना है कि आर्डिनेन्स नहीं लाया जाना चाहिये। इस नियम को बार बार कोट करने से कोई लाभ नहीं और मैं कल की बात को बार बार दोहराना भी नहीं चाहता लेकिन क्या कोई इमरजेन्सी थी? यह हमारे मावलंकर साहब ने पहले पहले कहा था : "The issue of an Ordinance is undemocratic and cannot be justified except in cases of extreme urgency or emergency."

उन्होंने कहा कि "Extreme urgency or emergency" श्रीमान् यह रीजन्स लिखे हैं। मेरा सौभाग्य है कि अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हैं वह बड़े कानून के ज्ञाता हैं इसमें रीजन्स दिये हैं :

"Though Section 14 of the Rajasthan Sales Tax Act does not prohibit an Assessing Authority from filing a revision against his own order to the Board of Revenue, yet this provision has

(90)

(श्री मूलचन्द डागा)

not been interpreted in keeping with the intention of the Legislature by the Board."

मुझे आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल को फेंकना चाहिए। कौन सा इसमें बोर्ड का हुआ? आपने क्यों छुपाया? किस बोर्ड ने आप की इन्टेन्शन का इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं किया? माननीय वित्त मंत्री जी यह नौकरशाही है जो आपको गलत रास्ते ले जाती है। आप जैसे साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति बिलकुल गंगा की तरह पाक हैं। आप ऐसा कानून नहीं लायें। यह आपसे हत्या करवाना चाहते हैं कानून की। कानून में यह लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा लेजिस्लेशन का इन्टेन्शन क्या था? विधान सभा का क्या इरादा था और उस इरादे के खिलाफ बोर्ड ने फैसला दे दिया? दुःख की बात है। इसमें रीजन्स कुछ भी दिये हों। श्रीमान्, न यह बताया कि क्या आवश्यकता और न यह बताया कि इमर्जेन्सी क्या है? कब बोर्ड का फैसला हुआ? कोई बात नहीं लिखी और लिख दिया:

"to make the position more clear and beyond doubt."

यह डाउट किसके दिमाग में था? आपके या हमारे दिमाग में था? अब इन्होंने क्या अमेन्डमेंट किया है। जनता पार्टी के विधायकों के दिलों में बड़ी श्रद्धा पैदा हुई है, जागृति पैदा हुई है। मैं कहूंगा कि जनता पार्टी इस पर भी विचार करे। मैं इनके हृदयों को अच्छी तरह से जानता हूं इनके दिलों में तमन्ना है काम करने की। आप देखिये, इन्होंने क्या अमेन्डमेंट किया है आपके अन्दर बड़े बड़े वकील भी हैं:

"An Assessing Authority shall be competent to move the Board of Revenue against its own order...."

मैं फैसला करने वाला हूं और मैं ही उस फैसले के खिलाफ आगे जा सकता हूं। मैंने कोर्ट में फैसला कर दिया और मैं ही हाईकोर्ट में जा सकता हूं:

whether its order had been the subject matter of appeal or not....

अगर मैं अपील में चला गया तो परवाह मत करो। वह प्रासीक्यूटर बन रहा है जो कि असेसिंग अथोरिटी है, जजमेंट देने वाला ही प्रासीक्यूटर बन रहा है। मैंने ऐसा लॉ कभी नहीं देखा। यह क्या कानून लेकर आये हैं? हमारे माननीय पुरुषोत्तमजी बड़े मंत्री हैं और कानून के बड़े भारी जानकार भी हैं। वह आज ही जाकर सलाह देंगे। आपमें हमारा काफी विश्वास है। कल हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भाषण दे रहे थे कि जरूरत पड़ी थी। बड़ी धमाके की बात कहकर न जाने कहां भाग गये। एक धमाका पड़ा तो आर्डिनेन्स वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने वापस मत लेना मैं चला जाऊं तो ले लेना और बस रवाना हो गए। पीछे से इन्होंने वापस ले लिया तो वह कह देंगे कि मेरे सामने नहीं लिया। आप कह रहे हैं:

"and, if appealed against, whether confirmed or not."

यह जजमेंट कब हुआ है? 8 अप्रेल, 1974 को बड़ी कृपा की है। वित्त मंत्री जी को आपने कहां फंसा दिया। 8 अप्रेल 1974 को जजमेंट हुआ और आज 78 के अन्दर आर्डिनेन्स निकालते हैं। अब इससे ज्यादा, श्रीमान, मैं क्या बात बताऊं कि आर्डिनेन्स की क्या जरूरत थी। हम सहयोग देना चाहते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)
यह सलेक्ट कमेटी तो सिर्फ नाम की है उसमें इसको दफना देंगे। आपने अपनी थोड़ी इज्जत बचा ली . . .

श्री कौशल किशोर जैन : इस मामले में अनुगृहीत नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा: आपसे तो बहुत आशायें हैं। अब इसको आप पढ़िये।

श्रीमान्, मैं असेसी हूं और असेसिंग अथोरिटी है उसने यह किया कि तुम्हारा इतना बनाया है। मैं एग्रीव्ड हो गया और अपील में गया, अपील में जीत गया और अपील में मैं कामयाब हो गया। तब तो असेसिंग अथोरिटी कह सकती है कि इसके खिलाफ जजमेन्ट हो गया लेकिन जो असेसिंग आथोरिटी कर रही है उसी को कन्फर्म कर दे और फिर भी वह जा सकता है। तो, बोर्ड ने क्या जजमेंट दिया है उसका इसमें उल्लेख है। रुपया दे दिया। चुपके से पैसे दे दिये और कह दिया · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

थोड़े दिनों बाद तीन साल की और मियाद है तेरा केस वापस लिया जायेगा। क्या है ? मैंने जजमेंट दिया है तेरे केस को रेवेन्यू बोर्ड में लिया जायेगा। हजार और ला। मुझे अधिकार है। इसके अन्दर अधिकार जो है। आप सेक्शन 12 और सेक्शन 17 पढ़ लीजियेगा। सेक्शन 12 में, 17 में रिवीजन कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपको सिखा रहे हैं वह मत बोलना। आपकी अन्तरात्मा की आवाज होनी चाहिये। आपने कह दिया तो मामला गड़बड़ हो जायेगा। वे कहते हैं मैं अपील करूंगा तीन साल की और मियाद है। केस 8 साल चलता है। 9 साल चलता है। अब वह सेक्शन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार थी उसने क्यों नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि हमारी कांग्रेस सरकार ऐसी भूल नहीं करती थी कि वह लेजिस्लेशन लेकर आवे · · · · ·

एक माननीय सदस्य : कैसी भूल करती थी ?

श्री मूलचन्द डागा: हमने वह काम किया जिससे देश बन गया। आप के चेहरों पर खुशी है, आपको बड़ा किया।

(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो जजमेंट दिया मैं वह सारा जजमेंट नहीं पढ़ना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि, श्रीमान्, सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 17 क्या है और सेक्शन 14 क्या है ? इन सेक्शन्स को आप पढ़ लीजिये इसी बिक्री कर के मामले में माननीय वित्त मंत्री जी साहब के बड़े भाषण हुये हैं, इसमें बड़े भ्रष्टाचार हैं इसको हम स्वीकार करेंगे। मैंने कहा, विचार करके लाना बुढ़ापे की निशानी है। जल्दी करना जवानी है। विचार करते करते बुढ़ापा आ जाता है। जो जल्दी कर लेते हैं वह जवान रहते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : डागा जी, आपको बुढ़ापा ऐसे आया है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा: आपको देखकर जवानी आ गई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा जी, आप रेलेवेन्ट पोर्शन रेफर कर दें। सारांश बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो आपकी आज्ञा को मानूंगा ही।

Page No 92

(92)

(श्री मूलचन्द डागा)

अब, श्रीमान्, जजमेंट का रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़ना चाहता हूं। यह जजमेंट लार्जर बेंच का है। रेवेन्यू बोर्ड की एक सिंगल बेंच का नहीं है। लार्जर बेंच का जजमेंट है। जजमेंट में दिया है–

"Whether the Assessing Authority is competent to file a revision petition before the Board of Revenue, under section 14 (1) of Rajasthan Sales Tax Act against its own orders and whether the Assessing Authority can be a party aggrieved against its own orders."

अब मैं सारा नहीं पढ़कर यह पढ़ देता हूं।

"Dealer can go in appeal u/s 13 and if assessment order is modified, Assessing Authority becomes an aggrieved party and then alone he can move u/s 14 (1).

आप मुझे कृपा करके सुनियेगा।

A man cannot be permitted to be both a judge as well as a prosecutor in some cause as opined by S. C. 1972.

आखिर में कहा है

to be a judge as defined by the Supreme Court."

He cannot be a prosecutor and a judge.

और यह कहते हैं कि हम लोग न्यायालयों में विश्वास करते हैं। जनता पार्टी की घोषणा है कि हम जनता पार्टी वाले लोग न्यायालयों और एक्जीक्यूटिव का बराबर विश्वास करते हैं। इसलिये, श्रीमान्, आपका यह जजमेंट हो गया। मुझे वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अन्दर यह जजमेंट के आने के बाद कितने केसेज के अन्दर आपकी असेसिंग अथोरिटी ने सेक्शन 17 में रेटीफिकेशन किया। सेक्शन 12 में उसको वापस दे ..? यह आंकड़े आप कल मुझे बता दीजिये, क्योंकि टाइम हो गया। सेक्शन 12, सेक्शन 17 में जो पावर्स दी हुई हैं अगर उनका उपयोग न करें तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेक्शन 12 और 17 के बाद जब आप आर्डिनेंस ले आयें, आर्डिनेंस लाने के बाद आपने किन किन केसेस में रिवीजन कर दिया। आप पूछ लीजिये। सेक्शन 12 के अन्दर मैंने कहा। सेक्शन 17 के अन्दर मैंने कहा। यह लाईब्रेरी की किताब है, बूढ़ी किताब है, इसलिए टाइम लग जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस विधान सभा में किताबों की व्यवस्था करें तो मैं आपका आभार मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी कमेटी को भिजवा दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। किसी भी विधेयक पर ट्रेजरी बेन्चेज को कितना समय मिलना चाहिये और विरोधी दल को कितना मिलना चाहिये, इसका विभाजन होना चाहिये।

(व्यवधान)

सारा समय विरोधी दल वाले ले रहे हैं, मेरा निवेदन है ...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपको समय चाहिये, मेरी तरह पार्टी छोड़कर यहां आओ।

Page No 93

(93)

श्री कौशल किशोर जैन : विरोधी दल को समय मिल रहा है, हमारा समय कर्टेल हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मुझे मालूम नहीं था कि जो विधेयक और बिल आते हैं वे इनकी पार्टी में डिसकस नहीं होते। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पार्टी में निर्णय नहीं लेते और ऊपर से आ जाते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : पार्टी का सवाल नहीं है हम लोग सदन में बोलना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कौशल किशोर जी, बात राजस्थान की 3 करोड़ जनता की कह दी। सेल्स टैक्स माफ कर दिया...

एक माननीय सदस्य : 5 बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी टाइम शेष है।

श्री रतनलाल वर्मा : 5 बज चुके हैं, हाउस 5 बजे तक ही था।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था . . .

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम हो चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, सैक्शन 12 में यह लिखा है कि जो...

श्री कौशल किशोर जैन : समय तो हो चुका है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो चुका है अतः कल प्रातः 11 बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 6 अक्टूबर, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 के आदेश)

राजस्थान सरकार
सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना विभाग
(विशिष्ठ योजना संगठन)

क्रमांक : एफ. 2/(9)/(3) कृषि/वियो./7/75 जयपुर दि. 18-3-78

परियोजना अधिकारी,
भूमिहीन किसान अभिकरण,
अजमेर (राजस्थान)।

विषय:– एस. डब्ल्यू. आर. सी. तिलोनिया को डी. पी. ए. पी. के तहत दूसरी किस्त का भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्र संख्या 21/एफ. डी.पी.ए.पी./173 दिनांक 1 मार्च, 1978

महोदय,

निदेशानुसार आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित कर लेख है कि निर्देशक, एस.डब्ल्यू.आर.सी. तिलोनिया को दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया जावे।

भवदीय,
ह./-
पवन चोपड़ा,
शासन उप सचिव।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
AGRICULTURE (Gr.V) DEPARTMENT
(SPECIAL SCHEMES ORGANISATION)

No. F. 2(3)DPAP Plan 75 . Jaipur, dated 9th Feb. 1976.

From :

The commissioner & Secretary,
Special Schemes Organisation,
Jaipur.

To

The Accountant General,
Rajasthan-Jaipur.

Sub:- District Development Agencies DPAP Distt. Ajmer Release of funds for semi-detailed Hydrogeological Survey in Panchayat Samiti Jawaja of Tehsil Beawar (District-Ajmer) to Social Work & Research Centre. Through Marginal Farmers and Agriculture Labourer Agency, Ajmer.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Government to the payment of grant-in-aid to the extent of Rs. 40,000 (Forty thousand) only to the Chairman, Marginal Farmer and Agricultural Labourer Agency, Ajmer for implementation of the semi-detailed Hydrogeological Survey Scheme in Panchayat Samiti-Jawaja under Ground Water Development Programme at Tehsil Beawar (distt. Ajmer) during the year 1975-76. The Survey Scheme in Panchayat Samiti, Jawaja will be implemented by the Social Work and Research Centre, Village and P.O. Tilonia, distt. Ajmer. Accordingly the grant in aid of Rs. 40,000/- would be paid by Chairman, M.F.A.L., Ajmer to the Director, S.W.R.C. for the purpose of meeting out the cost of staff operation and maintenance of vehicle and other miscellaneous expenses connected with the proposed survey work. The payment shall be made subject to the following terms and conditions :—

1. The amount of this grant shall be released only on items approved. No change will be made or any new scheme financed, out of this amount without prior sanction of the Government.

2. Proposed accounts in respect of the expenditure incurred out of this grant shall be maintained in the office of the Director, Social Work and Research Centre and Chairman, Marginal Farmers and Agricultural Labourer Agency, Ajmer.

3. Payment for proposed expenditure shall be made by Chairman, M.F.A.L. Agency to Director, S.W.R.C. in two equal instalments. First instalment shall be paid immediately on receipt of the request of Director, S.W.R.C. for this purpose and after executing Agreement Deed between M.F.A L. Agency and S.W.R.C. The second instalment shall be paid after completion of the survey work and submission of survey Report to the Government and verification by Director (Survey and Research), Ground Water Department, Jodhpur.

4. The Survey work should be completed and report thereof submitted to the Government latest by 31st March, 1977.

5. Before paying the first instalment of grant to Director, S.W. R.C. the Chairman; M.F.A.L. Agency shall execute an Agreement Deed with the former, for that purpose a model draft Agreement Deed is enclosed.

6. The Agency shall furnish to the State Government the sudited statement of accounts, utilisation certificate to the effect that the grant has been utilised fully for the purpose, for which it was sanctioned and that all conditions attached to the grant have been fulfilled.

7. The Agency shall furnish regular periodical reports about the progress of this activity and such other reports and statements as may be prescribed by the State Government from time to time.

8. That any assessed immovable or movable property acquired out of this grant shall not in any manner be incumbered or disposed off without the prior approval of the State Government.

9. That the accounts maintained by Director, Social Work & Research Centre and Marginal Farmers and Agricultural Labourer Agency shall remain open for inspection by officer of the State Government and by the representative of the Comptroller and Auditor General of India.

10. The expenditure will be charged to the budget head 308 Area Development (Kha) dryland development (Centrally Sponsored Scheme) XVII D.P.A.P. at Beawar Tehsil in Ajmer District (III) Minor Irrigation 1. grant-in-aid contribution subsidy plan expenditure new item The above grant shall be placed at the disposal of the M.F.A.L. Agency by transfer to his personal deposit account.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Exp. I) vide their I.D. No. 543, dated 5th Feb., 1976.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 का ब्यौरा)

(सूची–अ)

तारांकित प्रश्न संख्या 7/सा. नि.मं. दिनांक 16–9–78 की सूची

मकराना क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की सूची

(अ) रावत डूंगरी से मातामर माईन्स मकराना:—इस सड़क के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जरिये क्रमांक एफ. 12 (11) खान–3/75 दिनांक 5–6–76 के रु. 2,79,000 की है। सड़क की लम्बाई 3 कि.मी. है जिसमें से ढाई कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है। सड़क का कार्य रास्ते में निजी खेत होने के कारण रुका पड़ा है। मुख्य अभियन्ता सा. नि. विभाग (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर ने सितम्बर, 78 के दूसरे सप्ताह में मौके का मुग्रायना किया व खेत वालों को समझाया। जो जमीन सड़क में आयेगी उसको अधिग्रहण करने की कार्यवाही हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी जोधपुर को लिखा जा चुका है। भूमि अवाप्ति के बाद कार्य चालू कर दिया जायेगा। खनिज अभियन्ता मकराना को यह निवेदन किया गया था कि वे खानों की बाउन्डरी लाइन करें जो कि सड़क के पास में है जिससे कि सड़क की लाइन तय की जा सके।

(आ) बोरावड से बोरावड माइनिंग एरिया मकराना:—इस सड़क के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जरिये क्रमांक एफ. 14 खान जी. आर. iii/77 दिनांक 13–1–78 के रु. 3,65,000/– की है। सड़क की लम्बाई ढाई कि. मी. है। सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार का दिया हुआ है। यह नई सड़क है जो खेतों से होकर निकलती है वहां खेतों में सावनें फसल बोई हुई है अतः उसके कटते ही निर्माण चालू किया जाकर शीघ्र कार्य पूरा कर दिया जाने की सम्भावना है।

(इ) पिन्क रेन्ज चक डूंगरी के बीच बोरावड़ तक सड़क निर्माण:—इस सड़क के निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जरिये क्रमांक एफ. 14 (खान) जी. आर. (iii) /77 दिनांक 13–1–78 के रुपये 3,65,000/–की स्वीकृति है। सड़क की लम्बाई 3 कि. मी. है। सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार को दिया हुआ है जो मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ई) मकराना से विदियाद एवं मकराना मुनावती:—इस सड़क के सुधार के लिये रुपये 50,000/–की राशि स्वीकृत जरिये नम्बर एफ. 34 (जी. आर. iii) सैक्शन–2/77 दिनांक 12–1–78 की है। सड़कों के सुधार कार्य ठेकेदारों के मार्फत चल रहे हैं तथा मार्च, 1979 तक कार्य पूरे किये जाने की सम्भावना है।

Page No 98

(उ) मकराना को घुडसू सडक :—इस सड़क के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जरिये नम्बर एफ. 2 (99) पुल पी. डब्लू./एज/74 एस. इ. सी. 2/डो. 3144, दिनांक 14-12-74 के रुपये 4,69,000/– की है। सड़क का निर्माण कार्य चालू कराया गया मगर ग्राम जसूरी व जूसरीया वालों ने सड़क अपने खेतों में होकर निकालने के लिये मामला उठाया जो राज्य सरकार तक गया व फैसला करीब एक वर्ष में तय हुआ। सड़क कार्य प्लान में जिला सीलिंग के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से चालू कराया गया। सड़क का निर्माण करीब डेड कि. मो. हो चुका है। अब आगे रास्ते पर खेत वालो ने झगड़ा खड़ा कर दिया था जिसको निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में एलाइमेन्ट दिनांक 9-9-78 को तय कर दी है व अभी खेतों में फसल खड़ी होने से कार्य चालू नहीं किया जा सका। इन खेतों से गांव जूसरी तक ग्रेवल रोड बना दी गई है व जूसरी घुडसू तक भी ग्रेवल डाल दी गयी है।

(ऊ) मांगलाना से मकराना :—इस सड़क के सुधार के लिये अतिवृष्टि कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,00,000/– की राशि स्वीकृत है जिस पर ठेकेदारों के मार्फत सुधार कार्य चालू है जिनके मार्च 1979 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जालौर में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम

29. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम चल रहा है ? अगर हां, तो इस कार्यक्रम के तहत जिला जालौर में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? उक्त कार्यक्रम के तहत भविष्य में क्या-क्या कार्य किये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के तहत जिला जालौर में अब तक पशु पालन विकास योजनाएं एवं डेयरी विकास योजना अभी तक हाथ में नहीं ली गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार अब उक्त कार्यक्रम के तहत पशु पालन विकास योजनाएं एवं डेयरी विकास योजनाएं हाथ में लेना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले में डी. पी. ए. पी. का कार्यक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत भू-सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, भू-जल विकास के लिए नलकूप बनाये, भू-जल सर्वेक्षण, भेड़ व चरागाह विकास, लघु सिंचाई, वृक्षारोपण इत्यादि के कार्य किये गये हैं। वर्ष 1977–78 के अन्त तक 79,000 है। भूमि का भू सर्वेक्षण, 61000 है। भूमि का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा 8 जल ग्रह क्षेत्रों के प्रतिवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 5752 है. है। 15 लघु क्षमता नलकूप तथा 27 मध्यम क्षमता नलकूप बनाये जा चुके हैं। भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत 755 कुओं की इनवेंट्री, 604 जल के नमूनों का विश्लेषण, 32 जियोलोजिकल साउंडिंग किये जा चुके हैं। चरागाह विकास के अन्तर्गत 100–100 है. के 21 भू-खण्डों का चयन किया जा चुका है तथा 5 भूखण्डों को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है। 16 भेड़ सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। लघु सिंचाई के अन्तर्गत 30 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 9913 है. है। वन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1394 है. भूमि शुष्क चरागाह तथा 2 नर्सरी का कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है तथा चालू है।

वर्ष 1978–79 में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को चालू रखा जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। क्योंकि इस जिले में डेयरी एवं पशु विकास हेतु निजी क्षेत्र में आइडियल कम्पनी द्वारा डेयरी स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई थी-तथा इस डेयरी का कार्य क्षेत्र रानीवाड़ा से उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी में 100 मील की परिधी तथा दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा तक मानी गई थी तथा इस क्षेत्र में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत पशु विकास एवं डेयरी योजना नहीं ली गई।

(3) अब राज्य सरकार जालौर जिले में भी डेयरी एवं पशु विकास के लिए राजकीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार कर रही है। जोधपुर डेयरी संघ को इस क्षेत्र में

(102)

(कृषि मंत्री)

डेयरी कार्यक्रमों के लिये सर्वेक्षण करने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं। सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय सम्भव होगा।

सहायक रजिस्ट्रार अलवर 'सहकारी समितियां' द्वारा पुलिस में दर्ज गबन के मामले

30. श्री शिवनारायण (थानागाजी)– क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सहायक रजिस्ट्रार, अलवर (सहकारी समितियां) की ओर से कितने गबन एवं अनियमितताओं के मामले पुलिस के हवाले किये गये और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर ने गबन के 4 मामले पुलिस को दिये हैं जो पुलिस के पास जेर तफतीश हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर द्वारा पुलिस में दिये गये मामलों की सूची

क्र.सं.	नाम समिति	राशि	दिनांक एफ. आई. आर.	एफ.आई.आर. देने का आधार
1.	मुबारिकपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	34963–00	18–3–78	आडिट रिपोर्ट वर्ष 75–76
2.	लक्ष्मणगढ़ वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि.	43873–78	18–3–78	आडिट रिपोर्ट वर्ष 75–76
3.	परवणी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	6?029–11	19–3–78	आडिट रिपोर्ट वर्ष 75–76
4.	पटियाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	10822–98	21–3–78	आडिट रिपोर्ट वर्ष 75–76
	योग:–	249087–87		

खनिज विभाग द्वारा खनिज विकास के लिये सड़कें

31. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य का खनिज विभाग, खनिज विकास हेतु सड़कें बनाता है ?

(2) क्या करौली, बयाना वाया छुनैनी सड़क खनिज विभाग बनायेगा ?

(3) अब तक कौन कौन सी सड़कें भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले में बनी हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(खनिज मंत्री)

(2) इस सड़क को निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले में निम्न 3 सड़कों का निर्माण कराया गया है:—

1–कोटड़ी नगर से झरना।
2–रन्दावल से बंशी पहाड़पुर।
3–बंशी पहाड़पुर से महलपुर चौरा।

राजस्व मण्डल की बेन्चेज

32. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राजस्व मण्डल की बेन्चेज जयपुर और कोटा में भी निकट भविष्य में राज्य सरकार स्थापित करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर के लिए भी क्या राज्य सरकार ऐसी ही व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को व्यय और स्टाफ तथा सदस्यों की संख्या में क्या-क्या करना पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विचार किया जा रहा है।
(2) विचार किया जा रहा है।

बूंदी जिले के चरागाहों में बाहर से चरने आने वाले पशुओं से उत्पन्न स्थिति

33. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के अन्तर्गत विभिन्न चरागाहों में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों के भेड़, ऊंट तथा अन्य पशु चराई के लिये आते हैं ? यदि हां, तो ये पशु विगत कितने वर्षों से आते हैं ?

(2) क्या प्रदेश व अन्य प्रदेशों से आने वाले इन पशुओं को सुरक्षित वनों में चराई का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो प्रसारित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इन पशुओं की चराई पर कोई शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो प्रति पशु कितना और राज्य के वन विभाग द्वारा विगत वर्षों में कितना शुल्क जमा हुआ ? वर्षवार तालिका सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त पशुओं के जिला बूंदी में चराई पर आने का विरोध वहां के नागरिकों द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह आंशिक रूप से सही है कि जिला बूंदी के अन्तर्गत खुले वनखण्डों में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की भेडें और ऊंट चराई के लिये आते हैं। गुजरात प्रान्त से लगभग तीन वर्ष पूर्व से इस वन मण्डल में पशु आने बन्द हो गये हैं। ये पशु अनुमानतः 14–15 वर्षों से आते रहे।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, वर्ष 1978-79 से पश्चिमी राजस्थान से आने वाली भेड़ बकरियों की चराई 50 पैसे प्रति नग और ऊंट व बोते की क्रमशः 2 रु. व एक रु. प्रति नग की दर से वसूल की गई है। इस वर्ष अब तक इस शुल्क पेटे 48,742 रु. 50 पैसे राजस्व में जमा हुए हैं। इससे पूर्व के वर्षों में इनसे कोई चराई वसूल नहीं की गई है।

(4) जी हां। स्थानीय कर्मचारियों और पुलिस की सहायता से इन पशुओं को एक ही स्थान पर एक या दो दिन अधिक न टिकने देने व शीघ्रातिशीघ्र अन्यत्र प्रस्थान करने की व्यवस्था की जाती रही है।

राज्य में नमक उद्योग निगमों को प्लाट्स

34. श्री जगदीश चन्द्र (रतनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नमक उद्योग कहां-कहां है? कौन-कौन से क्षेत्रों में सरकार अथवा निगम कार्य कर रहे हैं तथा कहां-कहां निजी फर्मों द्वारा यह उद्योग चलाया जा रहा है?

(2) छापर-नमक उत्पादन में अभी तक प्लाट्स किन-किन को कब-कब कितने-कितने समय के लिए एलाट किए गए हैं और कितने मजदूर इस कार्य में लगे हुए हैं? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या छापर के नमक उद्योग को राज्य सरकार अपने अधिकार में लेने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? नमक के उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में लवण क्षेत्र डीडवाना, पचपद्रा, सैंड व सांभर में स्थित है। सांभर लवण क्षेत्र में सांभर साल्ट कम्पनी कार्य कर रही है। डीडवाना, पचपद्रा व सैंड़ में राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष लवण क्षेत्रों में निजी इकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूची "क" संलग्न है।

भूखण्ड आवंटितियों की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। लगभग 800 मजदूर पूर्ण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

जी नहीं। राज्य सरकार ने नमक उद्योग को सुचारु रूप से विकसित करने हेतु आयुक्त, राजकीय उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट माह जनवरी, 1979 के अन्त तक राज्य सरकार को प्राप्त होगी। यह समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार कर रही है :—

1. राजस्थान में नये लवण क्षेत्रों का विकास किस तरह किया जा सकता है।

2. वर्तमान में घोषित लवण क्षेत्रों का विकास किस तरह किया जा सकता है?

3. आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया में किस प्रकार का संशोधन और सरलीकरण आवश्यक है?

4. नमक व उसके बाई-प्रोडक्ट पर आधारित लघु, मध्यम व वृहद् उद्योगों की सम्भावनाएं।

(उद्योग मंत्री)

5. नमक उद्योगों से सम्बन्धित यातायात की सुविधा। — राज्य सरकार द्वारा आगे समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा।

6. नमक की गुणता पर नियन्त्रण;

सूची 'क'

निजी इकाइयों द्वारा कार्य किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची

नमक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूखण्डों की संख्या	आवंटित इकाई की संख्या	विशेष विवरण
(क) नागौर जिला				
1. कुचामन झील	1450	88	27	
2. सरगोठ झील	776	63	27	
3. मीठड़ी का खारड़ा	58	1	1	खातेदारी कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित
4. उल्हाना का खारडा	54–5	1	1	
5. खारड़िया का खारड़ा	95	2	–	
6. जानदीनगराका खारडा	600	61	–	इसके अतिरिक्त 7 (सात) खातेदारी कृषि से लवण भूमि में परिवर्तित
(ख) चूरू जिला				
7. बीडछापर का खारड़ा	1086	47	27	इसके अतिरिक्त दो इकाइयों खातेदारी कृषि से लवण भूमि में परिवर्तित
(ग) सीकर जिला				
8. काछोर रैवाला व सवाईपुरा	760	77	22	इसके अतिरिक्त 1 इकाई खातेदारी कृषि से अकृषि लवण भूमि में परिवर्तित
(घ) जोधपुर जिला				
9. मलार रिण	4500	450	118	
10. नाप रिण	5000	500	111	
11. गंगानी का खारडा	120	1	–	
(ङ) जैसलमेर जिला				
12. गुढी रिण	5834	479	5	
13. पोकरण रिण	2700	279	36	
14. कानोद रावलता	6205	524	1	

"सूची ख"

ताल छापर लवण क्षेत्र में आवंटित भूखण्डों के पट्टेधारियों की सूची

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटन तिथि	प्लाट नं.	क्षेत्रफल (एकड में)	कब्जा देने की तिथि	लीज अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स तारा साल्ट इण्डस्ट्रीज	12-10-1962	1	37.5	15-11-62	99	
2.	मैसर्स एस. वशिष्ठ कुमार	12-10-1962	1—ए	37.5	15-11-62	,,	
3.	मैसर्स जौहरी मल डोसी	12-10-1962	2	99.00	25-10-62	,,	
4.	मैसर्स भेरुदान कुण्डलिया	12-10-1962	3	80	19-11-62	,,	
5.	मैसर्स सोहन लाल सिंघी	8-12-1962	3—ए	79	7-4-63	,,	
6.	मैसर्स जसराज सोगानी	8-12-1962	2—ए	51	8-11-63	,,	राज्य सरकार के आदेश संख्या प.16(16)उद्योग 76 दि. 8-7-76 के द्वारा 30 एकड़ भूमि का स्थानान्तरण श्री कन्हैयालाल रामलाल के पक्ष में कर दिये जाने से इनके पास शेष 51 एकड़ भूमि रह गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मैसर्स राजकुमार बोथरा	8–12–62	1	77	6-4-63	99वर्ष	श्री रामचन्द बोथरा की मृत्योपरान्त इनके भू-खण्ड का स्थानान्तरण उनके पुत्र राजकुमार बोथरा के पक्ष में राज्य सरकार के आदेश सं. प. 16(34) उद्योग/2/74 दि. 4-5-76 के द्वारा कर दिया गया है।
8.	मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल	8-7-76	2–जी	30	11-7-76	10वर्ष	
	,,	17-8-78	2 एच	35	30-8-76		
9.	मैसर्स हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री	11–12–63	259,260 261	30	11–2–63	,,	इनके लीज नवीनीकरण राज्य सरकार के आदेश सं. प. 16 (21) उद्योग/2/73, दिनांक 18-5-77 के द्वारा अगले दस वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है।
10.	मैसर्स नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति	11–12–63	273,274, 275	30	27–3–64	10वर्ष	इस सहकारी समिति का लीज नवीनीकरण राज्य सरकार के आदेश सं. प. 16 (20) उद्योग 2/73,

1	2	3	4	5	6	7	8
							दिनांक 19-4-74 के द्वारा अगले 10 वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है।
11.	मैसर्स रामचन्द्र अग्रवाल	11–12–63 23–6–67 10–12–71	265 से 270, 270 ए.बी.	46.18 5	22–11–67 21–1–72	10 वर्ष ,,	इनकी लीज समयावधि राज्य सरकार के आदेश सं.प.16(17) उद्योग/2/78, दिनांक 4-4-78 के द्वारा अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
12.	,, चम्पालाल डालमचन्द सोनी	19–2–74	276,277, 278	30	2–3–74	,,	यह भू-खण्ड पूर्व में मै. छापर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति के पक्ष में आवंटित थे।
13.	,, श्रीराम साल्ट इण्ड. वाडवास	27–6–65	262,263, 264	30	15–2–66	,,	इन भू-खण्डों की लीज समयावधि राज्य सरकार के पत्र सं.प.16(8) उद्योग/2/76, दिनांक 28-5-76 के द्वारा अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
14.	,, विनोद कुमार बरोडा	7–11–67	2–बी	40	8–12–67	,,	इस पार्टी का नवानीकरण का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मै. शंकरलाल सोमानी	18–4–69	2 सी	20	13–5–69	10 वर्ष	
		18–7–69	2 डी.ई.	10	20–8–69	,,	
		12–4–71	2 एफ.	20	20–5–71	,,	
16.	,, लालचन्द सोमानी	4–11–71	280	25	30–12–71	,,	
17.	,, चुन्नीलाल करवा	16–2–71	4–बी	30	5–4–71	,,	
18.	,, सुमेरचन्द नाहटा	19–5–71	3–बी	30	21–5–71	,,	
19.	,, गणेशलाल लाखोटिया	15–6–71	279	30	6–1–72	,,	
20.	,, लालचन्द शर्मा	23–3–76	282	25	24–3–76	,,	यह भू-खण्ड पूर्व में श्री बाबूलाल बजाज के नाम थे। जिसका स्थानान्तरण राज्य सरकार के प. 16 (6) उद्योग/2/76 दिनांक 23-3-76 के द्वारा श्री लालचन्द शर्मा के नाम कर दिया गया।
21.	,, तेजाराम जाट	4–11–71	281	25	20–12–71	,,	
22.	,, महालचन्द मदनलाल राठी	10–1–74	4–ए	30	6–2–74	,,	वह भू-खण्ड पूर्व में गोपीकिशन सारडा के नाम थे। राज्य सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8
							के आदेश सं.प. 16(16)उद्योग/2/73, दिनांक 10-1-76 के द्वारा इनके नाम आवंटित किया गया।
23.	मैसर्स हरीश चन्द्र सोनी	4–11–71	283	25	26–1–72	10 वर्ष	
24.	मैसर्स रामनारायण नवाल	4–11–71	284	25	24–1–72	,,	यह भू-खण्ड पूर्व में महावीर प्रसाद पारीक के नाम था। राज्य सरकार के आदेश सं. प. 6 (7) उद्योग/2/71, दिनांक 15–12–75 के द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन के नाम किया गया।
25.	मैसर्स महावीर प्रसाद जैन	15–12–75	285	25	31–12–75	,,	
26.	मैसर्स कृष्णावतार अग्रवाल	12–1–72	286	30	21–1–72	,,	
		29–11–77	288	12.5	25–12–77	,,	
27.	मैसर्स पुखराज शर्मा	3–2–77	287	11	10–5–77	,,	

शराब की सरकारी दुकानों द्वारा बिक्री

35. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि शराब की सरकारी दुकानों द्वारा बिक्री किये जाने की वजह से राज्य सरकार को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस घाटे का प्रमुख कारण क्या है।

उत्तर

जी हां।

सरकारी दुकानें चलाने की आवश्यकता उस समय ही पड़ती है जबकि निविदा या नीलामी पर दुकानें नहीं उठती है। जब कोई दुकान निविदा या नीलामी पर विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षित राशि पर नहीं उठती है-तो विभाग के पास इस परिस्थिति में दो विकल्प रहते हैं कि या तो दुकान को पड़त रहने दिया जाय, अथवा सरकारी तौर पर चलाया जाय। पड़त रहने से तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती और उसका कोई औचित्य भी नहीं है। जबकि सरकारी तौर पर दुकान चलाने से राजस्व की प्राप्ति ही होगी। अतः इस प्रकार सरकारी दुकान चलाना कतिपय विशेष परिस्थितियों में घाटे को अधिक होने से बचाने का एक विकल्प है।

सेल्स टैक्स की समाप्ति का मामला

36. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में सेल्स टैक्स को समाप्त करने का जनता से वायदा किया था ? यदि हां, तो उक्त वायदे की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(2) राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स के सरलीकरण करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(3) सेल्स टैक्स के समाप्त करने से जो राजस्व कमी होगी उसको किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस वायदे की पूर्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच में मंत्रणा चल रही है।

(2) बिक्री कर के सरलीकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जिसके अनुसार एक लाख तक बिक्री करने वाले व्यापारियों का कर-निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स के आधार पर किया जायेगा और उन्हें कर-निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

(3) राजस्व हानि को किस प्रकार पूरा किया जाए, इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(110)

उद्योग विभाग में इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन अधिकारियों की नियुक्ति

37. श्री जय कृष्ण शर्मा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उद्योग विभाग द्वारा इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन अधिकारियों के इन्टरव्यू इस वर्ष लिए गये थे, यदि हां, तो कितने व किस-किस योग्यता के व्यक्तियों को बुलाया गया था और उनमें से कितने लोगों का चयन किया गया ?

(2) क्या चयन करते समय कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो मापदण्ड क्या था ? जिन लोगों का चयन किया है, उनकी सूची मय योग्यता व डिवीजन दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

जी हां। स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तकनीकी डिप्लोमा योग्यता के 627 व्यक्तियों को बुलाया गया था। इनमें से 84 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

(2) चयन का माप दण्ड लिखित परीक्षा व साक्षात्कार था। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मय योग्यता व डिवीजन दर्शाते हुए सदन की पटल पर रख दी गई है।

चयनित उद्योग प्रसार अधिकारियों की सूची।

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम मय पता	योग्यता	श्रेणी	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5
1.	श्री कमल चन्द पुत्र श्री कजोड़ी राम ग्राम मंगोलाकी	एम.एससी.	प्रथम	–
2.	श्री केशवदेव गुप्ता पुत्र श्री लंगरियाराम गुप्ता	बी.एससी.	,,	–
3.	श्री बजरंगसिंह राठोड पुत्र श्री मोती सिंह राठोड	बी.एससी.	,,	–
4.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	एम.एससी.	,,	–
5.	श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री पूरनमल जैन	एम.एससी.	,,	–
6.	श्री मुरली मनोहर पारीक पुत्र श्री जानकी लाल पारीक	बी.एससी.	,,	–
7.	श्री कैलाश बोहरा पुत्र श्री कालूराम बोहरा	डिप्लोमा एम.एससी.	,,	–

1	2	3	4	5
8.	श्री रामकिशोर बगडिया पुत्र श्री राधेश्याम बगडिया	बी.एससी.	प्रथम	–
9.	श्री ओम प्रकाश माथीवाल पुत्र श्री शिवदयाल माथीवाल	बी.एससी.	,,	–
10.	श्री देवाराम पुत्र दोवराम	बी.एससी.	,,	–
11.	श्री केवरसिंह पुत्र श्री रामजीवन	एम.एससी.	,,	–
12.	श्री मनोहरलाल रावत पुत्र श्री दुलीचन्द गुप्ता	एम.एससी.	,,	–
13.	श्री मुकेश कुमार कौशिक पुत्र श्री शिवप्रसाद कौशिक	बी.एससी.	,,	–
14.	श्री श्रीचन्द प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रमेशचन्द गुप्ता	एम.एससी.	,,	–
15.	श्री जगदीश प्रसाद पाठक पुत्र श्री बरकेलाल बधरा	एम.एससी.	,,	–
16.	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल गुप्ता	बी.एससी.	,,	–
17.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	बी.एससी.	,,	–
18.	श्री अजमेरसिंह त्यागी पुत्र श्री नेताराम त्यागी	एम.एससी.	,,	–
19.	श्री नाथूराम पुत्र श्री रामलाल	बी.एससी.	,,	–
20.	श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री हरसहाय सैनी	एम.एससी.	,,	–
21.	श्री उमेश चन्द बैराठी पुत्र एस.पी.बैराठी	एम.इ. मैंच	,,	–
22.	श्री महेन्द्र कुमार टिक्कीवाल पुत्र श्री राधारामण	डिप्लोमा मैकेनिकल	,,	–
23.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता	बी.एससी.	,,	–
24.	श्री कुलदीप रस्तोगी पुत्र श्री विद्यासागर रस्तोगी	बी.एससी.	,,	–

1	2	3	4	5
25.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन	एम.एससी.	प्रथम	–
26.	श्री जगदीश प्रसाद मेवाड़ा पुत्र श्री के.एल. मेवाड़ा	एम.एससी.	,,	–
27.	श्री अशोक कुमार शुक्ला पुत्र श्री प्यार चन्द	एम.एससी.	,,	–
28.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोपालमाल एडवोकेट	एम.एससी.	,,	–
29.	श्री अशोककुमार पुरोहित पुत्र श्री नन्द लाल	बी.एससी.	,,	–
30.	श्री महेन्द्रराज जैन पुत्र श्री पृथ्वीराज लुणावत	पोल्टी डिप्लोमा	,,	–
31.	श्री राजेन्द्र कुमार तोषवानी पुत्र श्री लाडूराम	एम.एससी.	,,	–
32.	श्री अंजनसिंह चम्पावत पुत्र श्री गंगासिंह चम्पावत	एम.एससी.	,,	–
33.	श्री पूरण चन्द वर्मा पुत्र श्री प्रहलाद तमोली	बी.एससी.	,,	–
34.	श्री जुगलकिशोर विजयवर्गीय	बी. एससी.	,,	–
35.	श्री भागचन्द जैन	बी. एससी.	,,	–
36.	श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता	बी. एससी.	,,	–
37.	श्री ओमप्रकाश नन्दवाना पुत्र श्री नाथूलाल जी	बी. एससी.	,,	–
38.	श्री हरिसिंह चौहान पुत्र श्री पूनमसिंह चौहान	बी.एससी.	,,	–
39.	श्री रामरतन पुत्र श्री किशन सिंह	एम.एससी.	,,	–
40.	श्री प्रमोद शंकर माथुर पुत्र श्री मोहन लाल माथुर	बी.एससी.	,,	–
41.	श्री मनी मोहन माथुर पुत्र श्री यशवन्त कुमार	एम.काम	,,	–
42.	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री जयनारायण सोलंकी	एम.ए.	,,	–

1	2	3	4	5
43.	श्री सुभाष चतुर्वेदी पुत्र श्री आर. सी. चतुर्वेदी	बी. एससी.	प्रथम	—
44.	श्री रोशन मियां पुत्र श्री इरफान खान	एम. एससी.	,,	—
45.	श्री सैयद इकबाल हुसैन पुत्र श्री सज्जाद हुसैन	एम. एमसी.	,,	—
46.	सुश्री कुमारी पवन पुत्री श्री लाभचन्द शर्मा	एम एससी.	,,	—
47.	श्रीमती रेशमा मलहोत्रा पत्नी श्री हालजी मलहोत्रा	एम. एससी.	,,	—
48.	सुश्री कोडीवाल पुत्री श्री कमल चन्द कोडीवाल	एम. ए.	,,	—
49.	श्री बृजलाल मीना पुत्र श्री शंकर लाल मीणा	एम. ए.	,,	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति
50.	श्री प्रभुदयाल धवन पुत्र श्री भगवान सहाय बलाई	एम. ए.	,,	,,
51.	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री बालाराम	एम. ए	,,	,,
52.	श्री केशरराम पुत्र श्री दुगाराम बामेला	बी. ए	तृतीय	,,
53.	श्री पूजाराम पुत्र ओदूराम	एम. ए.	,,	,,
54.	श्री भगवतराम पुत्र श्री मानसिंह आलोक	बी. काम.	,,	,,
55.	श्री पृथ्वीराज राव पुत्र श्री खीवराज राव	बी. ए	,,	,,
56.	श्री रामअवतार राणा पुत्र श्री मेर बक्स राणा	बी. काम.	,,	,,
57.	श्री छीतरमल टेपण पुत्र श्री लालूराम खटीवाला	एम. ए.	,,	,,
58.	श्री गजानन्द गोठवाल पुत्र श्री रामजीलाल गोठवाल	बी. ए.	,,	,,
59.	श्री ईश्वर देव बुनकर पुत्र श्री चन्दाराम	एम. काम.	द्वितीय	,,

1	2	3	4	5
60.	श्री कल्याण सहाय मीणा पुत्र श्री सूरज मीणा	एम.ए.	द्वितीय	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति
61	श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री श्याम लाल हलवाई	बी.एससी.	,,	,,
62.	श्री रामरतन मरवण पुत्र श्री बस्तीराम	बी.एससी.	तृतीय	,,
63.	श्री पन्नालाल मीणा पुत्र श्री दीताराम मीणा	एम.ए.	द्वितीय	
64.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री चुन्नीराम हरिजन	डिप्लोमा मेकेनिकल	तृतीय	,,
65.	श्री शिवचरण मीणा पुत्र रुड़मल मीणा	एम.ए.	द्वितीय	,,
66.	श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री मथुरा लाल मीणा	बी.ए.	,,	,,
67.	श्री पूरणमल पुत्र श्री सोनाराम मीणा	एम.ए.	,,	,,
68.	श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री रामकुमार मीणा	बी.ए.	,,	,,
69.	श्री रघुनाथ प्रसाद मीणा पुत्र श्री चम्पाराम मीणा	एम.ए.	तृतीय	,,
70.	श्री घासी लाल मीणा पुत्र श्री जगदीश नारायण	बी.एससी.	,,	,,
71.	श्री रामप्रसाद बोर पुत्र श्री सूरजाराम बशेर	बी.ए.	,,	,,
72.	श्री रंगलाल मीणा पुत्र श्री मुल्या मीणा	एम.ए.	द्वितीय	,,
73.	श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा	बी.एससी.	,,	–
74.	श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	बी.एससी.	,,	–
75.	श्री बाबूलाल कौशिक पुत्र श्री गिरधारी लाल स्वामी	बी.एससी.	,,	–
76.	श्री पदमसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह	बी.एससी.	तृतीय	–
77.	श्री लक्ष्मीनारायण सोनी पुत्र श्री रिद्धकरण सोनी	बी.ए.	,,	–
78.	श्री शिशिर कुमार पुत्र श्री रामकिशन	बी.ए.	,,	–
79.	श्री भगवत शरण पुत्र श्री छेद लाल गुप्ता	बी.एससी.	द्वितीय	–

1	2	3	4	5
80.	श्री कुशलसिंह पुत्र श्री गनपत सिंह	बी.एससी.	तृतीय	–
81.	श्री शीलाल जाट पुत्र श्री छाजुलाल जाट	बी.ए.	तृतीय	
82.	श्री सवाई सिंह पुत्र गोपाल राम	बी.ए.	द्वितीय	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति
83.	श्री लालसिंह पारगी पुत्र श्री चूनाजी पारगी	बी.ए.	तृतीय	,,
84.	श्री मानसिंह राठौड़ पुत्र श्री गंगासिंह राठौड़	बी.ए.	द्वितीय	–

भरुडी नदी के पुल का निर्माण कार्य

39. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरुड़ी नदी के पुल के निर्माण कार्य को जालौर अधिशासी अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में होते हुए भी सिरोही अधिशासी अभियन्ता को हस्तान्तरित किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने इस पुल के निर्माण कार्य को वर्षा से पूर्व पूर्ण करने हेतु सहायक अभियन्ता का हैडक्वार्टर भी भरुड़ी कर दिया था ?

(3) क्या इतना सब करने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य बरसात से पूर्व पूर्ण न हो सका ?

(4) इस सबका क्या कारण रहा ? क्या इसके लिये विभाग दोषी है अथवा ठेकेदार ?

(5) क्या दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रशासनिक दृष्टि से व जलौर खण्ड में फ्लड के अधिक वर्क लोड होने के कारण यह कार्य सिरोही खण्ड को हस्तान्तरित किया गया।

(2) यह सही नहीं है।

सहायक अभियन्ता का मुख्यालय भरुड़ी, कार्य को अच्छी देखभाल व उचित समय में पूर्ण कराने के लिए किया गया।

(3) इस कार्य को बरसात से पूर्व करवाने का लक्ष्य ही नहीं था। अतः कार्य बरसात से पूर्व पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) पुल का निर्माण कार्य फरवरी, 1978 में प्रारम्भ किया गया एवं एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार मार्च 1979 तक यह कार्य समाप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 116

अरबन प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट

40. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अरबन प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट राज्य के छः बड़े शहरों में प्रभावी किया हुआ है और इसके अन्तर्गत सक्षम अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं ?

(2) इस एक्ट के अन्तर्गत कितनी भूमि किस किस शहर में अवाप्त की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस एक्ट के तहत जिन लोगों की भूमि राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली थी उनमें से किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी छूट किन कारणों से दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार ने नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 प्रसारित किया था तथा राजस्थान सरकार ने इस केन्द्रीय अधिनियम को राजस्थान राज्य के लिए दिनांक 9-3-1976 से अंगीकार किया है एवं निम्न पांच शहरों में इसे लागू किया है तथा इन पांच शहरों में सक्षम अधिकारी कार्य कर रहे हैं :—

(1) जयपुर
(2) जोधपुर
(3) अजमेर
(4) बीकानेर एवं
(5) कोटा

(2) केवल अजमेर शहर में 1069 वर्ग मीटर के अर्जित की घोषणा धारा 10 (3) के तहत की गई है।

(3) इस एक्ट के तहत जिन व्यक्तियों को छूट दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसके अतिरिक्त कई औद्योगिक इकाइयों को भी छूट दी गई है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत छूट दी गई व्यक्तियों की सूची:—

नाम 1	क्षेत्रफल 2	स्थान 3	उद्देश्य 4
1. श्री ओंकार नाथ भार्गव	23 बीघा 15 बिस्वा	अजमेर	अजमेर के बाढ़ पीड़ित परिवार के पुनर्वास हेतु।
2. श्री सरदार सिंह कोठारी	1 बीघा 3 बिस्वा	,,	,,
3. श्री मूला व देवा	19 बिस्वा	,,	,,
4. श्री मंगला	2 बीघा 12 बिस्वा	,,	,,

1	2	3	4
5. श्री कन्हैया लाल तिवाडी	13 बीघा के करीब	अजमेर	अजमेर के बाढ़-पीड़ित परिवार के पुनर्वास हेतु।
6. श्री हरदेवसिंह	3 बीघा 1 बिस्वा	,,	
7. श्री मोहन लाल	4½ बीघा के करीब	,,	,,
8. श्री अमर चन्द शारदा परमार्थ ट्रस्ट	7600 वर्गगज	,,	,,
9. श्री केसरी मल भांडावत	1 बीघा 16 बिस्वा	,,	,,
10. श्री मूला व देवा पिसरान जोरा मंगला पुत्र मूला, गोविन्दा, पुसा, छोटेलाल, मांगीलाल, पिसरान छोटा विरमा वल्द छीतर, मिश्री लाल नाबालिग पुत्र जीवन कौम गूजर, हरि पुत्र काना और हरि राम पुत्र काना	4 बीघा 14 बिस्वा	,,	,,
11. लिखमा पुत्र गोरधन, लालाराम मुतबन्ना किसना	14 बीघा 6 बिस्वा	,,	,,
12. पोखर व लक्ष्मीनारायण पिसरान किशनलाल सुरूखा वल्द टोडू	5 बीघा के करीब	,,	,,
13. श्री नाथू सिंह व पन्ना लाल पिसरान नारायण	6 बीघा 5 बिस्वा	,,	,,
14. श्रीमती विद्यावती देवी मपुत्री सूरज मल और श्रीमती टोपाबाई धर्मपत्नी उरजा	2 बीघा 8 बिस्वा	,, ,,	,,
15. श्री फतेहचन्द शर्मा	3 बीघा 6 बिस्वा	,,	,,
16. महाराज सवाई जयसिंह बेनेवोलेन्ट ट्रस्ट, जयपुर	53,426 वर्गगज	जयपुर	मन्दिर व उद्यान बनाने हेतु लोकहित में।
17. श्री एम. नरेन्द्रसिंह	4,320 वर्गमीटर	बीकनेर	लोकहित में।

(118)

1	2	3	4
18. श्री लक्ष्मण प्रसाद, रतनलाल, मानकचन्द, अजमेर	3,935 वर्गगज	अजमेर	बाढ़पीड़ित परिवार के पुनर्वास हेतु।
19. श्री हुकमसिंह	17,370 वर्गगज	जोधपुर	राज्य के खाद्य संग्रह करने के हित में तथा लोकहित में।
20. श्री शान्तीलाल मगन	1,580.55 वर्गमीटर	जयपुर	लोकहित में एवं पार्टी को अनुचित कष्ट।
21. श्री बलभद्रसिंह	586.87 वर्गमीटर	जयपुर	अनुचित कष्ट।
22. ,, ,,	1,573 वर्गमीटर	जयपुर	,,
23. डा. ओ.पी. कुलश्रेष्ठ	891.87 ,,		
	635.46 ,,	जयपुर	लोकहित में।
24. प्रेम निकेतन आश्रम	23 बीघा	जयपुर	,,
	1 बिस्वा		,,
25. श्री बी.एल. अग्रवाल	92.62 वर्गमीटर	जयपुर	,,
26 श्री गोविन्द प्रसाद महर्षि	167 वर्गमीटर	जयपुर	,,
27. श्रीमती फमेन्द्रा राजलक्ष्मी व माजी कौशल कुमारी	3838 वर्गगज	जयपुर	होटल निर्माण हेतु।
28. कैप्टन फेज मोहम्मद वक्फ कमेटी, जयपुर	4000 वर्गगज	जयपुर	,, ,, ,,
29. श्रीमती कमला कुमारी	6,730 वर्गगज	जयपुर	लोकहित में उप-विभाजन हेतु।
30 श्रीमती सुनिति राठौर	7,863 वर्गगज	जयपुर	,, ,,
31. श्री श्रंगोरी डी मीरवा व अन्य	3268.84 वर्ग मीटर	जयपुर	सिनेमा निर्माण हेतु।
32. मैसर्स यूनाइटेड मोटर्स	3796 वर्गमीटर	जयपुर	होटल निर्माण हेतु।
33. श्री दलपतसिंह	211.84 वर्गमीटर	जयपुर	लोकहित में।
34. श्री एम.पी. उदावत	8 वर्गमीटर	अजमेर	,, ,,
35. श्री मदन मोहन शर्मा	13 वर्गमीटर	जयपुर	,, ,,
36. श्री चिरंजी लाल अग्रवाल	11 बीघा 5 बिस्वा	जयपुर	शिक्षा विकास के ट्रस्ट हेतु।

इसके अतिरिक्त 1436 औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है।

राज्य में अतिवृष्टि व बाढ से हुआ नुकसान

41. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या बाढ़ व अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष राज्य में किन किन जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से कितना-कितना नुकसान जन-धन हानि के रूप में हुआ ?

(2) राज्य सरकार ने किस किस जिले को कितनी कितनी सहायता किस किस रूप में दी ?

(3) जो लोग अतिवृष्टि और बाढ़ में मारे गये उनके आश्रितों को कितनी कितनी सहायता पहुंचाई गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता देने में अलग अलग आधार तय किये और उन्हीं आधारों पर अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को कम सहायता पहुंचाई तथा बाढ़ पीड़ितों को अधिक ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य के 14 जिले अतिवृष्टि से प्रभावित हुए। क्षति का जिलेवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) सहायता विभाग द्वारा प्रभावित जिलों में 1 करोड़ 35 लाख 19 हजार रुपये की स्वीकृति बाढ़ग्रस्त लोगों के पुनर्वास, मकानों की मरम्मत भोजन इत्यादि के लिए दी गई है जिसकी जिलेवार सूचना भाग–1 में उल्लेखित विवरण में दी गई है। उपरोक्त सहायता के अलावा झुन्झुनूं, सीकर एवं चूरू, जिलों में प्रभावित लोगों को तकावी वितरण हेतु 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। तकावी हेतु केन्द्र सरकार से उपलब्ध 2 करोड़ रुपये का तत्काल वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) अतिवृष्टि व बाढ़ में मारे गये लोगों के आश्रितों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है इस हेतु मुख्य मंत्री महोदय के कार्यालय द्वारा विभिन्न जिलाधीशों को लगभग 1 लाख 50 हजार की राशि बाढ़ सहायतार्थ आवंटित की गई है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रारम्भ से ही राज्य सरकार की यह नीति रही है कि भोजन, पुनर्वास, क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण इत्यादि हेतु सहायता केवल बाढ़ व जल प्लावन से प्रभावित लोगों को दी जाये। इसी आधार पर सहायता दी गई है।

वर्ष 1978 में राजस्थान में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षति का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	प्रभावित ग्राम	प्रभावित जनसंख्या	खरीफ की फसल की क्षति (लाख हैक्टेयर्स में)	क्षति-ग्रस्त कुए.	क्षतिग्रस्त कच्चे पक्के मकानों की संख्या	जन हानि	पशु हानि	सरकारी भवन, सड़कें, सिचाई, तालाब, बांध व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति (लाख रुपयों में)	आवन्टित राशि (लाखों में)		
										पुनर्वास व्यवस्था	नकद सहायता	भोजन व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	चूरू	671	509508	4–69	–	81858	18	211	78–03	3–47	53–76	1–77
2.	झुंझुनूं	480	317406	2–60	133	48810	17	250	68–65	1–25	29–32	0–93
3.	सीकर	257	415415	1–26	108	20094	5	86	139–93	1–25	19–33	0–92
4.	जयपुर	103	8000	0–04	125	3990	9	250	77–50	0–15	3–60	0–45
5.	गंगानगर	1000	92650	0–01	–	18530	15	–	26–46	0–25	5–39	0–36
6.	अलवर	533	328634	0–35	–	8926	6	17	67–02	0–40	2–60	0–15
7.	भरतपुर	455	217361	0–31	–	2969	11	42	87–59	0–40	5–10	1–05
8.	बीकानेर	30	81981	7–82	–	1614	2	–	15–25	0–17	1–14	0–19
9.	नागौर	1	–	–	–	1	–	–	–	0–05	0–02	0–03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	झालावाड़	1	10	–	–	2	–	–	30–05	–	–	–
11.	कोटा	–	–	–	–	–	5	–	51–00	0–10	0–05	0–05
12.	पाली	–	–	–	–	–	–	–	24–27	–	–	–
13.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	0–05	0–25	0–20
14.	जालौर	–	–	–	–	–	–	–	–	0–02	0–05	0–03
15.	अजमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	0–15	0–05	0–05
16.	टौंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0–03	0–02
17.	सवाई माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	4–00	–	–	–
18.	बूंदी	–	–	–	–	–	–	–	14–50	–	–	–
	योग	3531	1970965	17–24	366	186824	88	856	684–25	7–74	121–43	6–02

(22)

रामगंज मण्डी की ए. एस. आई. कम्पनी

42. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):- क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) रामगंज मण्डी की ए. एस. आई. कम्पनी की खदानें क्या इस योग्य नहीं हैं कि उनमें पूरी सुरक्षा से मजदूर कार्य कर सकें ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, रामगंज मण्डी एवं अधिशासी अभियन्ता, कोटा ने उक्त खानों की स्थिति देखते हुये लीज निरस्त करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक लीज निरस्त क्यों नहीं की ?

(3) क्या ए. एस. आई. कम्पनी से सन् 1979 तक राज्य सरकार का अनुबन्ध है ? यदि हां, तो क्या कम्पनी ने अनुबन्ध (कान्ट्रेक्ट) के नियमों एवं शर्तों की पालना की है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये ? अब तक नियमानुसार इस अनुबन्ध को क्यों नहीं समाप्त किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, किन्तु सिफारिश नियमानुसार न होने के कारण उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी। निदेशालय ने पुन: खनि अभियन्ता को क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु लिखा है। जिससे नियमानुसार कार्यवाही हो सके।

(3) जी हां। नियमों व शर्तों की पालना में केवल एक ही दोष हुआ था कि कम्पनी ने सड़क के समीप कार्य किया था। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने पर कम्पनी ने दोष का निवारण कर दिया। अनुबन्ध को समाप्त करने का अब तक कोई कारण नहीं रहा।

उप-जिलाधीश बहरोड कार्यालय की चारदीवारी में स्थित अन्य विभागीय कार्यालय

44. (24/रा. मं.) श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)-क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ कस्बे में उप जिलाधीश कार्यालय में अन्य अदालतें भी हैं, जो एक ही चारदीवारी के अन्दर हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता अपना रोजगार, राज्य सरकार की देख-रेख में इसी चारदीवारी में चलाता आ रहा है और उसके संरक्षक सरकारी अधिकारी हैं ? यदि हां, तो इस चारदीवारी में कितने दिन से यह व्यक्ति अधिकारियों की दलाली कर किसानों का खून चूसता आ रहा है तथा इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि श्री गुप्ता ने मुद्दई और मुद्दायले से रकम ले ली और जो व्यक्ति केस में कामयाब हो गया, उसके रुपये रख लिये और उस अधिकारी की जानकारी में आने पर अधिकारी ने उसे जब धमकाया कि मेरे नाम से रुपया कैसे लिया तो अधिकारी को स्थानान्तरण कराने व झूठे केसों में फंसाने का डर उसने दिखाया ? यदि हां, तो इस मामले में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

देवस्थान विभाग की चल व अचल सम्पत्ति

45. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के देवस्थान विभाग की राज्य और राज्य के बाहर कितनी चल एवं अचल सम्पत्ति है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त सम्पत्ति का सत्यापन किया जा चुका है ?

(3) विभाग की इस सम्पत्ति का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ? विभाग को सम्पत्ति से होने वाली आय का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग की राज्य और राज्य के बाहर- चल सम्पत्ति जैसे आभूषण सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि का मूल्य इन्वेन्ट्री रजिस्टर के अनुसार 45,31,404/- रुपया है। अचल सम्पदा का मूल्य अनुमानित पांच करोड़ रुपये है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सत्यापन किया जा रहा है।

(3) विभाग की चल सम्पत्ति जैसे आभूषण, सोना, चांदी इत्यादि का उपयोग भगवान के धारण में एवं सेवा पूजा के कार्य में होता है। अचल सम्पदा में निजी मन्दिर के अतिरिक्त बाकी मकानात, दुकानें एवं खाली भूमि इत्यादि को किराये पर उठाकर आय प्राप्त की जाती है। जिसका विवरण प्रत्येक मन्दिर से सम्बन्धित आय, किराया सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र में भेड़ों से उत्पन्न समस्या

46. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र में हर साल वर्षा काल में लाखों भेड़ें आ जाती हैं ?

(2) ऊपरमाल में भेड़ें किस वर्ष से आनी शुरू हुई ?

(3) क्या यह सही है कि मारवाड़ की भेड़ें चरागाह का सारा घास तथा पेडोक्स का सब घास चर जाती है जिससे पठार पर बसे हुए 119 गांवों के हजारों किसानों को भारी मुसीबत उठानी पड़ती है और उनके मवेशी भूखों मरते हैं ?

(4) भेड़ समस्या के हल के लिए राज्य सरकार कौन कौन से उपाय काम में ले रही है ?

(124)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(5) भेड़ समस्या से ऊपरमाल क्षेत्र को कब तक मुक्ति मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र में होते हुए लगभग एक लाख भेड़ें निष्क्रमण पर जाती हैं।

(2) गत अनेक वर्षों से ऊपरमाल के रास्तों से निष्क्रमण पर जाती हैं।

(3) जी नहीं। सब घास नहीं चरती।

(4) निष्क्रमणार्थी भेड़ों की समस्या के समाधान के लिये सरकार निम्न उपाय कर रही है :–

क–भेड़ व उन विभाग के अधीन एक माईग्रेटरी सैल स्थापित किया जा रहा है जो स्थान स्थान पर जाकर निष्क्रमण के रास्ते निश्चित करेगा और विभिन्न वन खण्डों एवं चरागाहों में कितनी भेड़ें चरेंगी उसकी सीमा निर्धारित करेगा। यह कार्य दो माह में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

ख–राज्य के पश्चिमी जिलों में उपलब्ध चरागाह का पता लगाया जायेगा तथा उनके विकास एवं भेड़ें रखने की क्षमता निर्धारित की जायेगी।

ग–मुख्य मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाई रोक को हटाने के सम्बन्ध में प्रयास करेंगे।

घ–बून्दी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में जंगलों की क्षमता देखते हुए भेड़ों के चरने की व्यवस्था एवं स्थान निश्चित किये जायेंगे ताकि कानून एवं व्यवस्था में गड़बड़ी न हो।

(5) ऊपरमाल क्षेत्र में भेड़ों से उत्पन्न समस्या के शीघ्र निराकरण की सम्भावना है।